खण्ड-283, अंक-6
सोमवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1892
(1 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 283 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५२७–५३१
प्रश्नोत्तर	५३१–५५८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	५५८
यूनानी और आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में पूछ-ताछ	५५८–५५९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को ४ बजे लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना ..	५५९–५६०
चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में नियम ५२ की स्थगित सूचना पर चर्चा की मांग	५६०
श्री केदारनाथ भूतपूर्व सदस्य के निधन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी ..	५६०
नियम ५१, ५२ तथा कार्य-स्थगन की सूचनाओं को ५ बजे के पूर्व लेने की मांग ..	५६१
उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की सूचना (जारी)	५६२
प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं के बारे में जानकारी	५६२–५६३
उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की सूचना	५६३–५६४
श्री अवेद्यनाथ द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र के सम्बन्ध में सूचना	५६४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना	५६४
श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	५६४–५६८
१९७०–७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता (जारी)	५६९–६१२
पहाड़ी क्षेत्रों में ओला-वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना ..	६१२
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	६१३–६१४
१२ मई, १९७० के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन	६१४–६१५
फैजाबाद की मसोदा चीनी मिल्स बन्द होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१५–६२०
आगरे में क्रान्तकारी हिन्दू युवक संगठन की गतिविधियों और इलाहाबाद में हिन्दू सभाई लीडरों की गतिविधियों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	६२१–६२४
नत्थी	६२५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १ जून, १९७०

विधानसभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–३५५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री

ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज, शर्मा, श्री
चन्द्र नारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगननाथ खन्ना, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदर्नसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला बाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती दवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल, किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलबी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अमरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामतरन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला दवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह कुंवर, (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री

सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--खाद्य तथा रसद मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १ जून, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[८वें सोमवार के लिए प्र० सं० ९८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ क्षेत्र, परिवहन विभाग के परिचालकों से कार्यालय का कार्य न लेने के आदेश

*२--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ क्षेत्र में परिवहन विभाग के कुछ परिचालकों से कार्यालय में कार्य लिया जा रहा है जबकि इस विषय में सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि परिचालकों से किसी भी दशा में कार्यालय का कार्य न लिया जाय ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

इस क्षेत्र के किसी भी परिचालक से कार्यालय में कार्य नहीं लिया जा रहा है।

*३--श्री रामलाल राही (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि चारबाग डिपो में कुछ परिचालक ऐसे हैं जिन्हें लगातार कई महीनों से रूट पर नहीं भेजा जाता है ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी नहीं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३५(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

हैदरगढ़ न्याय पंचायत के पंच

*१---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या यह बात सही है कि हैदरगढ़ ब्लाक की हैदरगढ़ अदालत-पंचायत के जिलाधीश द्वारा मनोनीत पंचों के नाम बिना जिलाधीश के आदेश के काट दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि आदेश से काटे गये हैं तो मेम्बरों के नाम काटने का आदेश जिलाधीश ने कब दिया ?

पंचायती राज मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

मामला १९६२ का है। उस समय के उपलब्ध कागजों में तत्कालीन जिलाधीश का इस आशय का कोई आदेश नहीं मिला कि हैदरगढ़ ब्लाक की हैदरगढ़ न्याय पंचायत के मनोनीत पंचों के नाम काट दिए जावें । हैदरगढ़ न्याय पंचायत के सरपंच तथा सहायक सरपंच के चुनाव के लिए तत्कालीन जिलाधीश के हस्ताक्षर की मुहर से एक सूचना-पत्र दिनांक ९-८-६२ जारी हुआ था। इस सूचना-पत्र में हैदरगढ़ न्याय पंचायत के पंचों की सूची थी जिन्हें चुनाव में भाग लेना था । इस सूची में सर्वश्री अब्दुल रहमान खां, मथुरा प्रसाद, मिही लाल तथा विश्वनाथ प्रसाद के नाम जो क्रमशः क्रम संख्या ११,१२,१३ एवं २३ पर अंकित थे, कटे हुए हैं। कटिंग पर संक्षिप्त हस्ताक्षर हैं, जो तत्कालीन जिलाधीश के उपलब्ध संक्षिप्त हस्ताक्षरों से नहीं मिलते हैं। किस अन्य अधिकारी या व्यक्ति के ये संक्षिप्त हस्ताक्षर हैं, मालूम नहीं हो सका है। जांच से मालूम हुआ कि उपर्युक्त चारों व्यक्तियों ने पंच पद की शपथ ग्रहण नहीं की थी। और उस पद पर कार्य करने से असहमति प्रकट की थी। इस प्रकार उनके पंच पद विधानतः स्वतः रिक्त हो गए थे और सम्भवतः इसी कारण से उनके नाम काट दिये गए थे ।

[१ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

एटा-फर्रुखाबाद मार्ग पर स्टेज कैरेज के परमिट

*१---श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या परिवहन मंत्री को यह ज्ञात है कि आर० टी ०ए०, कानपुर ने यू० पी० गवर्नमेंन्ट रोडवेज को एटा-फर्रुखाबाद मार्ग पर स्टेज कैरेज परमिट देना अस्वीकार किया है ? यदि हां, तो सरकार आर० टी० ए०, कानपुर के उस रेजोल्युशन की प्रतिलिपि जिसके द्वारा परमिट देना अस्वीकार किया गया था सदन की मेंज पर रक्खेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

एटा-फर्रुखाबाद मार्ग पर स्टेज कैरेज के परमिट देने के लिये कोई आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए गए थे अतः रोडवेज के प्रार्थना-पत्र अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय परिवहन मंत्री बतायेंगे कि आर०टी०ए०, कानपुर ने शमशाबाद-फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद-कम्पिल सड़कों के लिये दरख्वास्तें दी थीं और जो नामन्जूर हुईं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, दरख्वास्तें दो थीं ।

मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि आर० टी० ए० ने अपनी दिनांक २७ मार्च तथा २९ और ३० अप्रैल, १९६८ की मीटिंग में आइटेम नं० १६ द्वारा मंजूरी नहीं दी तो यह रेजोल्युशन पास हुआ जो मैं पढ़ रहा हूं---

"These are the applications from G. M., U. P. Government Roadways, Kanpur which is a State Transport Undertaking. Several permits have been issued by this Authority with the expectation that an ideal type of services would be maintained but the services rendered by them has not been found upto the desired mark so much so that they have not been operating several routes allowed to them. There has been strong public opinion against the grant of such permits to the applicant. Therefore, the applications are rejected."

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मुझे इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

*२---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[८ वें सोमवार के प्र० सं० ९९ के अन्तर्गत स्थगित]

गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत गुड़ प्रदर्शक के पद का ग्रेडेशन के आधार पर स्थायीकरण

*४---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत गुड़ प्रदर्शक के पद का स्थायीकरण किस आधार पर किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

उद्योग विभाग गुड़ विकास योजना के अन्तर्गत गुड़ प्रदर्शक के पद पर स्थायीकरण कोटिक्रम सूची (ग्रेडेशन) के आधार पर किया गया है ।

*५---श्री नौनिहाल सिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त स्थायीकरण यदि ग्रेडेशन के आधार पर नहीं हुआ तो क्यों?

श्री बेनी सिंह---

प्रश्न नहीं उठता ।

*६---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[९वें सोमवार के लिए प्र० सं० १०० के अन्तर्गत स्थगित]

इन्सट्रक्टर के पद के वेतन-मान से सुपरवाइजर के पद के वेतन-मान में कमी

*७---श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---(अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि श्रम विभाग के अधीन सुपरवाइजर का वेतन-मान उसी के अधीन इन्सट्रक्टर के वेतनमान से कम है तथा ऐसा क्यों है?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय) --

जी हां । वेतन अभिनवीकरण समिति तथा एनामली कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप इन्सट्रक्टर के पद के वेतन-मान से सुपरवाइजर के पद का वेतन-मान कम है ।

रनिंग स्टाफ अलीगढ़ रीजन के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि

*८—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि रोडवेज विभाग, अलीगढ़ रीजन के रनिंग स्टाफ के कितने कर्मचारियों को गत चार वर्षों से वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं दी गई है तथा क्यों ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

चालकों तथा ६ परिचालकों का कार्य संतोषजनक न होने अथवा आनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप वार्षिक वेतन वृद्धि गत चार वर्षों से नहीं दी गई है।

राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की मांग

*९—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों को कम से कम ३० रु० (तीस रुपया) अन्तरिम राहत मासिक रूप में देने की योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या यह राहत १ जनवरी, १९७० से देने जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रभानु गुप्त की भूतपूर्व सरकार ने एक वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की थी और उस समय समाचार-पत्रों और प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि वे कुछ न कुछ अन्तरिम राहत देंगे ? इसके बारे में नई सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसी कोई सूचना भूतपूर्व सरकार के आश्वासन देने की हमारे पास नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर वित्त मंत्री इस संदर्भ में कि तृतीय वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिये गठित किया गया और माननीया इंदिरा गांधी की सरकार ने यह घोषणा की है कि वे केंद्रीय कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देंगी । तो इस संबंध में समाजवाद-दिल्ली और लखनऊ का समान करने के लिए—क्या वे अपने कर्मचारियों को राहत देने के लिये विचार कर रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

इस संबंध में पहले भी प्रश्न आये थे जिनका उत्तर दे दिया गया था । अगर केंद्रीय सरकार कोई निर्णय लेती है तो इस संबंध में राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती ।

श्री रामगोपाल संड—

मंत्री जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है । मैं उनसे यह आश्वासन लेना चाहूंगा कि यदि केंद्रीय सरकार ने अन्तरिम राहत की घोषणा की तो क्या आप भी उसका पालन करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अगर केंद्रीय सरकार हमारे राज्य सरकार कर्मचारियों को अपने पे-कमीशन के जरिये देती है तो हमें खुशी होगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है ? क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि जब जब केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का डियरनेस अलाउन्स बढ़ायेगी, तब तब यह प्रदेशीय सरकार भी बढ़ायेंगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यदि केंद्रीय सरकार हमारे कर्मचारियों को राहत देती है तो हमें बड़ी खुशी होगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, सवाल को उड़ाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। प्रश्न का स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप उत्तर को स्पष्ट कर दें ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले बताया था, इस सिलसिले में पहले सवाल भी हो चुके हैं, तो विचार करने की बात यह है कि क्या उनको फिर रिपीट किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष--

आप बता दीजिये ।

श्री चरण सिंह--

यदि केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के संबंध में कुछ करती है तो वह लाजमी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट भी वैसा ही करे क्योंकि उनके सर्कम्स्टांसेज और हैं और हमारे दूसरे हैं ।

पेशा कर

*१०--श्री राम गोपाल संड--

क्या सरकार ने पेशाकर को १ अप्रैल, १९७० से समाप्त तथा वित्तीय वर्ष १९६९-७० के अवशेष को स्थगित कर दिया है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं ?

बिक्री-कर मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पहली सरकार के वित्त मंत्री श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने इस प्रकार के आदेश दिये थे और एक सर्कुलर निकाला था कि जनवरी से मार्च, १९७० तक का पैसा वसूल नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस सर्कुलर को समाप्त करने और फिर से पेशाकर लगाने के आदेश दिये हैं ?

श्री बलबीर सिंह---

भूतपूर्व सरकार ने पेशाकर को १-४-७० से स्थगित करने का निर्णय लिया था परन्तु उसके सिलसिले में कोई, जहां तक मुझे ज्ञात है, आदेश नहीं जारी किये थे ।

श्री रामगोपाल संड-

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी मौजूद हैं, श्रीमन्, आप उनसे पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष---

वे कहते हैं कि नहीं हुये । आचार्य जी स्वयं पूछ सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसको फिर वापस लिया गया ?

श्री बलबीर सिंह---

जो सूचना मेरे पास है उससे यह जाहिर नहीं होता कि विज्ञप्ति जारी हुई थी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी सूचना को स्वीकार कर यह पता लगालें कि इस संबंध में विज्ञप्ति जारी हुई थी या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

सूचना आप उनके पास भेज दें, मेरे पास भी भेज दें तो अच्छा है।

*११-१२---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[८वें मंगलवार के ता०सं० प्र० ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर रीजन के परिचालक के विरुद्ध शिकायत

*१३---श्री जगदीश गांधी (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६९ के वर्ष में कानपुर रीजन के कंडक्टरों एवं ड्राइवरों के विरुद्ध घूत तथा भ्रष्टाचार के संबंध में विधान सभा एवं विधान परिषद क तत्कालीन सदस्यों की कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई एवं उन पर दिनांक २५ फरवरी, १९७० तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

वर्ष १९६९ में केवल एक परिचालक के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई किन्तु जांच के उपरान्त उसे निर्दोष पाया गया । किसी भी चालक के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

देवरिया जिले की कमलापति मोतीलाल भटनी शुगर मिल की मोनाक्षी शुगर मिल को लीज पर देना तथा उक्त मिल पर विभिन्न मदों का बकाया

*१४---श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के कमलापति मोतीलाल शुगर मिल, भटनी क मालिक ने अपन मिल का नाम मिनाक्षी शुगर मिल इस वर्ष से बदल दिया है? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री राज मंगल पांडेय—

देबरिया जिले की कमलापति मोतीलाल भटनी (शुगर मिल्स) ब्रांच के मालिक ने इस चीनी मिल को मीनाक्षी शुगर मिल्स लिमिटेड, को १-११-६९ से ५ वर्ष के लिये लीज पर दे दिया । कमलापति मोतीलाल भटनी (शुगर मिल्स) ब्रांच का नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। मीनाक्षी शुगर मिल्स लि०, उपरोक्त चीनी मिल की लेसी की हैसियत से है ।

*१५—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उक्त मिल के जिम्मे पचासों लाख रुपये गन्ने का दाम, सरकारी टैक्स एवं मजदूरों का बोनस आदि हैं?

श्री राज मंगल पांडेय—

उक्त चीनी मिल के जिम्मे विभिन्न मदों में १५-५-७० तक बकाया की स्थित निम्न प्रकार थी :—

१—गन्ना मूल्य	रु०	४.१४	लाख
२—कमीशन	रु०	३.३६	लाख
३—गन्ना मूल्य तथा कमीशन के भुगतान में बिलम्ब पर ब्याज	रु	४.२६	लाख
४—उप कर एवं क्रय कर	रु०	१४.०८	लाख
योग ..	रु०	२५.८४	लाख

जहां तक मजदूरों के बोनस के भुगतान का संबंध है रु० ५०,२२७.६९ के अन्तरिम बोनस में से रु० ४८,४१५.८६ वितरण कर दिया गया है तथा केवल रु० १,८११.८३ वितरण से बाकी रहा क्योंकि संबंधित श्रमिक उपलब्ध नहीं हो सके ।

(मूल उत्तर पढ़ने के बीच)

एक सदस्य—

उत्तर सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, इस यंत्र की क्षमता बराबर गिरती जा रही है, कारण जो भी हो मैं नहीं कह सकता, किन्तु उधर से कही हुई बात सुनाई नहीं देती है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २५ लाख ८४ हजार रुपया कमलापति मोतीलाल शुगर मिल, भटनी के जिम्मे है, उसे ५ साल के लिये लीज पर मीनाक्षी के प्रोपराइटर को दे दिया गया है, तो क्या यह रुपया मीनाक्षी ने देना स्वीकार किया है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, यह चूंकि लीज पर देने का अधिकार उनको है, इस पर सरकार कुछ कर नहीं सकती है। उसमें क्लाज है, इसमें यह है कि जितनी भी इस संबंध में देनदारी की राशि होगी, या जितने ड्यूज या आबलीगेशन्स इस फैक्टरी पर होंगे, उसे ५ वर्ष में वह उसको देने के लिये जिम्मेदार होगी ।

श्री हरिवंश सहाय—

४ लाख २६ हजार रुपया गन्ने का दाम और कमीशन का बाकी है, तो क्या इस रुपये को गन्ना काश्तकारों में बांटा गया है या बांटने का प्राविधान है ?

श्री रामंगल पांडेय—

श्रीमन्, इसमें रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है और जैसे जैसे पैसे हो जायेंगे और जब पैसा मिल जायेगा तब सोसाइटी अपने प्रस्ताव के मुताबिक क्या करेगी, इस पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

यह जो कमलापति मोतीलाल शुगर मिल, मीनाक्षी के नाम से है, तो पहली वाली के ओनर कौन थे और मीनाक्षी के ओनर कौन हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, ओनर का प्रश्न तो है नहीं । असल में फैक्टरी तो मीनाक्षी को लीसी की हैसियत से ५ साल के लिये दी गई है। प्रोप्राइटर तो चेंज हुआ नहीं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

उत्तर में कहा गया कि कुल मिलाकर २५ लाख रुपया बकाया है और ४ लाख २६ हजार गन्ना किसानों का है, तो क्या इस बकाये की वसूली के लिये सरकार रिसीवर नियुक्त करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह पहले ही कह चुका हूं । पहले ही सरकार उसकी नियुक्ति कर चुकी है। आलरेडी इसमें रिसीवर बैठाया जा चुका है।

श्री रामकरन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज फैक्टरी जिस नाम से चल रही है, क्या पहले भी उसी नाम से चल रही थी ? यानी उसके प्रोपराइटर वही हैं जो पहले थे ? और क्या यह सच है कि जो पुरानी लायबिलिटीज हैं उसको वहां नहीं दे सके, इसलिये उसका नाम बदल दिया गया है?

श्री राजमंगल पांडेय—

लेसी केवल ५ वर्ष के जो आब्लीगेशंस होंगे उसके देनदार होंगे । उसके पहले की जो रकम होगी उसको वही पहले के प्रोपराइटर कमलापति मोतीलाल ही देंगे, यदि नहीं तो सरकार उससे वसूल करेगी ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

सरकार ने पुराने मालिकान के खिलाफ २५ लाख रुपये से ज्यादा धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है, जिससे रुपया वसूल हो जाय ?

श्री राम मंगल पाण्डेय—

रिसीवर की नियुक्ति इस बात का सबूत है कि हम अपनी कोई कंट्रोलिंग एजेंसी रख रहे हैं जो सारे सरकारी ड्युज को वसूल करे और सरकार के खजाने में जमा कर दे या जिनका पावना हो उनको दे दे । यह नेकनियती का सबूत है कि हमने एजेंसी नियुक्त की है ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जो बकाया रुपया उपकर और क्रयकर का है उस पर भी सरकार ब्याज लगाने की कृपा करेगी?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

टैक्स देने वाले पर कोई इंटरेस्ट लगता है जहां तक मुझे जानकारी है, उपकर पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं इत्तला दे दूं, टैक्स की बकाया पर १८ प्रतिशत सूद लगता है। इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि जो लाइबिलिटीज हैं, लेवर के कौन से ऐसेट्स हैं जिनसे वसूलियाबी के संबंध में सरकार की योजना है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, जहां तक शासन को जानकारी है यह लम्प सम जो देना है, उनके एक ही फैक्टरी नहीं है, कई हैं। इनके ऐसेट्स इतने ज्यादा हैं कि सरकार जब चाहेगी, जब तक कोई कानूनी बाधा न पड़े, वह इसको वसूल कर सकती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री ने सूचना दी है नाम के बारे में कि वास्तविक प्रोपराइटर वही हैं, तो जो बकाया पुराने नाम से थी, उसको नये मालिक से वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

शायद मेरे मित्र को भ्रम हुआ है, मैंने नहीं कहा कि दोनों के प्रोपराइटर एक हैं। प्रोपराइटर मीनाक्षी वाला अलग है। लेकिन जहां तक पार्टनरशिप का संबंध है, वह तो बाप और बेटे और माइनर्स भी हिस्सेदार हो सकते हैं। एक की जब तक लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है तब तक दूसरे पर प्रतिबन्ध नहीं है। लीज के पहले जो धन देय है, पुराने लोगों से वसूल होगा, जो कमलापति वगैरह हैं, जो बी। में पांच साल के आब्लीगेंशन्स हैं वे मीनाक्षी से वसूल होंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या अटैचमेंट की कार्यवाही की गयी है और नहीं की गयी है तो क्या निकट भविष्य में किये जाने का कोई विचार है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जब सरकार ने एक रिसीवर नियुक्त कर दिया है अपने एक ऊंचे सरकारी अफसर को तो उसके विवेक पर है, वह क्या शासन को राय देता है, उसके बाद शासन उचित कार्यवाही करेगा।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १८११ रुपये मजदूरों का बाकी है अगर मजदूर नहीं मिलते हैं तो मनीआर्डर से कर देने में क्या दिक्कत है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मेरे पास जो सूचना है, उनके उपलब्ध न होने की बात है। लोगों को पांच पांच, दो दो, ढाई-ढाई रुपये देना है और एक दिन में ५०, ६०या १०० से ज्यादा मनीआर्डर नहीं होते, इस लिये महीनों यह क्रम चलेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि शुगर फैक्टरी के पास इतने ऐसेट्स हैं जब सरकार चाहेगी जब सरकार इरादा कर लेगी तो तत्काल वसूल कर लेगी, क्या इससे यह नतीजा निकाल कि सरकार नहीं चाहती है, सरकार का वसूल करने का इरादा नहीं है इसलिये अब तक वसूल नहीं हुआ, और कब वह चाहेगी, कब उसका इरादा होगा कि वह इस रकम को वसूल कर ले ?

श्री राजमंगल पांडेय—

श्रीमन्, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कानूनी नोटिस मिलने के बाद वसूलियाबी की कार्यवाही की जायगी।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिसीवर नियुक्त किया गया है उससे पहले जो काश्तकारों का रुपया बाकी था वह रिसीवर एप्वाइंट करने के बीच में उसमें कुछ उन्नति हुई है अथवा प्रमोशन हुआ है ? तो काश्तकारों को कम्पन्सेशन देते वक्त आप सारा रुपया काटकर देने का विचार करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, इसके कोई आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । लेकिन इस संबंध में रिसीवर नियुक्त करने में कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि उसमें कुछ बैंक भी ऐफिलियेटेड हैं । वे भी उसको मानने के लिये तैयार हैं अथवा नहीं हैं । अतः नोटिस मिलने के बाद ही हम उसे देने के लिये तैयार हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो कमलापति मोतीलाल शुगर मिल और मीनाक्षी शुगर मिल है और इनके जो प्रोप्राइटर हैं वे अलग-अलग है । तो वे कौन-कौन हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय---

श्रीमन्, हम लोगों को आभास नहीं था कि इस प्रश्न के संबंध में इतने दूर तक प्रश्न पूछे जायेंगे । अतः इसके लिए सूचना की अवश्यकता होगी और तभी हम बता पायेंगे कि नये डाइरेक्टर्स कौन-कौन हैं ।

*१६-१७---श्री रामचन्द्र विकल---

[७वें मगलवार के लिए ता० प्र० संख्या ४० - ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूमि बिक्रेता श्री हरीसिह राना के विरुद्ध मुकदमा

*१८--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

विधान सभा की बैठक, दिनांक २१ अगस्त, १९६९ को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब बिक्रेता को पूर्ण भूमि बिक्रय करने को अधिकार नहीं था तो इस सबन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की और उल्लिखित व्यय विभाग ने किस आधार पर किया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री आबिद अली)---

शासन ने विक्रेता श्री हरी सिह राना के विरुद्ध दीवानी मुकद्दमा दायर कर दिया है और वह चल रहा है इसके अतिरिक्त एक फौजदारी मुकद्दमा चलाने के लिये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है । भूमि क्रय करने पर व्यय स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री कृपा बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में इस सदन में समय-समय पर प्रश्न हुये हैं । २० अगस्त, १९६९ को इस सदन में सूचना दी गई थी कि हम जांच करवा रहे हैं और जिनकी गलती पकड़ी जायेगी उनके ऊपर कार्यवाही की जायेगी । तो क्या अभी तक केवल यही कार्यवाही हो सकी है ? जैसा अभी तक सदन में मंत्री महोदय ने बताया कि हमारे अधिकारियों की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है ?

श्री बेनी सिंह---

सदस्य महाशय ने बड़ा लम्बा सवाल कर दिया। जहां तक सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्यवाही का सवाल है वह कार्यवाही हो रही है और मुकदमा जो था वह दीवानी में चल रहा है। पहले कोई राना साहब थे उन्होंने कम्प्रोमाइज के लिये दरखवास दी थी । २९ मई को उन्होंने वापस कर ली है । अब मुकद्दमा फिर से नये सिरे से चलेगा ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या उद्योग मंत्री को यह जानकारी है और जहां तक मेरे प्रश्न की सूचना है कि जितनी भूमि उस वक्त रेशम विभाग ने खरीदी थी वह भूमि विक्रेता की न होकर ग्राम के कामन मैन की है ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष---

आप अब इतने सवाल न पूछिये । आप भाषण देने लगे ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस जमीन पर रेशम विभाग ने कब्जा किया है उसमें अधिकांश भूमि कामन मैन की है ?

श्री बेनी सिंह---

यह ६४ बीघा ३ विस्वा जमीन १० हजार रुपये की खरीदी गई थी । ३५ बीघा साढ़े पन्द्रह बिस्वां जमीन हस्तातंरण हो चुका है । बाकी जमीन पर मुकद्दमा चल रहा है । ३५ बीघा यानी साढ़े पन्द्रह बिस्वां जमीन पर कब्जा मिल गया है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या उद्योग मंत्री जी कामन लैंड जो उन्होंने एक्वायर की है, उसको छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

जब किसी आदमी से कब्जा मिला ही नहीं है तो फिर उसको देने की क्या बात पैदा होती है ?

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री जी इस मेरी सूचना को सच मान कर कि वह भूमि तार के अन्दर बन्द की हुई है और अगर वह वायर फेंसिंग के अन्दर है तो उसको छोड़ने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

इसकी जांच करवा लेंगे । उसके बाद जो भी कार्यवाही मुनासिब होगी, की जायगी ।

*१९--श्री गोविन्द सिंह--

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन, रेनूकूट, मिर्जापुर के हड़ताली श्रमिक

*२०--श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान अल्मोनियम कारपोरेशन, मिर्जापुर, में सन् १९६७ ई० में सम्पूर्ण हड़ताल में कितने श्रमिक सेवा से निलम्बित किय गये थे और कितनों को पुनः सेवा में रख लिया गया और अब तक कितने नहीं रखे गये तथा ऐसा क्यों ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मेसर्स हिन्दुस्तान अल्मुनियम कारपोरेशन रेनुकूट, मिर्जापुर में सन् १९६७ ई० में कोई हड़ताल नहीं हुई थी, बल्कि दिनांक १२-८-६६ को लगभग ३ बजे सायंकाल बिना किसी पूर्व सूचना के श्रमिको ने हड़ताल किया था। सेवायोजकों ने उपरोक्त गैर कानूनी हड़ताल में सक्रिय भाग लेने वाले २९२ श्रमिकों को कार्य से निलम्बित कर दिया था जिनमें से २४७ श्रमिकों को पुनः कार्य पर ले लिया गया। शेष ४५ श्रमिकों का विवाद दोनों पक्षों में सपन्न समझौता के अनुसार पंचनिर्णय हेतु सौंप दिया गया था। पंचनिर्णय का अन्तिम निर्णय अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एलेक्शन पिटीशन, श्री कृष्ण प्रसाद बनाम श्री प्रेम चन्द्र शर्मा में पाये गये मत पत्रों का टेम्परिंग

*२१--श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री बी० के० मिश्र, जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलेक्शन पेटीशन, श्री कृष्ण प्रसाद बनाम श्री प्रेम चन्द्र शर्मा में निर्णय दिया है कि हाई कोर्ट के कार्यालय में मत पत्रों का टेम्परिंग हुआ है और २५३ मत-पत्रों पर दुबारा निशान लगाये गये हैं ? उपरोक्त जज ने अपने निर्णय में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार का इन मामले की जांच करके अपराधी पता लगाने का भी आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई, उसका क्या परिणाम हुये ?

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

यह सत्य है कि इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एलेक्शन पेटीशन नं० १९ आफ १९६९, श्री कृष्ण प्रसाद बनाम श्री प्रेम चन्द्र शर्मा में यह पाया कि २५३ मतपत्रों का टैमपरिंग हुआ है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिये हैं कि इस मामले की जांच करके अपचारी (delinquent) कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। इस मामले की जांच जारी है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

श्री उमाशंकर शुक्ल--

इस मामले की जांच कौन कर रहा है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह जांच हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार साहब द्वारा की जा रही है।

श्री उमा शंकर शुक्ल--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय जाने वाला है और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा अथवा अन्य किसी केन्द्रीय एजेन्सी द्वारा करायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जब तक इस जांच के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आयेगी तब तक दूसरी एजेन्सी के द्वारा जांच कराना मुनासिब नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मामले की गम्भीरता को देखते हुए क्या मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० अथवा पुलिस के द्वारा कराने का निर्णय लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं मालूम हो रही है क्योंकि जो जांच हो रही है, बिना किसी शिकायत के उसमें दखल देना मुनासिब नहीं मालूम पड़ता ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

हाईकोर्ट की यह निश्चित फाइंडिग है कि २५३ मत-पत्रों पर दुबारा मुहर लगायी गयी है । यह मत-पत्र किसकी निगरानी में थे, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिन्होंने उसका टेंपरिंग किया है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय, इस पर विचार हो रहा है । अभी यह जजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है और हो सकता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो ।

श्री रामगोपाल संड---

यह बड़ा गम्भीर मामला है कि मतपत्रों पर दूसरा ठप्पा लगा दिया गया । क्या रजिस्ट्रार महोदय ने अपराध करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या मंत्रीजी शीघ्र उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जैसा मैंने अर्ज किया इसकी जांच हो रही है रजिस्ट्रार द्वारा और उसमें जो-जो व्यक्ति अपराधी पाये जायेंगे उन सब के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)---

इस पेटीशन में जजमेंट कब हुआ और बैलट पेपर की टैम्परिंग के जांच के आदेश कब किये गये और इसमें इतना विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)---

इसको ६ महीने के लगभग हो गये और रजिस्ट्रार किस प्रकार से अपने विभाग के लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और जिन लोगों की कस्टडी में वह बैलट पेपर्स थे उनको फौरन सस्पेन्ड किया जाना चाहिये था तो सरकार इन सब चीजों को देखते हुय इस मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द करने पर विचार करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसका जवाब दिया जा चुका है । जब तक इस जांच के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयेंगी तब तक दूसरी जांच बिठाना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या मंत्री जी को पता है कि ये बैलट पेपर्स किस की कस्टडी में थे और उस पर्टिकुलर अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष---

वह दस दफा कह चुके कि इसकी जांच रजिस्ट्रार कर रहे है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह नहीं है हाई कोर्ट ने यह निश्चित फाइन्डिग दी कि २५३ मत-पत्रों पर दोबारा मुहर लगा दी गयी तो जिस आदमी की कस्टडी में ये होंगे वह तो मेन कल्प्रिट हुआ। उसकी जांच की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

आप समझते हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है और रजिस्ट्रार जांच कर रहे हैं। तो वही तो कहेंगे कि इसकी कस्टडी में थे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

तो इतना बता दें कि वह किसकी कस्टडी में थे ?

श्री अध्यक्ष---

वह कैसे बता दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह देखते हुये कि इसमें काफी देर हुई है और रजिस्ट्रार अधिक से अधिक इतना कर सकेंगे कि वह यह बता दें कि अमुक आदमी का इसमें हाथ हो सकता है। क्या मंत्री जी इसको उपयुक्त नहीं समझेंगे कि इस जांच को तुरन्त सी० आई० डी० के सिपुर्द करें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जैसे माननीय सदस्य ने यह सवाल किया तो मैंने अर्ज किया कि किसकी कस्टडी में थे यह जांच से ही पता चलेगा और जहां तक दूसरी जांच का सवाल है, अब शासन के पास उस जांच के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आयी है। इसलिये यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि दूसरी जांच बिठायी जाय।

*२२---श्री राम निहोर राय---

[७वें मंगलवार के लिए प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

श्री आर० पी० अवस्थी, सहायक, सामान्य प्रबन्धक, कानपुर, के विरुद्ध शिकायत

*२३---श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० पी० अवस्थी, सहायक सामान्य प्रबन्धक, राजकीय नगर बस सेवा, कानपुर के विरुद्ध चल रहे परिवाद सन् १९६७ पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

प्राप्त शिकायतों की जांच कराने पर उन्हें निराधार पाया गया। श्री अवस्थी के विरुद्ध लगभग २० शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

*२४---श्री श्यामलाल (अनुपस्थित)---

क्या मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उनके विरुद्ध कुल कितने परिवाद दिये गये और क्या यह सही है कि इन्हीं परिषदों क आधार पर इसक पूर्व उनका स्थानान्तरण कानपुर से किया गया था और बिना पूरी जांच हुय फिर उन्हें कानपुर ही बुला लिया गया। यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

शिकायतों के आधार पर ही श्री अवस्थी का स्थानान्तरण शाहजहांपुर किया गया था। परन्तु शिकायतों के निराधार पाये जाने पर इनका स्थानान्तरण पुनः कानपुर कर दिया गया था।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या २३-२४। श्री श्यामलाल।

श्री प्रेमचन्द शर्मा---

अभी मैंने एक ही प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष---

बहुत प्रश्न हो चुके।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

तो यह क्या तरीका है कि आगे वालों को ही सवाल पूछने का मौका दिया जाय ? इसमें मैं साफ कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी इस चीज को दबा रहे हैं। ६ महीने से कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई आदमी सस्पेंड नहीं हुआ और इसका कारण मैं बता दूं कि यह सब कार्यवाही बी०के०डी० के जो केन्डीडेट थे उन्होंने करवाई और इसको दबाया जा रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, यह बड़ा स्पष्ट आरोप है जो प्रेमचन्द्र जी ने लगाया है।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि इसमें जांच हो रही है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

हम लोगों ने केवल इतना कहा कि ६ महीने.....

श्री अध्यक्ष---

वह तो ठीक है.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या हम यह सुझाव न दें कि इसको तुरन्त.....

श्री अध्यक्ष---

आपने तो सुझाव दिया लेकिन वह नहीं मानते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के कार्यालय में यह गड़बड़ी हुई है। तो इसमें आप दो, तीन सवाल और करने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष---

नियम ४९ आपके पास मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह कहा जा रहा है कि पता नहीं लगा कि किसकी कस्टडी में कागजात रहते हैं, तो यह तो वह बता सकते हैं।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा कि जब शिकायत की जायगी तभी जांच करायेंगे, तो अब शिकायत की जा रहीं है,मंत्री जी आवश्वासन दें कि सी० आई० डी० से जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मुझे लिख कर दें तो मैं उनसे पूछूंगा।

राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्त हरिजन अभ्यर्थी

*२५—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६१ की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले कितने अभ्यर्थियों को पैसेंजर टैक्स आफिसर (यातायात विभाग) बनाया गया था तथा उसमें हरिजन अभ्यर्थी कितने थे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा, १९६१ के आधार पर पांच अभ्यर्थियों को पैसेन्जर टैक्स आफिसर के पदों पर नियुक्त किया गया था। इनमें हरिजन अभ्यर्थी एक था।

*२६—श्री रामवचन यादव तथा श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

[७वें मंगलवार के लिए प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२७—श्री गंगा प्रसाद—

[७वें मंगलवार के लिए प्र० सं० ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२८—श्री सूबेदार प्रसाद—

[१ली मई, १९७० को प्र० सं० ६० के अन्तर्गत उत्तरित्त।]

जरवल चीनी मिल, बहराइच, पर काश्तकारों का बकाया

*२९—श्री बासुदेव सिंह तथा श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल चीनी मिल, बहराइच पर काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है तथा वह रुपया कब तक दिया जायगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जरवल चीनी मिल, जिला बहराइच, पर काश्तकारों का पुराना (१९६८–६९ सीजन का) बकाया ३०-४-७० तक रु० ७.८९ लाख था तथा नया बकाया (१९६९–७० सीजन का) रु०१३.५८ लाख था। उक्त बकायों की यथाशीघ्र वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है

श्री बासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह रुपया कब तक वसूल हो जायगा और किसानों को मिल जायगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह कार्यवाही करने का अधिकार हमको है और कर रहे हैं। उनको जेल भेज दें या उनकी प्रापर्टी कुर्क करा लें, लेकिन कब तक पूरा रुपया वसूल हो जायगा इसका आश्वासन हम कैसे दे सकत हैं ?

श्री हिम्मत सिंह---

क्या मंत्री जी ऐसे मेथड्स उन पूंजीपतियों के खिलाफ प्रयोग करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा रुपया जल्दी से जल्दी वसूल हो सके ?

श्री राजमंगल पांडेय---

पुराने बकाया के लिये २-५-७० को रिकवरी सार्टिफिकेट जारी किये जा चुके हैं और अब के बकाया के वसूली के लिये सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसके पहले समझौता हुआ था कि जितनी चीनी बिकती है उनकी उसकी १८-२० परसेंट धनराशि स्वत: सरकार को मिल जाती है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं ?

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

वसूली के लिये प्रयास किया जा रहा है तो अभी तक कितना रुपया वसूल हो चुका है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

वैसे तो कुल बकाया ७६.५४ लाख था। ६२.६९ लाख रुपया काश्तकारों का वसूल करके भुगतान कर दिया गया है। जो १३.५८ लाख पहले का बाकी है उसी की वसूली की बात है---यह इधर का है। मुझे जहां तक इत्तला है यह करीब १ महीने की ही केन प्राइस का पैसा है। पहले की वसूली के लिये रिकवरी सर्टिफिकेट २ मई को जारी हो चुके हैं।

श्री भानु प्रताप सिंह---

मैं इसको परिवर्तित कर देता हूं। क्या सरकार उद्योगपतियों को जेल भेजने की प्रक्रिया को अपनायेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय---

यह प्रक्रिया सबके लिये एक जैसी है, लेकिन कुछ और जो कायदे कानून बने हुये है, जब सभी फेल हो जाते हैं तभी यह आखिरी प्रक्रिया है। हमने बता दिया कि २-५-७० को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिये, उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं आयी कि हम फैक्टरी अटैच करें जो कि इसके बाद की प्रक्रिया है।

जब सारी प्रक्रिया फेल हो जायगी तो वह आखिरी प्रक्रिया है।

श्री हिम्मत सिंह---

मंत्री जी ने अभी बताया कि कोई ऐग्रीमेन्ट हुआ था उसके हिसाब से बकाया का रुपया देते हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितना रुपया बकाया का प्रतिमास देते हैं ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मैंने बताया कि जितनी फैक्टरीज हैं वे बैंक से लोन लेती है और उसके बदले अपनी चीनी प्लेज करती हैं। बैंक से उनको ७०, ८० प्रतिशत रुपया मिल जाता है और शेष बाद में मिलता है। जो पुराना बकाया था उसके लिये रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। रुपया वसूली में कुछ दिक्कतें आती हैं। वसूल तो किया जाता है लेकिन सारी प्रक्रियायें एक साथ नहीं हो सकतीं।

ए० टी० आई० तथा क्लर्क पद के लिए नियुक्त किये गये परिगणित जाति के अभ्यर्थी

*३०---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद, गोरखपुर के महाप्रबन्धक, यातायात के पास जनवरी, १९६९ से दिसम्बर, १९६९ ई० तक ए० टी० आई० एवं क्लर्क पद हेतु कितने

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं ? इनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ? इनमें से कितने को सेवा-कार्य में लिया गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

उक्त अवधि में प्रधान प्रबन्धक ,गोरखपुर के पास ए० टी० आई० तथा क्लर्क के लिये क्रमश: २४ ३३ और १४८ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये । इनमें से ए० टी० आई० के लिये ४ तथा क्लर्क के लिये ८ प्रार्थना-पत्र परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के थे । एक परिगणित जाति व तीन अन्य जातियों के व्यक्तियों के क्लर्क के पद पर अल्पकालिक अवकाश सम्बन्धी रिक्तियों में नियुक्त किया गया । इस समय केवल एक व्यक्ति जो परिगणित जाति का है वह अवकाश सम्बन्धी रिक्त पद पर कार्य कर रहा है ।

श्री फिरंगी प्रसाद सिंह---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर में कितने परिगणित जाति के व्यक्तियों के नाम अंकित हैं और उनसे में किस नाम का व्यक्ति लिया गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट का है, वह अवकाश की रिक्तियों पर काम करने के लिये रखा गया है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि शासन ने सब विभागाध्यक्षों को आदेश भेजे हैं कि जो स्थान रिक्त हों उन पर २५ फीसदी तृतीय श्रेणी में और ४५ प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रखे जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

जी हां, ऐसे आदेश हैं ।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मंत्री जी महाप्रबन्धक, गोरखपुर से पूछने की कृपा करेंगे कि कुल कितने स्थान रिक्त थे और उनमें से कितने पर शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

इसको हम पूछ लेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ए० टी० आई० के कितने पद खाली हैं और उन पर नियुक्ति कब की जायेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम प्यारे--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि रिजर्वेशन के आदेश रहते हुए हरिजनों की नियुक्ति नहीं की जाती है यह कह कर कि जो न्यूनतम योग्यता है वह नहीं रखते । तो क्या मंत्री जी इस प्रकार के आदेश देंगे कि जो परसेन्टेज भर्ती के लिये रिजर्व है उसके अनुपात से उनको लिया जाय और इस तरह के बहाने करके उनको न टाला जाय ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

श्रीमन्, जो आर क्षण की नीति है उनके आदेश बराबर सरकार से जाते हैं। इसके बारे में पुनः लिख दिया जायेगा ।

श्री राम किशोर (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या प्रान्तीय स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा करके ए० टी० आई० की नियुक्ति करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, यह नीति का प्रश्न है। भर्ती किस तरह से हो इसकी विधि हम जानने वाले हैं और उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्रीजी बतावेंगे कि जब ए० टी० आई० और क्लर्कों की जगह खाली नहीं थी तो यह दरख्वास्तें क्यों ली गयीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

मान्यवर, इस विभाग में अपने आप लोग दरख्वास्ते भेजते रहते हैं।

हिन्दुस्तान स्टील स्टाक यार्ड्स से प्रदेश के फेब्रीकेटरों को काली चादरों की सप्लाई

*३१--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित हिन्दुस्तान स्टील स्टाक यार्डों से भी प्रदेश के फेबरीकेटरों के कच्चे माल की अभाव पूर्ति की जाती है ?

श्री आबिद अली--

अब तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्टाक यार्ड्स से प्रदेश के फेबरीकेटरों को काली चादरों के टुकड़े ही दिलाये जा सके हैं, अब से डिफेक्टिव काली चादर एवं स्केलप इत्यादि भी दिलाया जाना शुरू कर दिया गया है।

*३२--श्री प्यारे लाल--

क्या उद्योग मंत्री को विदित है कि मेरठ जिले के फेबरीकेटर्स का तीन वर्षों का कोटा बकाया है ? भविष्य में निर्धारित श्रेणी के अनुसार जो माल दिया जाना है वह कब से शुरू करेगी ?

श्री आबिद अली--

मेरठ जिले के फेबरीकेटर्स के लिये निर्धारित काली चादरों के तीन वर्ष के बकाया कोटे के माल का बंटना अभी बाकी है। इनके मांग पत्र यथासमय संयुक्त संयंत्र समिति (ज्वांइट प्लान्ट कमटी) कलकत्ता द्वारा पारित होकर उत्पादकों के पास पड़े हुए हैं। उनका माल प्राप्त होते ही लघु उद्योग निगम द्वारा फेबरीकेटर्स को वितरित कर दिया जायेगा। भविष्य में भी निर्धारित श्रेणी के अनुसार ही माल दिया जायगा। वितरण शुरू होने की तिथि अभी निश्चित नहीं है ।

श्री प्यारे लाल--

क्या मंत्रीजी बतावेंगे कि काली चादरों का कोटा कब से मिलना शुरू होगा ?

श्री बेनी सिंह—

जो आर्डर्स आते हैं उनको ज्वाइंट प्लान्ट कमेटी पारित करके मैन्यूफैक्चरर्स के पास भेज देती है और जितना माल तैयार होता जाता है वह भेजते हैं और जितना माल आता है वह उनको मिलता है ।

श्री प्यारे लाल—

फेबरीकेटर्स के अलावा जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनको दो, दो सौ और चार-चार सौ टन के परमिट दे दिये जाते हैं और छोटे उद्योग धंधे वालों को जिनके तीन साल के कोटे मंजूर पड़े हैं उनको क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री बेनी सिंह—

कृपया प्रश्न फिर साफ कर दें ।

श्री प्यारे लाल—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतावेंगे कि जो छोटे-छोटे उद्योग वाले फेब्रीकेटर्स हैं जिनके यहां काली चादर का इस्तेमाल होता है उनको काली चादर न देकर बड़े-बड़े आयल इक्सपेलरर्स और दूसरे बड़े उद्योग वालों को काली चादर का परमिट दो, दो सौ और चार, चार सौ टन का दिया गया है जो खुद इस्तेमाल नहीं करते और ब्लैक करते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

इस प्रकार की सूचना हमारे पास नहीं है । अगर आप इत्तला करेंगे तो हम दिखला लेंगे । वैसे सभी के इन्डेन्ट आते हैं और उनको मैन्यूफैक्चर्स के पास भेज दिया जाता है और मैन्यूफैक्चर्स सीधे उनके पास भेजते हैं ।

श्री प्यारे लाल—

उद्योग मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह मेरे सवाल से संबंधित नहीं है । मेरा सवाल यह है कि फैब्रीकेटर्स जिनके यहां काली चादर का इस्तेमाल होता है उनका तीन साल से कोटा मंजूर पड़ा है और मंत्री जी ने बताया कि उनको देने के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं है और मिसाल के तौर पर पंजाब आयल इक्सपेलर और गुरुनानक इंजीनियरिंग कम्पनी, गाजियाबाद को जिनके यहां काली चादर का इस्तेमाल नहीं हैं उनको दो सौ टन का परमिट दिया गया ।

श्री बेनी सिंह—

मैंने अर्ज किया कि मेरे पास इसकी सूचना नहीं है । अगर आप सूचना देंगे तो मैं जांच करा लूंगा । लेकिन यह सही है कि जितनी डिमांड है उतना माल नहीं मिलता है । हमारे पास ४२३ फैब्रीकेटर्स हैं । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार उनको ४७७८ मेट्रिक टन कच्चा माल प्रतिवर्ष मिलना चाहिये किन्तु १९६८–६९ में ५५३ मे० टन तथा १९६९–७० में ५५५ मैट्रिक टन का ही निदेशन राज्य की मेटेरियल रिसोर्सेज कमेटी कर सकी । १९६७–६८ में स्टेट के फेब्रीकेटरों का कुल कोटा २९११ मे० टन था जिसमें से २५६४ मे० टन के इंडेन्ट का वैगन लोड में कर दिये गये थे शेष ३४७ मेट्रिक टन में से ३०७ मेट्रिक टन का निदेशन कानपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, देहरादून और मुजफ्फरनगर जिलों में फैब्रीकेटरों को कर दिया गया है जिसमें से मेरठ जिले के १० फैब्रीकेटरों को ५२.९० मे० टन का निदेशन किया गया है शेष ४० मे० टन का निदेशन माल प्राप्त होने पर किया जावेगा ।

श्री प्यारे लाल—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में तीन साल से कोटा मंजर है परन्त उनको एक भी काली चादर आज तक नहीं मिली है जैसाकि आपन भी अपने

उत्तर में कहा है। उनका कोटा तो मंजूर है परन्तु उनको डेट नहीं बतलाई जा सकती कि कब उनको मिलना आरम्भ होगा परन्तु साथ ही जिन लोगों का कोई भी कोटा नहीं मंजूर था उनको २००-२०० टन तक इसको दिया गया है। यह किस प्रकार से हुआ है ?

श्री बेनी सिंह---

ऐसा तो नहीं हुआ है । यदि आप कोई ऐसा केस बतायें तो हम जांच करवायेंगे ।

श्री प्यारे लाल---

जिन लोगों का कोटा है उनको कोई निश्चित तिथि इसके सप्लाई करने की नहीं दी जा रही है, जैसा कि आपके उत्तर में ही है। कब तक इसकी तिथि का निर्धारण की जा सकेगी ।

श्री बेनी सिंह---

हमारा इन्डेन्ट जाता है और मैन्यूफैक्चरर माल बनाते हैं और वह अपने हिसाब से इसको बांटते हैं। यह ठीक है कि वह पड़ा है परन्तु जब वह मिलेगा तब उनको भी दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि मेरठ में जो आयल एक्सपेलर वगैरह हैं और जो ब्लैक शीट्स स्तेमाल नहीं करते हैं उनको भी कोटा दिया गया है ? अगर दिया गया है तो वह कितना कितना है और उसका यूटीलाइजेशन किस तरह से हुआ है ? साथ ही जिन लोगों का ३ साल पहले ही कोटा मंजूर कर लिया गया था उनको भी जल्दी से जल्दी दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह---

मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जांच करवाऊंगा। यह मैन्युफैक्चरर्स के पास है और जब देंगे तभी हो पायेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऐसा न करने से कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इस कारण से उनको पिछले आदेशों को रिवाइज करना चाहिये। क्या मंत्री जी इसको देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे ।

(उत्तर नहीं दिया गया ।)

बिक्री-कर की बकाया धनराशि

*३३---श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७० तक बिक्री-कर का कितना धन प्रदेश में बकाया है ?

श्री बलवीर सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही दी जायेगी ।

श्री कृष्ण स्वरूप---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हुआ कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, इस प्रश्न को किसी और दिन के लिये स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है ।

श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम सेमरी, जिला मिर्जापुर, की बस एक्सीडेंट में मृत्यु तथा प्रधान प्रबन्धक, वाराणसी, द्वारा श्रीमती धर्मा देवी को अन्तरिम सहायता

*३४—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० १२ अप्रैल, १९६८ को रोडवेज की बस नं० ९६८३ से स्थान सेवरा मेंछीपुर के बीच, जी० टी० रोड पर श्री राम चन्द्र सिंह, ग्राम सेमरी (चौहान का पूरा) पोस्ट महामलपुर, जिला मिरजापुर, थाना उछवां का एक्सीडेंट हो गया जिनकी मृत्यु सरकारी अस्पताल (शिव प्रसाद गुप्त) वाराणसी में १३ अप्रैल, १९६८ को हो गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

इस दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गयी तथा नियमानुसार जिलाधीश महोदय को उनकी संस्तुति के लिये भेज दी गई। चूंकि ड्राईवर के विरुद्ध पुलिस केस न्यायालय के विचाराधीन है, अतः न्यायालय के फैसले के पश्चात् ही जिलाधीश मुआवजे की संस्तुति दे सकते हैं ।

*३५—श्री सजीवन लाल—

क्या रामचन्द्र सिंह की स्त्री श्रीमती धर्मा देवी का प्रार्थना-पत्र मुआवजे के सम्बन्ध में पेटीशन आफिसर, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या ५–५७३/३४–१९६९, दिनांक लखनऊ ७ जून, १९६९ के द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को मुआवजे हेतु उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया है ? यदि हां, तो परिवहन आयुक्त ने मुआवजे के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

श्रीमती धर्मा देवी के प्रार्थना-पत्र पर मुआवजा देने के संबंध में विचार न्यायालय द्वारा फैसले के पश्चात् जिलाधीश, वाराणसी की संस्तुति तथा लोअर ट्रिबुनल द्वारा उक्त संस्तुति के अनुमोदन के बाद ही हो सकता है। प्रधान प्रबन्धक वाराणसी ने श्रीमती धर्मादेवी को अन्तरिम सहायता हेतु रु० १,००० देने के लिये आदेश कर दिये हैं जिसकी सूचना श्रीमती धर्मा देवी को दी जा चुकी है ।

श्री सजीवन लाल—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से भली-भांति मालूम हो चुका है कि सरकार की बस द्वारा उसकी मृत्यु हुई है और एक हजार रुपया अन्तरिम सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया है । यह एक हजार रुपया कम है इस हालत में क्या मंत्री जी और ज्यादा सहायता देने का विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि एक हजार तो अन्तरिम सहायता है। अब चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये वहां का फैसला होने पर और जो कुछ भी होगी सहायता की जायगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस मामले में सहायता करने के लिये सरकार स्वयं विचार करती है या उसके सम्बन्धियों को कोई प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

ज्यों ही स्थानीय अधिकारियों से दुर्घटना की सूचना मिलती है, सरकार स्वयं फैसला लेकर अन्तरिम सहायता देती है ।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुकदमा चल रहा है । मान्यवर, मुकदमा तो ड्राइवर के खिलाफ फौजदारी का चल रहा है, उसका मुआवजे से कोई सम्बन्ध नहीं है, लिहाजा मुआवजे के लिये मुकदमे का इन्तजार क्यों किया जा रहा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

श्रीमन्, मेरे पास तो यही सूचना है कि न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय में बहुत-सी बातें आ सकती हैं, मुमकिन है कुछ और चीज आ जाय । तो जब तक उसका फैसला न हो जाय तब तक हम उस पर विचार नहीं कर सकते ।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, उत्तर में ही यह लिखा है कि मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ चल रहा है, मुआवजे का नहीं है । तो मेरा निवदन है कि ऐसी हालत में उसके निर्णय का क्यों इन्तजार किया जा रहा है जबकि आप एडमिट करते हैं कि आदमी मरा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जिलाधीश महोदय ने संस्तुति की है और उन्होंने वापस कर दिया यह कह कर कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है । तो जब उनकी संस्तुति होगी तभी हम कुछ करेंगे ।

श्री सजीवन लाल—

श्रीमन्, न्यायालय के फैसले में तो ज्यादा देर है । उसके बीबी बच्चों को जिन्दा रहने के लिये मुआवजे की शकल में रकम देने को मंत्री जी तैयार हैं या नहीं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

अन्तरिम सहायता एक हजार रुपये की दी जा सकती है, वह हमने दे दी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या मंत्री जी जिलाधीश की सूचना छोड़ कर अपने विवेक से काम लेने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजी सहायक—

मान्यवर, नियम बने हैं, उन्हीं के आधार पर मुझे काम करना होगा ।

जिला परिषद् सीतापुर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के संबंध में अध्यादेश

*३६—श्री रामलाल राही—

क्या पंचायती राज मन्त्री बतलानेकी कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अप्रैल, १९६७ को तत्कालीन मुख्य मंत्री के प्रश्नकर्त्ता ने अपने कई व्यक्तियों के साथ जिनमें कई सदस्य जिला परिषद्, सीतापुर, के भी थे, के द्वारा लिखित आवेदन-पत्र ६४ संलग्नों सहित जिला परिषद्, सीतापुर, के विरुद्ध प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित आवेदन-पत्र द्वारा लगाये गये आरोपों में से किन-किन की जांच कराई जा चुकी है और किन आरोप की जांच करवानी शेष है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

यह ठीक है एक आवेदन-पत्र मिला था। कितने संलग्नक थे, इस समय नहीं कहा जा सकता उस पर जांच इसलिये नहीं कराई गई क्योंकि इस प्रकार की जांच के लिये उपयुक्त पत्र पर विचार हो रहा था। कुछ दिन बाद इस प्रकार की जांचों के लिये एक अध्यादेश जारी कर दिया गया था जिसके अनुसार अध्यक्ष, आदि के विरुद्ध कदाचार के आरोप सीधे महामान्य राज्यपाल को भेजे जा सकते थे।

श्री रामलाल राही---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक आवेदन-पत्र जिसका जिक्र किया गया कि उन्हें प्राप्त हुआ, क्या यह वही आवेदन-पत्र है जो १२ अप्रैल, ६७ को दिया गया और जिसके साथ ६४ अन्य पत्र संलग्न थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

उस आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि हमारे विभाग में नहीं आयी।

श्री रामलाल राही---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अध्यादेश जिसका जिक्र उन्होंने किया है, वह अब तक लागू है ? यदि नहीं, तो क्या १२ अप्रैल, ६७ के प्रार्थना-पत्र पर अब जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

जहां तक मुझे मालूम है अध्यादेश अब तो नहीं है। जांच करने के लिये कागजात भी हमारे पास नहीं हैं। हमने कोशिश बहुत की लेकिन हमको मिल नहीं सके।

प्रदेश में चालू चीनी मिलें तथा बाकी गन्ने की पेराई की व्यवस्था

*३७---श्री हिम्मत सिंह---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ८ अप्रैल, १९७० को प्रदेश में कुल कितना गन्ना पेरने के लिये बाकी था तथा उसके पेरने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चरण सिंह---

दिनांक ८ अप्रैल, १९७० को प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में लगभग पांच करोड़ क्विंटल गन्ना पेरने के लिये बाकी था। मिलों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्र का गन्ना समाप्त कर के ही बन्द हों।

*३८---श्री हिम्मत सिंह---

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ८ अप्रैल, १९७० को प्रदेश में कौन-कौन सी चीनी मिलें चालू थीं ?

श्री चरण सिंह---

पूर्वी क्षेत्र की भटनी चीनी मिल के अलावा ८ अप्रैल, १९७० को अन्य सभी मिलें चालू थीं।

*३९---श्री जगन्नाथ खन्ना---

[७वें मंगलवार के लिए प्र० सं० ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*४०---श्री गोविन्द सिंह---

[६ ठें गुरुवार के लिए प्र० सं० ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नोट---तारांकित प्रश्न ३६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४१–४२––श्री निर्भय नारायण सिंह––

[७वें मंगलवार के लिए तारांकित प्र० सं० ४६–४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तुलसीपुर शक्कर मिल पर गन्ना काश्तकारों का बकाया रुपया

*४३––श्री सूरजलाल गुप्ता (जिला गोंडा)––

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोंडा, के तुलसीपुर शकर मिल पर इस वर्ष के सीजन का गन्ना के काश्तकारों का कितना रुपया बकाया है ?

श्री चरण सिंह––

जनपद गोंडा के तुलसीपुर शक्कर मिल पर सीजन १९६९–७० का ३०–४–१९७० तक काश्तकारों का गन्ना मूल्य की ओर रु० १०.५८ लाख बकाया था। यह धनराशि इसी सीजन के १४ दिन के अन्दर की बकाया है।

*४४––श्री सूरजलाल गुप्त––

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के तुलसीदास गन्ना विकास विभाग पर वर्ष १९५८–५९ से वर्ष १९६८–६९ तक कितना रुपया गन्ना के काश्तकारों का बकाया है ? क्या उक्त बकाया धनराशि का भुगतान शीघ्र करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह––

प्रश्न स्पष्ट नहीं है। तुलसीपुर चीनी मिल काश्तकारों को गन्ना मूल्य स्वयं भुगतान करती है और प्रश्न में उल्लिखित वर्षों का इस मद में कुछ भी बकाया नहीं है।

लालबाग, जिला सीतापुर बुनकरों के बिक्री केन्द्र की समाप्ति के संबंध में जांच

*४५––श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन उद्योग अधिकारी, सीतापुर ने लालबाग, जिला सीतापुर में स्थित बुनकरों के एकमात्र बिक्री केन्द्र को समाप्त करने का आदेश दिया है ? क्या इस विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मार्च, १९७० में प्राप्त हुआ है जिस पर शासन ने जांच का आदेश दिया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनी सिंह––

लालबाग, जिला सीतापुर में स्थित बुनकरों के एक मात्र बिक्री केन्द्र को समाप्त करने का आदेश जिला उद्योग अधिकारी ने नहीं दिया है बल्कि जिला अधिकारी, सीतापुर ने दिया है। इस विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र जो मार्च, १९७० में प्राप्त हुआ है उस पर जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।

सेवा मुक्त अनध्यापक कर्मचारियों द्वारा नौकरी तथा वेतन के सम्बन्ध में न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमें

*४६––श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)––

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३ से १९७० तक इलाहाबाद जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा जिन अध्यापकों अथवा अनध्यापक कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया उनमें से कितनों ने न्यायालयों से अपनी नौकरी तथा वेतनादि के विषय में कोई आदेश प्राप्त किये ? उन आदेशों का सरकार द्वारा कार्यान्वयन हुआ ?

श्री जगन प्रसाद रावत---

कथित अवधि में अध्यक्ष जिला परिषद्, इलाहाबाद ने १५ अनध्यापक कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जिनमें से दो कर्मचारियों ने नौकरी तथा वेतन आदि के विषय में न्यायालय में मुकदमें दायर किये थे जो कि अभी तक अनिर्णित है। उनके निर्णित हो जाने के उपरान्त जिला परिषद् उन आदेशों का स्वयं पालन करेगी। सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की। कार्यवाही अपेक्षित न होगी।

श्री बी० एन० पांडेय, जुडिशियल आफिसर, के इजलास से मिसिल गायब होना

*४७---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, कानपुर, की मातहत अदालत श्री बी० एन० पांडेय, जुडिशियल आफिसर की इजलास से मुकदमा नं० ४२/६९/४ हस्ब दफा २०९ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट, ग्राम बचीत जसू, परगना डेरापुर, ग्राम सभा बनाम दरशन सिंह आदि की मिसिल गायब कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त अदालत के विरुद्ध शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह मिसिल खो गई है। जो लिपिक पत्रावलियों एवं अन्य कागजात रखने के जिम्मेदार हैं उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री रामचरण---

[७वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया डिपो में बसों की फ्लीट

२---श्री हरिवंश सहाय---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो में १९६३-६४ में कितनी बसों की फ्लीट थी तथा कितनी बसें सड़क पर प्रतिदिन चलती थीं और १९७० में कितनी बसें प्रतिदिन सड़क पर चलती हैं?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो में १९६३-६४ में ५९ बसों की फ्लीट थी तथा ४१ बसें प्रतिदिन चलती थीं। १९७० में (फरवरी) ४० बसें प्रतिदिन सड़क पर चलती हैं।

जिला मुरादाबाद में लोगों को औद्योगिक विकास के लिये ऋण तथा चीनी मिलों पर बकाया धन

३---श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में जनवरी, १९६४ से जनवरी, १९७० तक कितने लोगों को औद्योगिक विकास के लिये ऋण दिया गया और उनमें से कितने लोगों ने कारखाने तैयार कर लिये हैं? जिन्होंने नहीं किये क्या उनसे एकमुश्त रुपया वसूल करने का सरकार का इरादा है?

श्री बेनी सिंह---

जिला मुरादाबाद में जनवरी, १९६४ से जनवरी १९७० तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ४१४ लोगों को औद्योगिक विकास क लिए ऋण दिया गया जिनमें स २४४ व्यक्तियों ने कारखाने

स्थापित किए। जिन्होंने ऋण का सदुपयोग नहीं किया, उनसे एकमुश्त वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

४—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में चीनी मिलों पर किसानों का कितना पैसा वर्ष १९६९ का शेष है तथा उनको कब तक दिया जावेगा ?

श्री चरण सिंह—

जिला मुरादाबाद में दो चीनी मिलें, कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा व अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर में है। यह मानकर कि प्रश्नकर्ता का अभिप्राय "वर्ष १९६९" से "वर्ष १९६८-६९" के सम्बन्ध में है, बकाया की स्थिति इस प्रकार है कि अयोध्या शुगर मिल, राजा का सहसपुर पर वर्ष १९६८-६९ का गन्ना मूल्य का बकाया कुछ नहीं है। कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा पर कथित वर्ष का ३०-४-१९७० तक १६.३५ लाख रुपया है। इस बकाया धनराशि के भुगतान हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये और मिल की चल और अचल संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। ८ अप्रैल, १९६९ से कुन्दन शुगर मिल, अमरोहा रिसीवर के अन्तर्गत चलाई जा रही है।

प्रयाग उच्च न्यायालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अस्थायी कर्मचारी

५—श्री रामगोपाल संड—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग उच्च न्यायालय में गत ५ वर्षों से कितने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं? उन्हें स्थायी करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गत ५ वर्षों से ६२ तृतीय श्रेणी के और ३० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थायी हैं। इनमें से ३२ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के और १८ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अस्थायी पदों को स्थाई करने का प्रस्ताव वर्ष १९६९-७० के बजट में शामिल हो चुका है। इसके अतिरिक्त ६ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के अस्थायी पदों को स्थायी करने का प्रस्ताव वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद केवल २४ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के तथा १२ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अस्थायी पद स्थायी करना रह जाता है, जिस पर विचार किया जायगा।

जिला उद्योग अधिकारी, गाजीपुर, के कार्यालय में तीन वर्ष से अधिक कार्य में सेवारत कर्मचारियों की स्थानान्तरण की मांग

६—श्री श्याम लाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में कितने कर्मचारी ३ वर्ष से अधिक से कार्य में सेवारत हैं और उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

जिला उद्योग अधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में कुल १४ कर्मचारी ३ वर्ष से अधिक से सेवारत हैं। चूंकि इन कर्मचारियों का कार्य सन्तोषजनक रहा है और इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है अतः गत वर्षों में इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठा।

इलाहाबाद–डेरवा लालगोपाल गंज तथा बाबागंज–लालगोपालगंज होकर जाने वाली बसों के परमिट

७—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद से मन्सूराबाद व लालगोपाल गंज सेहोती हुई कितनी निजी बस प्रतापगढ़ के अनेक स्थानों को जाने हेतु लाइसेंस प्राप्त हैं ? उनके मालिक कौन हैं और उन बस के क्या नम्बर हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ६२५ पर)

८—श्री रामपूजन पटेल—

क्या परिवहन मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी ऐसी बसें इस मार्ग पर चल रही हैं जिनके पास उस मार्ग का लाइसेंस नहीं है तथा ऐसा क्यों है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इन मार्गों पर ऐसी कोई बस नहीं चल रही है जिसके पास इन मार्गों के अनुज्ञा-पत्र न हों।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जो हमको मंत्रियों के रिटिन जवाब मिलते हैं जिस पर हम लोग सप्लीमेंटरी करते हैं वह हमेशा जो विभाग का मंत्री होता है उसके नाम से मिलते हैं। वह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। तो मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई अब ऐसा नया नियम हो गया है कि राज्य मंत्री के नाम से वह हो जाय। मेरे प्रश्न संख्या ७ के जवाब में राज्य मंत्री श्री राममंगल पांडेय का नाम है जिससे मुझको उत्तर मिला है।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये राज्यमंत्री को अधिकार है।

यूनानी और आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, सदन के बाहर आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज के विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं। पहले यह बताया गया था कि एक दो दिन में उनका मसला हल हो जायगा और बिल जल्दी ही सदन में पेश किया जायगा। जल्दी ही वह बिल सदन में आ जाय तो उनकी भूख हड़ताल समाप्त हो जाय और उनके जीवन की रक्षा हो जाय ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

मान्यवर, अमेंडिंग बिल लाया जा रहा है। वह तैयार हो रहा है। वह जितना जल्दी हो सकेगा लाया जायगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, उस दिन आपके सामने यह तय हो गया था कि २४ घंटे में वह बिल तैयार होकर सदन के सामने आ जायगा फिर भी वह कहते हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा। जब वह बिल आ रहा है तो इसमें देर क्यों की जाय। उसको जल्दी ही लाने का प्रयास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह बिल कुछ लम्बा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वह विद्यार्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं। पता नहीं किसी के जीवन को क्या हो जाय। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि जल्दी ही उस बिल को लाकर इस समस्या को हल किया जायगा। अगर यह समस्या जल्दी हल हो जाय तो अच्छा है और जल्दी से जल्दी उस बिल को लाने का प्रयत्न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह बिल तैयार होकर लीगल रिमेम्बरेन्सर के पास आने वाला था और उन्होंने उस दिन कहा था कि हम उसको २४ घंटे के अन्दर दे सकते हैं। तो उस दिन आपके राज्य मंत्री वहां पर मौजूद थे। ऐसी दशा में कृपया उसको देख लें जल्दी से उनके पास चला जाय तो वह २४ घंटे में उसको देखकर वापस कर देंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं को ४ बजे लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

पहले जो ये नियम ५१ के हमारे विषय हुआ करते थे उनको आप ४ बजे लिया करते थे। इस बजट के आरम्भ से आपने यह व्यवस्था कर दी है कि उनको बाद में लेते हैं जब सरकार का सारा काम खतम हो जाता है। जब आखिर में वह विरोधी पक्ष के प्रस्ताव आते हैं और सरकार को उन विषयों का जवाब देना पड़ता है तो उस तरफ से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि अध्यक्ष जी हाउस को स्थगित करके चल देते हैं। इस तरह से जो चर्चा का विषय रहता है वह हट जाता है।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है और सन् १९६२ से १९६७ तक विशेषाधिकार के प्रश्नों के साथ ही यह सारे प्रश्न लिये जाया करते थे इसलिये आप जिस समय विशेषाधिकार के प्रश्न लेते हैं उस के साथ ही यह नियम ५१ आदि भी ले लिया करें और उस के बाद जैसा पहले होता था वह सब खत्म होने पर उस दिन का सदन का अन्य कार्यक्रम चले और अगर ऐसा न हो तो ४ बजे ही इन को ले लिया करें और उसी समय उन का निर्णय जो होना हो वह हो जाय और समय कम हो तो सरकारी काम के लिये १ घंटा और बैठ जाया करें वर्ना सरकार के पक्ष के लोग तो चाहते हैं कि यहां हुल्लड़ हो जाय और सदन स्थगित हो जाय, उनका कहना है कि सरकारी काम तो समाप्त हो ही गया। परन्तु इस से जनता का नुकसान होता है क्योंकि विरोधी पक्ष का वही एक ऐसा समय है कि उसका हम उपयोग करते हैं और जनभावनाओं को उस समय में यहां रखते हैं जिनका कि हम यहां प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं आप से अनुरोध करूंगा कि या तो विशेषाधिकार के प्रश्नों के साथ ही इन्हें भी ले लिया करें या नहीं तो ४ बजे ले लिया करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस विषय में निर्णय दे चुका हूं और निर्णय बार-बार नहीं बदलता। यह कार्य ५ बजे के बाद होगा और उस के लिये हम अधिक बैठेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हुल्लड़ इधर (सरकारी पक्ष) से ही होता है वह आप की तरफ से भी होता है, मैं रोक रहा हूं कि अब आगे बात न चलायें लेकिन चलाये जाते हैं इधर से भी और उधर से भी तो ऐसे मौके पर जब कहने पर भी नहीं बैठते हैं तो मुझे सदन एडजर्न करना पड़ता है क्योंकि जो काम चलना चाहिये उस को आप चलने नहीं देते। जो प्रश्न रहत हैं उन को छोड़कर और तमाम विषय लकर लोग बोलने लगे, तो फिर कैसे सदन चलेगा, ४–५ बजे कभी भी वह रखें लेकिन इस तरह से हल्ला होगा तो सदन स्थगित कर दूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

उन को चूंकि बजट पास कराना रहता है इसलिये उसके बाद वह नहीं चलने देते और श्री महीलाल जी ने तो उस दिन कहा भी था कि शासन का काम तो हो चुका, अब आप का काम है चाहे हुल्लड़ करिये या जाइये। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को आप ४ बजे ले लिया करें या विशेषाधिकार के प्रश्नों के साथ ही ले लिया करें।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में नियम ५२ की स्थगित सूचना पर चर्चा की मांग

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, परसों शुक्रवार के दिन ५ बजे के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था चीनी मिलों के सम्बन्ध में लेकिन उस दिन आपने सदन को स्थगित कर दिया था। सरकार ने इस सम्बन्ध में वादा भी किया था और जनता का भी ध्यान इस तरफ लगा हुआ है। मुझ आशा थी कि सदन के स्थगित होने पर जो कार्यवाही उस दिन एजेंडे की नहीं हो सकी और २ घंटे की चर्चा नहीं हुई वह आज कार्यक्रम में रखी जायगी लेकिन वह नहीं आई। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस की तरफ प्रदेश की सारी जनता की नजर लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष---

मैं देख लूंगा कि यह बहस किस रोज २ घंटे के लिये हो सकती है। मैं समझता था कि वह पिछले शुक्रवार को हो जायगी लेकिन जिन्होंने उसे पेश किया था उन्हीं ने उस को पोस्टपोन कराया था, क्योंकि एक ही उस दिन नियम ५१ का था उस दिन वह आ गया था लेकिन शोरगुल हो गया और वह रह गया। इसलिये अब जिस दिन ज्यादा काम नहीं होगा उस दिन इस २ घंटे की बहस की मैं इजाजत दे दूंगा। आप मेरे कमरे में आ जांय तो देखकर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन के लिये रख दिया जायगा।

श्री केदारनाथ, भूतपूर्व सदस्य, के निधन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि अगर किसी भूतपूर्व सदस्य का देहान्त हो गया होगा तो उस की सूचना सम्बन्धित जिलाधीश यहां भेजेंगे और उसके बाद यहां उन के विषय में शोक प्रस्ताव आयेगा। मुझे खेद है कि मुरादाबाद के भूतपूर्व माननीय सदस्य, बैरिस्टर केदारनाथ जी का देहान्त २९ मई को हो गया है, वह इस सदन के सन् १९५२ से १९५७ तक सदस्य रहे हैं लेकिन कोई शोक प्रस्ताव उनके सम्बन्ध में नहीं आया है, वह आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

३०-३१ को तो सदन बन्द ही रहा और २९ मई को उनका देहान्त हुआ है तो मैं समझता हूं कि वह प्रस्ताव शोक का कल आ जाएगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, क्या आप इस शोक प्रस्ताव को कल ले लेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

जी हां।

नियम ५१, ५२ तथा कार्य–स्थगन की सूचनाओं को ५ बजे के पूर्व लेने की मांग

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, अभी अपोजिशन की ओर कहा गया कि इस ओर के लोग हल्ला करके सदन को स्थगित करवा देते हैं और आपने यह कहा कि इधर सदस्य भी बोलते हैं और उधर के भी बोलते हैं। श्रीमन्, आप कार्यवाही देख लें। हम आपके हुक्म का पालन करते हैं और अगर आप आज्ञा नहीं देते हैं तो बैठ जाते हैं। विपक्ष की ओर से, श्रीमन्, १०–१० सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। तो यह तो आपको भी थ्रैटैनिंग है और हमारे ऊपर भी उन्होंने इसी तरह का आरोप लगाया है। आप अगर पूरे सत्र की कार्यवाही को देखें तो पायेंगे कि कितने व्यवस्था के प्रश्न इन्होंने उठाये और कितने इस पक्ष की ओर से उठाये गये हैं। माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने तो यहां तक कहा कि हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और आप फिर भी कहते हैं कि इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी बोलते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, अपराधी जो होगा, वह अपनी सफाई जोर से देगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि अब वह विषय समाप्त हो गया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, नियम ५१ और ५२ के प्रश्न आप अन्त में लेते हैं। इन पर इस माननीय सदन के सदस्य जब अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सदन को स्थगित करके चले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि आप क्वेस्चन आवर के उपरान्त ही नियम ५१ और ५२ के प्रश्नों को लिया करें ताकि उन पर बहस हो सके और जो सदस्य आपकी आज्ञा का पालन न करें, उनको आप निलंबित करें, मार्शल की सहायता लें। आप मुझे ही इंगित करने के लिए तैयार रहते हैं और सब लोगों के लिए नहीं।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान "दिए तले अंधेरा" वाली कहावत की ओर आकर्षित करता हूं। हम लोग आपके बिल्कुल सामने बैठते हैं लेकिन आपकी निगाह हमारे ऊपर नही पड़ती है। पांडेय जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव इसी समय आ जाना चाहिए लेकिन अगर उसको उस समय रखा जाता है जबकि विधान सभा का सब काम हो जाता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहता। आपने कहा कि इधर से और उधर से शोर होने लगता है। मैं मानता हूं कि शोर होने लगता है। होता यह है कि हम एक प्रस्ताव रखते हैं लेकिन सरकार की ओर से वे अपना काम करके इस तरह से शोर करके चले जायं तो यह कहां तक मुनासिब है। आपने बाद वाले प्रश्न का उत्तर तो दिया लेकिन पहले सवाल का जो बेसिक प्रश्न है कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पहले आने चाहिए, उस पर हमें आपकी व्यवस्था चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—

अगर मैं किसी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं तो उसे ४ बजे लूंगा और उसके ऊपर बहस होगी लकिन अगर स्वीकार नहीं करता हूं तो वह ४ बजे नहीं लूंगा।

उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की सूचना

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने, अपनी दिनांक २७ मई, १९६९ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७०, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर दे ।"

अतः विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६९(१) के अन्तर्गत, उक्त प्रस्ताव विधान सभा की सहमति के लिये भेजा जा रहा है । यदि विधान सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये, प्रथानुसार १६ सदस्यों की नियुक्ति करके विधान परिषद् को सूचित कर दिया जाय ।"

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैंने नेता विरोधी दल, नेता जनसंघ और नेता संसोपा की सहमति प्राप्त कर ली है । इसके लिये आज शाम का समय निश्चित कर दिया जाय और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । ५ बजे के बाद ।

श्री अध्यक्ष—

५ बजे के बाद पहले नियम ५१ वगैरह का आयेगा, उसके बाद वह लिया जायगा ।

इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ? यदि नहीं है तो यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं के बारे में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, अब विशेषाधिकार का नम्बर आ रहा है इसलिये मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं । मेरा हमेशा यह फैसला रहा है कि जो प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं वे किसी अधिकारी द्वारा भेज हुए उत्तर ही होते हैं । अगर कोई गलत उत्तर देता है तो उसको मैं सम्बन्धित मंत्री के पास भेज देता हूं कि यह गलत बात है और यह आक्षेप है किसी माननीय सदस्य का, इसलिए आप जानकारी प्राप्त करके सदन को सही सूचना दें कि माननीय सदस्य का आरोप गलत है । जांच कराने के लिये यह करण पहले से चल रहा है कि आक्षेप सही है या नहीं है । इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है जब तक कि माननीय मंत्री जी जानबूझ कर वहां से उत्तर कुछ आया और जवाब कुछ दिया, ऐसा न करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मुझे माननीय मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं कहना है । दुर्गा प्रसाद ने जो उत्तर भेजा है उसके साथ १० और कागज हैं जो नत्थी हैं और इससे स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधिकारी न प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया । नगराधीश और जिलाधीश के खिलाफ मेरे पास सब तथ्य और सबूत हैं । यह जांच कराने की बात नहीं है बल्कि आपके देखने की बात है, शायद आपने उनको देखा नहीं है । गांधी समिति का मामला अलग था, प्रदर्शनी वाला मामला अलग था । सिटी मैजिस्ट्रट के हस्ताक्षर से पर्चा बंटा और उन्हीं के हस्ताक्षर के चन्दा हुआ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो बात थी। आपसे मैंने कहा कि मुझे दे दें तो आपने कहा कि इसे मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा। उस पर मैंने फैसला दे दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वह कागज मेरे पास है जो उसके अलावा है। मैं भेज रहा हूं कि वे इनक्वायरी करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

तो सवाल यह है कि मुझसे उस रोज फैसले को मानते हुए आपने कहा था कि इस चीज को मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा। मुझे मालूम नहीं कि आपने भेजा या नहीं भेजा। अगर भेजा तो वे उसके ऊपर इनक्वायरी कराते और मालूम होता कि जानबूझ कर अधिकारी ने झूठ कहा है तो उसको इसके लिये सजा देते। इसके अलावा, जब यहां वक्तव्य देते कि ऐसी बात हुई तब आप प्रश्न उठा सकते हैं कि जानबूझकर किसी अधिकारी ने इस तरह फर्जी तौर पर कहा है, तब भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं अधिकारी पर।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न जिलाधिकारी के विरुद्ध है.....

उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के सम्बन्ध में विधान परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत्)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, गुन्डा विरोधी विधेयक के बारे में माननीय मही लाल जी ने कहा कि तीन पार्टियों के नेताओं से उन्होंने बात कर ली है। मैं नहीं समझता कि कम्युनिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से कोई मशविरा किया या नहीं। मेरा निवेदन है कि यह पांच बजे के बाद न आकर पहले विधेयक आना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मेरा आपसे निवेदन है कि यह विधिवत् आना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय मही लाल मेरे पास आये थे और उन्होंने इस सूचना पर मेरी सहमति ली थी। जब उन्होंने सूचना दी तो केवल तीन नेताओं के नाम लिये और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी, पी० एस० पी० या किसान मजदूर पार्टी के नेताओं से कोई सहमति नहीं ली। इसी तरह से मान्यवर, जब आपके कक्ष में नेताओं का बुलावा होता है तो उसमें कुछ लोग छोड़ दिये जाते हैं। तो इस तरह का भेदभाव तो वे जानबूझ कर चला रहे हैं कि विरोध में फूट पड़े। अगर कभी इस तरह की कोई बात हुई तो मैं आपकी तरफ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर किसी ऐसी मीटिंग में हम लोगों के लिये भाग ले सकना या प्रस्ताव पर सहमति दे सकना असम्भव होगा। मैं आपसे और नेता सदन से कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की सहमति लें तो सभी दलों के नेताओं का ध्यान रक्खा करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने आक्षेप किया और नेगी जी ने भी किया जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पूछा जाय। समय के लिये पुनर्विचार कर सकता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

अभी समय को निश्चित न समझें, जब तक मैं बात करके राजी न कर लूं और जो नेता विरोधी दल हैं इनको राजी न कर लूं। जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है विरोधी दल में उसके के लिये नेता, विरोधी दल को चाहिये कि वे दूसरों को भी राजी करें। मैं इस पर विचार कर लूंगा।

श्री अवेद्यनाथ द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं सूचना देना चाहता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र से श्री अवेद्य नाथ, लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए हैं इसलिये उन्होंने विधान सभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। मेरे पास जो उनका पत्र है वह २६ तारीख का है और यह मुझे मिला २९ तारीख को। चूंकि कायदा यह है कि अध्यक्ष को पत्र मिले तो सरकारी इस्तीफा स्वीकृत समझा जाता है, मुझे स्वीकृत करने की जरूरत नहीं होती। मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि वे यहां के सदस्य नहीं रहे।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

यह विशेषाधिकार का जो प्रश्न आया था उसमें जो प्रश्नोत्तर से संबंधित था वह मैंने मंत्री जी को भेज दिया है। अब श्री लक्ष्मीरमण आचार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं होना चाहिये और जब किसी पार्टी का सवाल हो तो गरमागरमी का प्रश्न नहीं आना चाहिये। इसलिये सब नेताओं से बात करके आज की तारीख रक्खी गई थी।

श्री शिवदास के निलम्बन की समाप्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि जो बात कही जाय वह बहुत संक्षेप में हो और शांत वातावरण भी बना रहे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, इस संबंध में भाषण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गुड आफिस का इस्तेमाल करके इसे सर्वसम्मत स्वीकार कराने में मदद करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मैं प्रस्ताव पेश कर दूं। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है---"यह सदन निश्चय करता है कि २१ मार्च, १९७० को श्री शिवदास तिवारी, सदस्य विधान सभा को जो ३० जून, १९७० तक निलम्बित करने का दंड दिया गया था, उसके असमाप्त भाग को निरस्त किया जाय और इस प्रस्ताव को सदन में लाने में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के जो नियम १०५ (५) व १११ बाधक हैं, उन्हें प्रस्ताव के निस्तीर्ण होने की अवधि तक के लिये निलम्बित किया जाय।

श्रीमन्, मैं भी ऐसा ही विश्वास करता हूं कि इस प्रस्ताव पर किसी भाषण की आवश्यकता नहीं है, किन्तु इस संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव केवल मेरा ही नहीं है, बल्कि बहुत से माननीय सदस्यों ने श्रीमन् के समक्ष यह भेजा था। जहां तक मुझे स्मरण है, उन माननीय सदस्यों के नाम हैं---श्री रामचन्द्र विकल, श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री कृणानन्द

श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री रियासत हुसेन, श्री मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री जैटली, नवाब साहब रामपुर, श्री गणेश दत्त बाजपेयी, वह श्रीमती बेगम हबीबुल्ला, वह शायद मना कर रही हैं, मैंने याददाश्त से यह नाम बताये, हो सकता है उनका नाम न हो। मेरा ख्याल है उनके भी हस्ताक्षर थे। श्रीमन्, जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होना ही उचित होगा। जब, श्रीमन्, माननीय शिवदास तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई तो सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने उसको गलत बताया था और श्रीमन्, को यह भी स्मरण होगा.....

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

प्रत्येक सदस्य ने गलत नहीं बताया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, आपका बोलना (श्री जगन प्रसाद रावत का) अनुचित है क्योंकि आप ही इस सदन के वातावरण को बिगाड़ते हैं...

(व्यवधान)

मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आप (श्री जगनप्रसाद रावत) सदन के वातावरण को बिगाड़ते हैं। क्या जरूरत है रावत जी के खड़े होने की जब कि मैं बोल रहा हूं। मैं, श्रीमन्, कह रहा था कि आपको स्मरण होगा कि जिस समय यह प्रस्ताव आया था, हम लोगों ने उस कार्यवाही को गलत बताया। यही नहीं, चूंकि माननीय शिवदास जी सदन में नहीं आ सकते थे, वे श्रीमन्, के पास गये और उन्होंने भी खेद प्रकाश किया।

हमारे मित्र माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी उस कार्यवाही में हिस्सा लिया और श्रीमान् के सामने यह कहा कि कार्यवाही तो गलत हुई, लेकिन उन्होंने उनको अपनी ओर से क्षमा कर दिया है। अगर श्रीमान जी को स्मरण होगा तो माननीय त्रिपाठी जी ने भी यह कहा था कि जैसे ही यह सदन बैठेगा तो यदि उस समय कोई ऐसा प्रस्ताव आयेगा कि उनकी जो अवधि है उसको समाप्त किया जाय तो मैं उसका समर्थन करूंगा। उस दिन दोबारा आपने हम सब लोगों को बुलवाया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि उनको भी इसे स्वीकार करने में कठिनाई नहीं पड़ेगी।

इन शब्दों के साथ इस सदन के सामने इस प्रस्ताव को मैं रखता हूं और यह आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा।

(श्री कमलापति त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मेरा एक संशोधन है, उसको पेश होने दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने संशोधन अवैध करार दे दिया है, क्योंकि जो चीज गुजर चुकी है, उससे उसका संबंध है।

श्री रामचन्द्र विकल—

अवैध क्या है ? उसको पढ़ियेगा तब तो कहियेगा। जो चीज आपको दी जाती है आप उसको अपने पास रख लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं और सदन से छिपाते हैं, इसीलिये अव्यवस्था फैलती है।

श्री अध्यक्ष---

मैं अवैध करार दे सकता हूं और यह भी नियम है कि अध्यक्ष को कारण देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं पढ़े देता हूं और आपको बताये देता हूं । एजेंडे पर अंकित क्रम संख्या ६ पर आचार्य लक्ष्मीरमण जी के प्रस्ताव के पंक्ति नम्बर ३ में 'निरस्त किया जाये' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये---

"जिस पर अमल २८ अप्रैल, सन् ७० से, जब से विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हो" किया जाए ।

इसका मतलब यह कि तब से वह यहां आने के अधिकारी हैं । जिस चीज को वह भुगत चुके हैं वह सदन में रहे नहीं उसको आप चाहते हैं हम कह दें, तो यह कैसे होगा ? उसको हमने अवैध करार दे दिया है। इसमें यह है कि इसमें रूल को भी निरस्त करना पड़ता है। इसमें ६ महीने की अवधि हटाने की बात भी है, तो यह भी आपके प्रस्ताव में है। तो कोई चीज है जिसको आपने बाद में जोड़ा है, तो उस हालत में कैसे हो सकता है। आप यह भी चाहते हैं कि उस वक्त संशोधन करने के लिए नहीं बुलाया था । यह सब देखकर मैंने उसे अवैध करार दे दिया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस संबंध में मेरे भाई लक्ष्मीरमण जी ने लिया और आपने मुझे आदेश दिया कि मैं भी कुछ अपनी बात कहूं, इसलिये मैं बोलने खड़ा हुआ हूं । मुझे स्मरण आता है कि आपके कक्ष में जब पहले दिन इस संबंध में विचार करने के लिए बैठक हुई थी और यह हो रहा था कि यह कुछ अशोभनीय घटना घटी है, इसलिये कुछ दंड मिलना ही चाहिये, तो मुझे यह स्मरण आता है जिसके कई महीने हो गये कि मेरे भाई अनन्तराम जी कहीं बाद में नाराज होकर चले भी गये थे । कुछ विचारों में वहां मतभेद भी हो रहा था फिर अन्त में मैंने यह जरूर कहा कि, वहां लक्ष्मीरमण जी थे और माधव प्रसाद त्रिपाठी जी भी थे, भाई, यह घटना हुई है और दंडात्मक प्रक्रिया इसमें होनी ही चाहिये और आप लोग इसको स्वीकार करें कितने अवधि की हो ? यह प्रश्न था, क्योंकि उस समय तो ऐसा विचार था कि पूरी अवधि के लिए उन्हें निष्काशित किया जाये, तो कुछ का विचार था साल भर के लिए हो । इस पर मैंने कहा कि एक राय कर ली जाये कि इतनी अवधि के लिये होगा और जितना कम हो सके, उतनी कम अवधि के लिए स्वीकार कर लिया जाये । उसके बाद लक्ष्मीरमण जी और माधव प्रसाद जी थे उन्होंने कहा इसको कर लिया जाये और यह अच्छा हो कि जब अगला सदन बैठे तो सदन से यह अनुरोध किया जाये कि इसे क्षमा करें, क्योंकि यह काफी लम्बी सजा हो जायेगी ।

साथ में यह भी विचार था कि कई बार इस सदन में इस प्रकार की अशोभनीय घटनायें घट चुकी हैं, इसलिये यह गलत भी नहीं है। और आप लोगों ने कहा कि हमने, सब ने इसकी निन्दा की है। सब मानते हैं कि बात बुरी हुई और चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना न हो । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, दंड हो जायगा लेकिन ऐसा हो कि जब सदन बैठे तो उस समय सदन से कहा जाय कि उनको क्षमा किया जाय । मैंने अवश्य कहा कि जब सदन में यह प्रश्न उठायेंगे तो मैं समर्थन करूंगा, अपने नेता सदन से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि विरोधी दल के हमारे साथियों की राय स्वीकार करें और जो अवधि बाकी रह जाय उसे समाप्त कर दें । यह बात हुई थी ।

इस बीच में मैं यहां था भी नहीं । कोई बात शायद हुई । शिवदास जी तिवारी ने आपके कक्ष में जा कर कहा और आपसे क्षमा-याचना की । यदि वह उस रोज सदन

में रहे होते और जो बात उन्होंने आपके कक्ष में की वही यहां कह दी होती तो मैं समझता हूं कि नेता सदन स्वीकार करते और यह प्रक्रिया न होती । समस्त विरोधी दल के साथियों की राय है। काफी दिन दंड की प्रक्रिया चलती भी रही । सदन के अवमान का प्रश्न दल विशेष का होता नहीं है। सारे सदन का प्रश्न होता है आशा है कि भविष्य में ऐसी अशोभनीय घटना नहीं घटेगी । इसकी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है, विरोधी दल के और इस पक्ष के सारे नेताओं पर है, नेताओं पर ही नहीं, जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं सबके ऊपर उत्तरदायित्व होता है, कि सदन की मर्यादा की रक्षा की जाय । हम लोग विश्वास करते हैं कि उस संबंध में हम बहुत सतर्क रहेंगे । अब अधिकार यह नेता सदन का है । मैं तो उनसे अनरोध कर सकता हूं । जो हमारे विरोधी दल के सारे साथियों की राय है और उन्होंने एक बार आपसे क्षमा मांगी, और सभी कहते हैं कि सदन की मर्यादा का भंग निन्दनात्मक है और भविष्य में न हो, मैं विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, कि वह उस प्रस्ताव को जो लक्ष्मीरमण जी ने पेश किया है, उसको स्वीकार करें और जो अवधि बाकी रह गयी है, उनके अनुरोध से सदन स्वीकार करेगा, और उनके दंड की अवधि को समाप्त करें ।

श्री अध्यक्ष---

(श्री रामचन्द्र विकल के खड़े होने पर) आप संशोधन पेश नहीं कर सकते ।

श्री.रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोय, जहांतक इस प्रस्ताव का सवाल है मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे भी और नेता सदन से भी और त्रिपाठीजी से भी, यह प्रस्ताव आज वैसा ही है जैसे बासी रोटी में किसी का साझा नहीं होता है। इस प्रस्ताव के पीछे बड़ी पष्ठि-भूमि बन गयी है। जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा, यह सब नेताओं का वादा था कि सदन प्रारम्भ होने पर दंड वापस ले लेंगे । २८ अप्रैल से १ जून तक जो दंड दिया गया आश्वासन के बावजूद मैं समझता हूं, अधिक दे दिया गया । पहले ही दंड अधिक था लेकिन आश्वासन के बावजूद एक महीना और माननीय सदस्य को लटकाये रखा । आपके आशीर्वाद से १९५२ से मैं इस सदन का सदस्य हूं । जब मौखिक सवाल उठाया, तो बार-बार आश्वासन दिया, मैं नेता सदन से बातचीत कर रहा हूं । लेकिन २१ तारीख को जब समाप्त करने का सवाल उठा तो आपने कहा कि लिखित दीजियेगा । तो बहुत से माननीय सदस्यों ने जिसमें करीब-करीब सभी नेता हैं, प्रस्ताव दिया, माननीय त्रिपाठी जी सौभाग्य से थे, उनसे भी दस्तखत कराना चाहा, उन्होंने कहा कि अलग से मैं बातचीत कर लूंगा, वह प्रस्ताव भी आपको दिया । जहां तक मेरी जानकारी है त्रिपाठी जी से अलग से बातचीत हुई । फिर भी यह सवाल लटका रहा । २८ तारीख को आपके कमरे में मीटिंग हुई । उस रोज तय हुआ कि २९ तारीख को जरूर यह पास हो जायगा ।

सौभाग्य से यह प्रस्ताव २९ तारीख को एजेंडे में आ सका । माननीय सदस्यों का यह लिखित प्रस्ताव था । मैं मान्यवर, कह देना चाहता हूं कि यदि इस सदन के सम्मान को व्यक्तिगत बनाया जायेगा तो सदन का ही क्या, किसी का भी सम्मान नहीं रह सकता है । यदि इसके अन्दर कुछ और गहराई भरी हुई है तो मैं नहीं जानता किन्तु इतना जरूर सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि उनको जो दंड दिया गया है वह इस सदन के इतिहास में पहला दंड है । सन् ५२ से आजतक किसी माननीय सदस्य को इतना दंड नहीं दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे और आपके द्वारा नेता सदन और त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि सद्भावना और सुलह से इस मामले को इतना लम्बा लटका दिया गया । इसीलिये संशोधन रखा गया था । कुछ नियम बने हुये हैं जिसके अन्दर हम इसे नहीं कर सकते थे । तो भविष्य में ऐसी परम्परा होनी चाहिए कि सद्भावना और सुलह से माननीय

[श्री रामचन्द्र विकल]

सदस्यों को दंडित करते रहे जो उसकी पृष्ठभूमि में रहें । इसके संबंध में नेताओं ने भी आश्वासन दिया है और उसके बावजूद भी उन्हें दंड में रखा गया है । यह सद्भावना नहीं है, उदारता की भावना नहीं है । भविष्य के लिय कम से कम ऐसी परम्परा न डाली जाय और इतना लम्बा दंड न दिया जाय । मैं आपसे आपक द्वारा नेता सदन से और माननीय त्रिपाठी जी से यह कहना चाहता हूं ।

श्रीमन्, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के लिखित प्रस्ताव आप एजेंडे में अवश्य रखें चाहें वे फेल हो जाय या पास हों किन्तु आप उन्हें दफ्तर में न लटकाये रखें । सदन की जानकारी में इन प्रस्तावों को जरूर आना चाहिये । इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं यह कहना चाहता हूं कि २८ तारीख को कमला पति जी मौजूद नहीं थे बल्कि नारायण दत्त जी थे । उन्होंने कहा था कि मैं कमला पति जी को बुला लूंगा और उन्होंने निश्चित कहा था कि वे आ जायेंगे तब यह तय कर लिया जायगा किन्तु त्रिपाठी जी नहीं आ पाय । इसलिये मैंने कहा था क हम फिर बैठेंगे । उस रोज मुख्य मंत्री थे । उसमें यह तय किया था कि सभी दलों के नेताओं से यह बात तय होनी चाहिये । अगर सभी लोगों की राय से एसा प्रस्ताव पास हो जाय तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । अब कमलापति जी का कहना भी हो गया । उनक विचार भी मालूम हो गये । मैं कहना चाहता हूं कि यह बात सही है कि मेरे कमरे में शिवदास जी न आकर रिग्रट इक्सप्रेस किया था । उसके बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा उपाध्यक्ष के पास जाकर भी उन्होंने रिग्रट इक्सप्रस किया । अब मैं नेता सदन को बुलाऊंगा और चाहूंगा कि वे इस संबंध में अपना आशीर्वाद दें ।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि २९ तारीख को आपके कमरे में सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुये थे और जैसा कि लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने अभी बतलाया कि त्रिपाठी जी जैसा चाहेंग तो जैसा उन्होंने कहा है उसकी पृष्ठ भूमि में मुझे इस सदन द्वारा इस प्रस्ताव क पारित होने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि २१ मार्च, १९७० को श्री शिवदास तिवारी सदस्य, विधान सभा को जो ३० जून, १९७० तक निलम्बित करन का दंड दिया गया था उसके असमाप्त भाग को निरस्त किया जाय और इस प्रस्ताव को सदन में लाने में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के जो नियम १०५(५)व १११ बाधक हैं, उन्हें प्रस्ताव के निस्तीर्ण होने की अवधि तक क लिय निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन ने बहुत उदारतापूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । माननीय विकल जी ने कहा कि यह सदन सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिसम्पन्न है, यह ठीक है और यह भी ठीक है कि दंड एक पैसे का भी अधिक होता है । यदि इसका हिसाब लगाया जायगा तो दो हजार रुपये का आर्थिक दंड माननीय सदस्य को मिल चुका है । इस दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं कि यदि यह सदन माननीय विकल जी के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लेता तो अच्छा था ।

१९७०-७१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व तथा अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,९७,७०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १०,०९,१७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अध्यक्ष महोदय श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३८—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७४,९९,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, इन अनुदानों के बारे में इस समय मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा केवल थोड़ी सी जानकारी माननीय सदस्यों को करा देना चाहूंगा कि यह तीनों अनुदान माल विभाग के हैं । इनमें से पहला जो वृहत जोत कर का अनुदान है उसमें वसूली करीब १८ लाख रुपया के करीब है और उसमें जो खर्चा होता है वह ४ लाख रुपये के करीब दिखाया गया है । जैसा कि कटौती के प्रस्ताव में भी बताया गया है, ७४ लाख रुपया के करीब वसूली का बकाया है । लेकिन इस ७४ लाख में से २८ लाख ऐसा है जिसकी किश्तें अभी तय नहीं हुई हैं । कोई २२ लाख रुपये के करीब ऐसा है कि जो न्यायालयों के आदेश से या और सक्षम अधिकारियों के आदेश से रुका हुआ है । बाकी २६ लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही की जा रही है । यह कहा जाता है कि इसमें खर्चा ज्यादा होता है ।

यह बात सही है कि इसमें जितना स्टाफ लगा हुआ है उसके पास शायद पूरा पूरा काम नहीं है । लेकिन इसमें जितना स्टाफ लगा हुआ है वह इस वृहत् जोतकर के काम के साथ साथ मैं माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कृपा कर के थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लें, सीलिंग ऐक्ट में जो काम होता है वह भी यही लोग करते हैं और इस महकमे का अधिकतर काम इस अनुदान के अन्तर्गत आता है । भू-राजस्व की वसूली केवल २१ करोड़ रुपये है लेकिन सिंचाई और तकाबी वगैरह की सब वसूली मिला कर करीब ६६ करोड़ रुपये के होती है । चालू वर्ष में यह धनराशि करीब ५५ करोड़ ९३ लाख रुपये के हुई है और हमारा वसूली का खर्चा ७.८ प्रतिशत पड़ा है। पिछले साल यह खर्चा ८.१ था । तो इस साल खर्चा कुछ कम हुआ है और सारी चीजों को देखते हुये अधिक नहीं है और यह महकमे की एफिशियेंसी का द्योतक है ।

आप देखेंगे कि इस तरह से महकमे में कोशिश यह की गयी है कि खर्चा कम हो । भू-राजस्व के अन्तर्गत काफी काम होते है । गत वर्ष कई महत्वपूर्ण कानून इस सदन ने पास किये । उनमें से एक सीलिंग ऐक्ट था जिसके अनुसार जिन लोगों की सीलिंग से

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

जमीनें निकली थीं उनके केवल अस्थायी पट्टे होते थे । अब उसमें एक परिवर्तन किया गया है कि उन पट्टों को स्थायी तौर पर भूमिहीन किसान, मजदूरों और अन्य लोगों को जो उसके पाने के हकदार हैं दिया जायगा । दूसरा कानून जो अभी अभी आपके सामने आया मैं ज्यादा सब का जिक्र नहीं करूंगा जो इसी माननीय सदन में पास हुआ है वह था ३ १।८ एकड़ तक के किसानों का लगान [illegible] किया जाय । इसी तरह से लैन्ड एक्वीजीशन के कानून में जो अभी-अभी माननीय सदन ने यहां पास किया उसमें यह परिवर्तन किया गया कि किसानों की जो जमीन अर्जित की जाती है उसकी उन्हें बाजारू कीमत तो दी ही जाय, उसके अतिरिक्त १५ परसेंट सोलेशियम के रूप में और दिया जायगा ।

इसी तरह से लैन्ड एविक्शन और बिल्डिगस और प्रीमिसेस जो लेबर वगैरह की थीं उनकी बेदखली का कानून पास हुआ । पिछले सत्र के शुरू में तराई भाबर में जहां जमींदारी विनाश नहीं हुआ था वहां जमींदारी विनाश का कानून पास किया गया था वह लागू किया गया । अभीअभी इसी सत्र में हमने एक कानून पास किया है जो सारे आस्थान गवर्नमेंट के थे उनकी ठेकेदारी में जमीन्दारी समाप्त नहीं हुई थी, ऐसे ८६ गांव थे, उनमें समाप्त करने का कानून पास हुआ है। सीलिंग ऐक्ट जिसमें काफी कटौती के प्रस्ताव भी आये है उसमें अधिकतम जोत सीमा निर्धारण में भी परिवर्तन करने की जरूरत है और वह संशोधन जल्द तैयार हो जायगा और इस सदनके सामने आयेगा । जो खास-खास बातें उसकी हैं तो उसमें करीब २,३२,०००एकड़ जमीन निकलती है। उसमें से १,९२,००० एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया गया, जिसमें एक १,२५ हजार एकड़ जमीन उठा दी गयी थी । इस तरह से १, ४ हजार एकड़ जमीनें भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी गई है । ३ हजार गांव समाजों के पास है और १००० एकड़ पर सरकारी फार्म है । यह कहा जा सकता है कि थोड़ा सा संतोषजनक कार्य है, पूरे का पूरा संतोष जनक नहीं है । इस ऐक्ट में बहुत से लैप्सेज है, कमियां है और इस पुनर्विचार करना आवश्यक है । इसलिये इसको हम अगले सत्र में लायेंगे ।

श्रीमन्, जहां जहां जमींदारी विनाश कानून नहीं लग पाया, कुछ नागर क्षेत्रों में लग चुका है, तराई क्षेत्र में कुछ गांव रह गये हैं तो जहांजहां सम्भव हो सकेगा जमींदारी विनाश कानून लगायेंगे।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए ।)

इस विभाग का जो हमारे सत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है छोटे काश्तकारों, ३ १/८ एकड़ वाले काश्तकारों की मालगुजारी माफ करना । यह कहा जाता है कि सवा छः एकड़ जमीन की मालगुजारी माफ नहीं की गयी है, यह बात सही है। मैंने इसका कारण पहले भी दिया था कि अब सिचाई की सुविधा हो जाने के कारण वह लाभकर जोत हो गयी है । हमारा कहना था कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ करेंगे । तो ३ १/८ जो अलाभकर जोत हैं उनको फायदा होगा । इससे फायदा उठा सकेंगे जो कि १, ३० हजार किसान हैं । ६२ परसेन्ट उनका नम्बर पड़ता है । एक बहुत बड़ा बहुमत किसानों का है और इसमें ५ करोड़ २५ लाख की मालगुजारी की छूट दी जायगी । तो श्रीमन् यह काफी राहत हमने देने की कोशिश की है छोटे काश्तकारों को ।

श्रीमन्, अब मैं ज्यादा न कह कर इतना कहना चाहता हूं कि चकबन्दी का दूसरा काम है जो बहुत जरूरी है और जिसमें लोगों को काफी दिलचस्पी है और जिसमें काफी किसानों का भला हो सकता है और अगर काम गलत तरीके से किया गया तो इससे नुकसान भी हो सकता है । चकबन्दी का काम काफी जोर से हो रहा है । पिछली बार जो चकबन्दी का कार्य हुआ था उसके तजुर्बे से नई चकबन्दी जो हो रही है उसमें बहुत से सुधार किये गये हैं । गूलों केलिये भूमि छोड़ना और सार्वजनिक कामों के लिये भूमि छोड़ना आदि आदि काम किये जा रहे हैं । श्रीमन्, अब तक ५९,७०० गांवों में चकबन्दी हो चुकी है अपने प्रदेश में और लगभग ७००० से ज्यादा गांव

ऐसे है जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया चालू है। इसमें काफी सख्ती की जा रही है और गलत काम करने वालों को सजा दी जाती है। जो टेम्पोरेरी है और जिनका काम ज्यादा खराब होता है उनको एक महीने की नोटिस दे कर निकाल दिया जाता है। यह बहुत बड़ा काम है और अगर सफलतापूर्वक हो जाय तो किसानों को एक बहुत बड़ी देन हम दे सकेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जहां चकबन्दी हो रही है उसमें पूरी पूरी दिलचस्पी लें। गलत तरीके से चकबन्दी होने से बहुत से किसानों का नुकसान हो सकता है और कुछ को फायदा भी हो सकता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य, चाहे वह किसी दल के हों, सुझाव देंगे उस पर पूरा पूरा गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि चकबन्दी सही तरीके से हो और किसानों का फायदा हो। यह किसी पार्टीबाजी का काम नहीं है। यह सब चाहेंगे कि सही ढंग से चक बन जायें और किसानों को एक जगह भूमि मिल जाय, जो जमीन सार्वजनिक कार्यों के लिये छोड़ी जानी उसका सही निर्धारण हो जाय, इसको सब चाहेंगे और इसके होने पर किसानों का कल्याण होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह इसमें दिलचस्पी लें। यह जनसेवा का बहुत बड़ा कार्य है।

श्रीमन्, दुर्भिक्ष होता है, वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, अग्निकाण्ड होते हैं, ओले पड़ते हैं, इस तरह की भी बातें होती हैं। पिछली बार बहुत ज्यादा बाढ़ आई और उससे अनेक जिले प्रभावित हुए, करीब करीब २२,००० गांव प्रभावित हुए। जहां तक हो सका सहायता देने की कोशिश की गई। मकानों के लिये हमने १०० रुपये का अनुदान सहायता के रूप में देने का निश्चय किया। जो गांव ऊपर उठाने का काम था वह केवल देवरिया में हो सका। ओले से जहां जहां क्षति पहुंची वहां भी सहायता दी गई। इसी प्रकार से बहुत से जगहों पर अग्नि की भी घटनायें घटित हो रही हैं। उसके लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो उनको मकानों के लिये सहायता दें। इस समय मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता मैं अपने सुझाव के साथ यें मांग पेश करता हूं।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

जो स्थायी तौर से सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं क्या उनके लिये भी आपकी कोई स्कीम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। उनका जिला ऐसा है जहां बार बार सूखा पड़ता है लेकिन ऐसा कोई इलाका नहीं है जो स्थायी तौर पर सूखाग्रस्त कहा जा सके लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहें हैं उस पर भी हम विचार करेंगे कि कोई योजना बन सके जिससे स्थायी तौर पर कोई काम हो सकें। इस पर हम विचार करेंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक पर्चा मिला है और इसमें लिखा हुआ हैं कि मुख्य मंत्री चरण सिह के स्वच्छ प्रशासन का एक गन्दा नमूना।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या मुख्य मंत्री या अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जहां कहीं भी जितने पर्चे छपे उनके पढ़ने का यह स्थल है ? आप मेहरबानी करके पर्चा न पढ़ें। मैं पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं। आप को यह पर्चा कहां मिला ?

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, मुझे गेट के पास मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसको पढ़ें नहीं। इसको आप दिखला दें। इस तरह से कैसे सदन का काम चलेगा ? क्या आप चाहते हैं कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई पर्चा न छपे ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या इस प्रकार के पर्चे सदन की परिधि में बांटे जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने यही सवाल माननीय सदस्य से पूछा था कि यहां पर्चा उनको कहां मिला। अभी मुझे यह निश्चित नहीं मालूम हो सका कि सदन के परिसर के अन्दर वह बंटा है ? तो क्या आप यह जानकारी दे रहे हैं कि वह सदन के परिसर के अन्दर बंटा है ? अगर वह परिसर के अन्दर बंटा है तो मैं उनको पढ़ने की इजाजत दूंगा।

श्री मही लाल---

माननीय सदस्य ने कहा कि अन्दर मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य के कथन का भाष्य आप न करें। अगर आप कहते हैं कि परिसर के अन्दर मिला है तो मैं पढ़ने की इजाजत दे सकता हूं।

***श्री भानु प्रताप** सिंह (जिला बस्ती)---

राजस्व मंत्री के द्वारा प्रस्तुत सभी अनुदानों के बारे में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के प्रस्ताव को रखने से यदि कोई यह नतीजा निकाले कि मैं राजस्व विभाग द्वारा किये गये किसी भी काम की सराहना नहींकरता तो यह गलत है। चकबन्दी का जो काम राजस्व विभाग ने किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं परन्तु दो एक नेक कामों को छोड़ कर जितने अन्य काम राजस्व विभाग द्वारा किये गये या राजस्व विभाग के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रही हैं वे सब की सब इस सरकार और इससे पहले की सरकारों की सामन्ती पद्धति, अयोग्यता तथा अदूरर्शिता की परिचायक हैं। मैं इस वर्तमान सरकार में और इससे पहले की जो कांग्रेसी सरकारें थीं उसमें कोई अन्तर नहीं मानता हूं।

जिस प्रकार कोई सांप अपनी केचुल को छोड़कर कोई दूसरा सांप नहीं बन जाता इसी प्रकार से कोई कांग्रेस से निकल कर तथा कोई और नाम बदल कर कोई दूसरा नहीं हो जाता है। यह देखते हुये कि वे दोनों दल जो शासनारूढ़ हैं और शीघ्र ही एक में मिलने जा रहे हैं। इस लिये मैं जो आलोचना कर रहा हूं वह पुरानी सरकारों की तथा आज की जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कर रहा हूं और मैंने जो आरोप इस सरकार पर लगाये हैं वे काफी सोच समझ कर लगाये हैं। हमारे आरोप है कि इसकी बुद्धि सामन्तवादी है, दूसरा आरोप अदूदर्शिता का है और तीसरा आरोप है अयोग्यता का। इनको सिद्ध करने के लिये मैं तर्कपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करूंगा।

प्रारम्भ में मैंने केवल यही कहा कि जमींदारी प्रथा में परिवर्तन किया गया और मैंने उन्मूलन शब्द का प्रयोग नहीं किया। जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं की गई बल्कि उसका केवल स्वरुप बदल दिया गया। लाखों जमींदारों के बजाय राज्य सरकार एक जमींदार हो गई और जमींदारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के जो अधिकार थे वे लाखों जमींदारों से लेकर सरकार में निहित हो गये। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि आज भी किसानों को वह रकम मालगुजारी में अदा करनी पड़ती है जो किसी जमाने में लगान क रूप में जमींदारों को दिया करते थे। मालगुजारी की रकम लगभग वही है जो लगान की रकम थी और कुछ कमिश्नरियों में तो वह रकम उस लगान से भी ज्यादा है जो वह जमींदारों को दिया करते थे। ये कमिश्नरियां है वाराणसी की गोरखपुर तथा फैजाबाद की। इन कमिश्नरियों में किसान को जमींदारों को दिये जाने वाले लगान की रकम से अधिक मालगुजारी अदा करनी पड़ती है? गवर्नमेंट इसको लेती है।

वाराणसी में जमींदार प्रति एकड़ लगान ३.६९ लेता था और अब उसको ४.२९ रु० देना पड़ता है। गोरखपुर में ३.३४ लगान था और अब ३.८७ हो गया है और फैजाबाद म ५.५४ के बजाय ५.६७ हो गया है। इसी कारण से मैं यह मानता हूं कि जब तक कि मालगुजारी प्रथा समाप्त नहीं होगी उस समय तक जमींदारी प्रथा का अन्त नही माना जा सकता है। मालगुजारी किस लिय है? वह इस लिये है कि सरकार जमीन का मालिक अपने को समझती है। अगर वह मालिक न होती तो सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह किसानों से मालगुजारी वसूल कर सक। हमारे इधर के सहयोगी और उधर के सहयोगी काफी संख्या में इस पक्ष के हैं कि सवा छ एकड़ तक लगान माफ कर दिया जाय और उनकी मांग चली आ रही है लेकिन उनकी मांग का आधार यह रहा है कि ये किसान गरीब है, मालगुजारी अदा नहीं कर सकते और इसी लिये उनको मालगुजारी से मुक्ति मिलनी चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार गरीब जरूर है लेकिन यह तर्क या आधार मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमारी मांग होनी चाहिये कि जमींदारी प्रथा के साथ ही साथ मालगुजारी प्रथा पूर्ण रुप से समाप्त होनी चाहिये। जब मैं मालगुजारी प्रथा के समाप्त करने की बात करता हूं तो मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं ह कि किसानों पर किसी प्रकार का टैक्स न लगे।

किसानों को भी यह टैक्स देना चाहिये जिस प्रकार से समाज के दूसरे वर्गों के लोग इसको अदा करत हैं अगर किसी किसान की आमदनी एक निश्चित रकम से ज्यादा है तो उस पर उसी प्रकार से आय कर लगना चाहिये जिस प्रकार से अन्य लोगों पर लगता है। श्रीमन्, मेरी यह मांग है कि सरकार अपने इस दकियानूसी रवैये को बदल, किसान को वास्तव में भूमि का मालिक बना दे और किसान को और दूसरे काम करने वालों को एक निगाह से देखे और एक ही प्रकार के टैक्स के नियम बनाये। दूसरा कारण क्यों मैं मालगुजारी प्रथा का विरोध करता हूं। जैसा कि मुख्य मंत्री जी न स्वयं स्वीकार किया है इस सदन में कि एक रेट्रोग्रेसिव टैक्सेशन है अर्थात् छोटे लोगों पर इसका भार अधिक है और मालदार लोगों पर कम है।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के भमिधरों द्वारा तथा सीरदारों द्वारा जो मालगुजारी दी जाती है मैं उसका औसत रेट बताना चाहता हूं। भूमि धर २.५३ रु० प्रति एकड़ मालगुजारी अदा करते हैं और सीरदार करते है ५.७८ रु०। यह भूमिधर कौन है। इनमें से कुछ तो वह जो पहले जमींदार है जिनको दस गुना लगान भी नहीं देना पड़ा और अब बीस गुना भी नहीं देना पड़ा। और कुछ बाद में शामिल हुये जिनको बड़ी रकमें देकर भूमि धर बनना पड़ा। बड़ी रकमें कौन दे सकता है? जो मालदार हो। अगर इसका सर्वेक्षण कराया जाय तो यह निश्चित मालूम हो जायगा कि भूमिधर किसानों के अन्दर उच्च वर्ग के लोग हैं, परन्तु उनको आधे से भी कम मालगुजारी अदा करनी पड़ती है। यह कहा जाता है कि उन्होंन दस गुना जमा किया, लेकिन बहुत स एसे हैं जिन्होंने कभी दस गुना जमा नहीं किया। लेकिन जिन्होंने दस गुना या बीस गुना जमा किया उनके विषय में भी मैं कहता हूं कि यदि मुझको वह रकम मिल जाय तो मैं सदा सदा के लिये आधी मालगुजारी उनकी तरफ से अदा करता रहूंगा और कुछ मुनाफा भी कर सकता हूं। तो इस प्रकार स जो वर्गीकरण भूमिधर और सीरदार का है यह भी सामन्ती बुद्धि की उपज है। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो क्या किया गया? इन दो वर्गों में किसानों

[श्री भानु प्रताप सिंह]

को बाटा गया। केवल इसलिये कि यह मान्यता रही दिमाग के अन्दर कि जमीन की मालिक तो सरकार है, राजे महाराजे नहीं, नयेराजा लोग हैं और जमीन इनकी है। और जिस प्रकार से पुरान जमाने में कोई जमीन बेची जाती थी तो चौथ वसूल की जाती थी उसी तरह से सरकार ने यह व्यवस्था की कि अगर कोई जमीन बेचना या हस्तान्तरित करना चाहे तो मालगुजारी का दस २ बारह गुना और अब शायद बीस गुना अदा करना पड़गा।

श्रीमन्, यद्यपि मैं गरीबी का कारण बता कर मालगुजारी प्रथा की समाप्ति की बात नहीं कहता परन्तु मैं उसका खंडन जरूर करना चाहता हूं जो मुख्य मंत्री जी ने और आज फिर राजस्व मंत्री जी ने दुहराया कि अच्छे बीजों के कारण, अच्छे सिचाई साधनों के कारण तीन सही एकबटे आठ एकड़ की होल्डिग इकानामिक होल्डिगस मानी जा सकती है। पहले सवा छः एकड़ की बात थी और अब तीन सही एक बटे आठ की बात कही जाती है। यह बात इनकी सही होती अगर कृषि से उपज प्रति एकड़ उत्तर प्रदश में दूनी हो गयी होती। मैं राजस्व मंत्री जी जानकारी के लिये वित्त मंत्री जी के भाषण से थोड़ा अंश पढ़ देना चाहता हूं। पृष्ठ चार पर लिखा है—वर्ष १९६०–६१ और १९६९–७० के बीच कृषि सम्बन्धी उत्पादन का मूल्य १०९६ करोड़ रुपये से बढ़ कर १२६५ करोड़ रुपये हो गया। श्रीमन्, यह वृद्धि केवल १५.४ प्रतिशत की है। जमीन तो उतनी का उतना ही बनी रही। उससे जो उपज में वृद्धि हुई है वह केवल १५.४ प्रतिशत हुई है न कि जैसा मुख्य मंत्री और माल मंत्री जी का कहना है कि लगभग दुगुनी हो गई इसलिये इकानोमिक होल्डिग आधी हो गई।

श्रीमन्, मैं थोड़ा इसके अन्दर और जाना चाहता हूं। तो १२६५ करोड़ रुपया जो ६९–७० में किसानों की आमदनी बताई गई उसमें कृषि उत्पादन का मूल्य सम्मिलित है। फारस्टरी, मत्स्य पालन से जो आमदनी होती है वह भी शामिल है। उसको निकाल दिया जाय तो कवल १२३० करोड़ रुपया बचता है और इसमें ४ करोड़ २८ लाख जो खेती की उपज है उससे भाग दिया जाय तो प्रति एकड़ कुल आमदनी ग्रास इनकम २८८ रु० प्रति एकड़ उत्तर प्रदेश में आती है। इसमें यदि किसानों के श्रम का भी मूल्य न लगाया जाय तो केवल बीज, पानी और दूसर नकद खर्चों को निकाल दिया जाय तो यह सिद्ध होगा कि प्रति एकड़ शुद्ध लाभ किसानों की मेहनत को मिला कर २०० रुपया प्रति एकड़ से अधिक उत्तर प्रदेश में औसत नहीं है।

अब मैं पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से और यदि मुख्य मंत्री जी यहां पर होते तं उनसे भी कि ३ सही १ बटा ८ एकड़ वाले किसान इस रेट से ६०० रुपया से अधिक शुद्ध लाभ प सकत हैं? उसमें उनकी मेहनत भी शामिल है। ६०० रुपये वार्षिक पाने का मतलब है है कि ५० रुपया प्रतिमास प्रति परिवार। मैं यह कहना चाहता हूं। कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिय जो कहते हैं कि ३ सही १ बटा ८ एकड़ के किसान आज मुनाफा कर सकते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह एक एसा दावा है जिसका कोई आधार नहीं है। अगर कोई आधार है तो कृपा कर बतलायें? हो सकता है, २, ४ किसानों के अपवाद रहे और वे ज्यादा आमदनी कर लेते हों परन्तु मैं फिर पूछना चाहता हूं कि—क्या नियम, कानून और फैसले अपवाद के आधार बनेंगे? अन्यथा उत्तर प्रदेश में आज किसानों की जो औसत स्थिति है, आज उनको जो साधन उपलब्ध है उनको देखते हुये कायदे कानून बनेंगे।

अब मैं इनकी अयोग्यता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, जमींदारी अबालिशन के बाद गांव सभाओं को ९५ लाख एकड़ भूमि हस्तान्तरित हुई थी। उसमें ३५ लाख एकड़ भूमि एसी थी जो खती के योग्य नहीं थी। बाकी ७० लाख एकड़ जो भूमि थी उसमें ३७ लांख एकड़ भूमि यह कह कर खाली कर दी गई कि यह १० प्रतिशत से कम है। इसका बटवारा होना उचित नहीं है। यह सार्वजनिक कार्य के लिये सुरक्षित रहेगी। जब कभी गांव सभा को आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें स उसको जमीन मिलेगी सार्वजनिक कार्य क लिये। इसको निकाल दन क बाद ३३ लाख एकड़ भूमि एसी बची जो बट सकती थी और खती के योग्य

थी। परन्तु मेरा यह चार्ज इस सरकार के ऊपर है कि इसने अपनी असावधानी के कारण यह ३३ लाख एकड़ भूमि जो खेतिहर मजदूर को मिलनी चाहिये थी वह खेतिहर मजदूरों को नहीं मिली। श्रीमन्, मैं इस बुद्धिमानी को समझ नहीं पाया कि जब देश में जितना अन्न पैदा होता है उसके १० प्रतिशत से अधिक केवल दो एक वर्ष को छोड़ कर कभी भी अनाज की घटती नहीं हुई। जैसे कि दस करोड़ टन अन्न इस साल पैदा हुआ, तो कभी १ करोड़ टन से अधिक की घटती नहीं है।

जिस देश में १० प्रतिशत से कम अनाज की घटती हो उस देश के शासक गांव समाज की जमीन दस प्रतिशत बेकार छुड़वायें अपने कानून से उस बुद्धिमानी को मैं नहीं समझ सका। यह कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित एक बुलेटिन है जिसमें लैंड यूटिलाइजेशन के आंकड़े दिये है। इसमें अन्तिम आंकड़े १९६६-६७ के हैं, उनको देखने से पता चलेगा कि सूबे में ३५ लाख ८६ हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि है और लगभग इतनी ही जमीन और है जो खेती के योग्य है और वह कभी खेती में साल भर के लिये आती है और फि र २ साल खाली रहती है जिसको फेलो लैंड कहते हैं वह और कलचरेबिल वेस्ट मिला कर कुल ७० लाख एकड़ हो जाती है। यह कितना क्षेत्र है, वह मैं अनुमान के लिये बताऊंगा कि जापान में कुल जितनी खेती होती है उसकी आधी यह ७० लाख एकड़ का क्षेत्र है जिसका सरकार की लापरवाही और किसान की अकर्मण्यता से कोई उपयोग नहीं किया जाता। यदि बजाय इसके इस जमीन को खेती योग्य बनाया जाय तो किसान का भी उद्धार हो और प्रदेश की उपज भी बढ़े। इस पर उपाय और सुझाव देते हैं तो स्वयं माननीय मुख्य मंत्री मानते हैं कि कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

जहां तक भूमिहीनों को जमीन बांटने का प्रश्न है मैंने इस संबंध में आंकड़े देखे तो पाया कि ३७ लाख एकड़ में से ३ लाख एकड़ भी भूमिहीनों को नहीं मिली, सम्भव है मेरी बात में कोई सन्देह हो लेकिन मुझ जैसे साधारण आदमी की बात जाने दें लेकिन डा० बलजीत सिंह की यह किताब है जिन पर हमारे चौधरी साहब का बहुत विश्वास है। उसके पृष्ठ ११ से पढ़कर मैं सुनाता हूं :—

"Out of the 9.5 million acres vested in the Gaon Samajs 3.76 million acres was reserved for planned use and only 3.3 million acres was available for allotment to individual cultivators. But, actually, not more than 8 per cent of the area availale for allotment or a total of 2.7 lac acres has so far been allotted to 1.01 lac households of whom 63,000 belong to the category of landless agricultural labourers. These latter have been allotted a total area of 1.61 lac acres. This cannot be regarded as satisfactory as it hardly touches even the fringe of the problem. There are nearly 4 million landless agricultural workers in the State and the allotment of land to them by the Gaon Samajs during the last eight years has not benefited even 2 per cent of them. Obviously, the provision of allotment of land to the landless through the agency of Gaon Samajs in the scheme of Zamindari abolition has been well intentioned but the objective cnnditions for its effective implementation are wholly lacking."

यह केवल १९६८-६९ तक के फिगर हैं और उन के अनुसार केवल १.६१ लाख एकड़ जमीन उस समय तक भूमिहीनों को मिली थी। मैंने अपनी ओर से कुछ आंकड़े इस सम्बन्ध में अवश्य दिये हैं लेकिन यदि माननीय मंत्री जी के पास कोई आंकड़े भूमिहीन खेतिहरों को कितनी जमीन मिली है वह हों तो बता दें और जिनको मिली है क्या वह वास्तव में खेतिहर मजदूर और भूमिहीन थे। कुछ जमीन ऐसी है कि जो केवल उनके नाम पर ले ली जाती है वह फिगर भी

[श्री भानुप्रताप सिंह]

मंत्री जी प्रस्तुत करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जो जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी उसका दसवां भाग या कुछ ज्यादा उनको मिला हो तो मिला हो, अगर मिला है तो वह खुशखबरी मंत्री जी बतायें तो मुझे बहुत सन्तोष होगा।

श्रीमन्, इन जमीनों के बांटने की जो व्यवस्था है, उसके परिणाम सामने हैं। सारी जमीन उन लोगों के पास चली गयी है जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी। यह जो राजस्व विभाग की कार्य विवरण की पुस्तिका मिली है, उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। शासन की जो त्रैमासिक १९ अगस्त, १९६७ की रिपोर्ट जो शासनादेश के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, उससे भी ऐसा आभास मिलता है कि जिलों में गांव समाज की भूमि के अनियमित पाये गये पट्टों के निरस्तीकरण की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। फिर भी ये उस तरीके को बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं तो यह कहता हूं कि जब तक इस जमीन के वितरण के वर्तमान तरीकों में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप जितने आदेश निकालें जायं, तब तक भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल सकेगी। पट्टे भेज दिए जायंगे और परगनाधीश यह बता ही नहीं पायेंगे। अब परगनाधीश क्या करेंगे।

सबसे पहली बात मैं चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में कितने भूमिहीन लोग हैं और एक सूची बनायी जाय जिस पर सही प्रमाणित होने के परगनाधीश के हस्ताक्षर होने चाहिए कि इसकी जांच हो चुकी है और जब कोई जमीन के पट्टे का मामला उनके सामने आये, उन्हें सब सूचना मालूम रहे। आज परगनाधीशों के पास कोई चीज यह जानने की नहीं है कि वह व्यक्ति जिसको पट्टा दिया जा रहा है, भूमिहीन हैं अथवा नहीं?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन जमीनों की खाली कराने का तरीका जो अब तक अपनाया गया है, उससे काम नहीं चलेगा। २ गुना, ५० गुना उनसे जुर्माने के तौर पर वसूल किया जाता है। यह ५० गुना भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बन गया है और इसमें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में वे ही लोग पिसते हैं जो गरीब हैं, जिनमें ताकत नहीं है और अधिकारियों को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मैं इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हूं कि ५० गुने से काम नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा किए है, चाहे वह गांव समाज की हो, तो उसके लिए जेल तक की सजा भी होनी चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं, जैसा कि इन्होंने किया। किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपने इस जमीन पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखा है, इसको छोड़ दीजिए और अगर इस तारीख तक नहीं छोड़ेंगे तो इतना जुर्माना होगा।

मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री यहां से एक घोषणा करें आल इंडिया रेडियो द्वारा, जितना प्रचार हो सके करें कि एक निश्चित तिथि के बाद गांव समाज की भूमि ऐसे व्यक्ति के अधिकार में नहीं रहनी चाहिए जिसके लिए वे हकदार नहीं हैं, और अगर वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो उनको जेल में भेजा जायगा। इसका तत्काल परिणाम यह होगा कि जमीन खाली हो जायगी। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार यह भी घोषणा करे कि गांव समाज का कोई भी निर्धन व्यक्ति यदि परगनाधीश के सामने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करता है कि हमारे गांव में ग्राम समाज की भूमि पर फलां पंडित या लाला का कब्जा है, जो अनधिकृत है तो उसकी तुरन्त जांच होनी चाहिए। आज बेचारा वह क्या करे।

श्रीमन्, मैं एक ऐसे दल का प्रतिनिधि हूं जो एक्ट्रीम मेजर्स में विश्वास नहीं करता लेकिन एक वास्तविक उदाहरण राजस्व मंत्री जी के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। मेरे गांव के पास एक गांव है जिसमें ५–६ या ७ हरिजन हैं। वे जमींदारीउन्मूलन के पहले से जो जमीन जमींदारों की थी उस समय से जोतते चले आये हैं। किसी असावधानी के कारण यह

जमीन न उनके नाम दर्ज हो सकी और न जमींदार की ही रह गयी। गांव समाज की वह जमीन हो गयी। उनको कोई पता ही नहीं चला क्योंकि गांव समाज ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ वर्षों के बाद गांव समाज के प्रधान और वहां के परगनाधीश---जिनका नाम अगर माननीय मंत्री जी जानना चाहेंगे तो मैं बतला दूंगा---उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बस्ती जिले की डुमरिया-गंज तहसील में लूट का एक सिलसिला जारी किया। प्रधान के साथ मिल जाते थे और फर्जी लोगों से दरख्वास्तें दिलवा कर डिग्री सीरदारी की दे दिया करते थे। श्रीमन्, यह बात बस्ती जिले में बाद को जो भी कलेक्टर आया, उन सभी को विदित है। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे तो पायेंगे कि उस तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर . . .

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उस गांव का नाम क्या है?

श्री भानुप्रताप सिंह---

यह एक गांव की बात नहीं है, मैं पूरे डुमरियागंज तहसील की बात कहता हूं कि उस तहसील के गांव समाज की जमीनों को अनाधिकृत लोगों को देने का एक तरीका वहां के परगनाधीश ने अपनाया और प्रधानों के साथ मिल कर, कुछ लोगों से मिल कर दरख्वास्त दिलाते थे और सीरदारी की डिग्री दे दिया करते थे। यह काम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। बाद में मुझे मालम हुआ कि वे किसी दूसरे कारगुजारी में सस्पेंड हो गये। पता नहीं वे बहाल हुए या नहीं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

आपने बतलाया कि किसी जमींदार की जमीन थी जो न उसके पास रही और न हरिजनों के पास रही और गांव समाज में वह जमीन चली गयी और बाद में उनको बदखल कर दिया गया। यह तो किसी एक ही गांव की बात होगी?

श्री भानुप्रताप सिंह---

एक नहीं हैं, मैं पूरी तहसील के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जब मैं चलने लगा कल तो मेरे पास कम से कम ५० गांवों के लोग आये और उन्होंने कहा कि एक गांव की बात नहीं है। आप इसकी जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह का क्रम पूरी तहसील में चला है। उस गांव का नाम मखन देवरिया, परगना रसूलपुर है। तो मैं उन ४--६ हरिजनों की बात बतला रहा था। जिस जमीन को वे जोते हुए थे, पहले जिस जमींदार के नाम पर जमीन थी उसके साथ परगनाधीश ने साजिश करके उसी गांव के एक पुलिस कांस्टेबिल को सीरदारी पर वह जमीन दे दी। यह कार्यवाही इतने चुपचाप ढंग से हुई कि न कोई समय मिला, न कुछ। उनको दो-चार साल पता भी नहीं हो पाया कि हमारी जमीन किसी के नाम सीरदारी लिख दी गयी है। उसके बाद वह पुलिस कांस्टेबिल तीन वर्ष से उन हरिजनों पर फर्जी मुकदमे चला कर फंसाता रहा है और अभी भी मुकदमा चल रहा है। मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि वे इतन दरिद्र हैं कि वे कभी बस्ती शहर या गोरखपुर गये ही नहीं लेकिन फौजदारी मुकदमा एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा होता रहा जिसमें वे फंसते रह, जिससे वे बार-बार वहां जात हैं और वहां जाने पर वह कांस्टेबिल जिसने नाजायज तौर पर वह जमीन लिखा ली है उनसे कहता है कि जमीन छोड़ दो तो उनसे छुटकारा मिल जायेगा।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैंने जिलाधीश बस्ती, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट बस्ती, पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट गोरखपुर, सभी को अवगत कराया। सिवा एक राहत के जिसक लिये मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उन डी० एम० साहब का जो अब वहां नहीं हैं, उन्होंने मौके पर आकर उनका कब्जा लिखा दिया। लेकिन और कहीं से कोई राहत नहीं मिली। आज जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, मैंने मुख्य मंत्री के पास भी उन हरिजनों की दरख्वास्तें भेजीं और उनमें मैंने लिखा

[श्री भानुप्रताप सिंह]

था कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि ये तथ्य सही हैं। मालूम नहीं क्या हुआ, सम्भव है वे जांच करा रहे हों।

लेकिन मैं उसी कड़ी में एक बात और बताना चाहता हूं। परसों-नरसों की रात में उनमें से एक हरिजन अपने दरवाजे पर सो रहा था। उसके सीने में बल्लम मारा गया और उससे चार इंच का घाव हो गया। क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस का मामला है, मैं जानता हूं कि वह निर्दोष व्यक्ति है। किसी से उसकी दुश्मनी नहीं है सिवाय उन लोगों से जो उसकी जमीन हड़प लेना चाहते हैं। परन्तु वह इतना दरिद्र है कि वह न तो मुकदमें से अपने हक को कायम कर सकता है, न पुलिस को खुश कर सकता है, और तो और न डाक्टर से दवा करा सकता है। मेरे पास आया था मैं क्या कर सकता था। मैंने कुछ रुपये दे दिये और कहा, जाकर दवा करा लो। श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि न्यायालयों के सामने इन गरीब लोगों को बराबरी की तरह से या इनसे भी यह आशा की जाय कि ये भी उतना खर्च करें जितना कि बड़े खर्च करते हैं तभी न्यायालय में न्याय मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य नहीं है।

श्रीमन्, इसके बाद मैं इनक दूसरी अयोग्यता की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। कानून के द्वारा शेयर क्रापिंग या सबलेटिंग की इजाजत नहीं है। परन्तु स्थिति क्या है? हमारे क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर गर्व करते हैं कि उत्तर प्रदेश का भूमि सुधार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अच्छा है? मैं इस बात को स्वीकार भी कर लेता हूं परन्तु मैं उनसे यह निवदन करना चाहता हूं कि जो कानून की किताबों में लिखा है वह तो सबसे अच्छा है लेकिन आज अमल उसके विपरीत हो रहा है। सबलेटिंग के प्रतिशत का यदि पता लगाया जाय तो शायद अन्य राज्यों से कम नहीं होगा। यह बहुत पुरानी रिपोर्ट है बलजीत सिंह की। इसमें उन्होंने लिखा है, पुस्तक का ही नाम है "इम्पैक्ट आव लैन्ड रिफार्म"। उन्होंने लिखा है शेयर क्रापिंग जितना पहले होता था जमींदारी उन्मूलन के बारे में, उसमें २९.८ की कमी हुई है। जितना पहले होता था उसका तीन चौथाई बाद भी होता है। उन्होंने आंकड़े भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि लगभग ११ प्रतिशत जमीन पर शेयर क्रापिंग जारी है। ये उनके पुराने आंकड़े सन् १९५९ के हैं। उसके बाद मेरा ऐसा विचार है कि इसमें वृद्धि हुई है और अब शायद १५ प्रतिशत से कम जमीन ऐसी नहीं होगी जिसमें नाम किसी और का लिखा है और खेती दूसरा करता है। अगर १५ फीसदी की बात छोड़ दीजिये, उन्हीं की बात मानिये तो ४४–४५ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो किसी दूसरे के नाम है और खेती दूसरे करते हैं। कानून में वर्जित है। कानून में यह लिखा है कि अगर इस तरह की जमीन पायी जायेगी तो वह जमीन जब्त भी की जा सकती है। भूमिहीनों को जमीन बांटने के लिये क्या सरकार कानून की कड़ाई से पाबन्दी करके ४४–४५ लाख एकड़ जमीन जो अकर्मण्य किसानों के पास है उन लोगों को नहीं दी जा सकती है जो वास्तव में खेती करते हैं। श्रीमन्, मैं अकर्मण्य किसानों को आज के लिये उतना ही घातक समझता हूं जितना उन नेताओं को जो जमीनों को एक खिलवाड़ की चीज बनाये हुए हैं।

मान्यवर, कोई भी चीज पैदा करने के लिये तीन चीजों की जरूरत होती है—पूंजी, प्रबन्ध और श्रम। यदि कोई भू-स्वामी इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज कन्ट्रीब्यूट नहीं करता तो वह बोना फाइडो किसान नहीं है और उसके लिये माननीय राजस्व मंत्री जी कोई भी कानून लाये मैं उसका स्वागत करूंगा। एब्सेन्टी लैंडलार्ड की बात कही जाती है, मैं इस एब्सैन्टी शब्द को ही सही नहीं समझता। इसके लिये मैंने अन्य शब्द गढ़ा है और वह है नान फंकशनिंग लैंड लार्ड या अकर्मण्य किसान। मान्यवर, अगर जमीन का बटवारा कम करना है और कम्युनिस्ट प्रभाव को रोकना है तो जो अकर्मण्य किसान हैं, जो वास्तव में किसान हैं ही नहीं, और जो निश्चित तिथि के बाद भी, जो तिथि उनको दी जाती है, यह कार्य नहीं करते हैं तो उनकी जमीन जप्त हो जानी चाहिये।

तीसरी चीज मैं रियलाइजेशन के बारे में कहूंगा। माननीय राजस्व मंत्री जी इससे बड़ा संतोष कर लेते हैं कि जितनी रकम वसूल होती है उसका लगभग ७-८ परसेंट ही उसकी वसूली पर खर्च आता है। मंत्री जी कृपया इसमें उस धनराशि को भी जोड़ लें जो किसानों को नाजायज तौर पर अमीनों को देना पड़ती है। उसको भी अगर जोड़ लिया जाय तो वह २५ प्रतिशत से कम नहीं आयेगी। २५ प्रतिशत किसानों की गाढ़ी कमाई इस पर खर्च होती है।

मैं पूरे राज्य की स्थिति तो नहीं जानता, लेकिन अपनी तहसील डुमरियागंज के बारे में कहना चाहता हूं कि इस तहसील में लाखों रुपये की धांधली होती चली आ रही है। हजारों किसानों ने जिन्होंने अदा कर दिया है, उनसे फिर से वसूली के लिये अमीन पहुंचता है और फिर से वसूल करता है, क्योंकि बहुत कम किसान होते हैं जो ४-४, ६-६ वर्ष की रसीद अपने पास रखत हैं। अगर किसी के यहां रसीद मिल गयी तो कह देते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम भेज दिया जायेगा। इस ढंग से नाजायज तरीके से अमीन लोग रुपया वसूल करते हैं। तहसील में उनके रिकार्ड्स ठीक तरह से मेन्टेन नहीं होते। यह लोग रुपया वसूल कर लेते हैं और विभाग को उसकी सूचना नहीं भेजते हैं। नतीजा यह होता है कि अगले वर्ष फिर बकाया निकाल दी जाती है।

श्रीमन्, मालगुजारी की वसूली के लिये एक प्रक्रिया है मगर उसका पालन नहीं होता, सर्वत्र उसका उल्लंघन होता है। नियमों में यह व्यवस्था है कि बकाये की सूचना ग्राम समाज प्रधान को भेजी जाया करे, मगर यह भी नहीं होता। अभी प्रश्नों के समय माननीय गन्ना मंत्री ने बताया कि कोअरसिव मेथड और गिरफ्तारी आखिरी मेजर है, मगर किसानों के संबंध में यह पहला ही मेजर है। किसी किसान को यह नहीं मालूम रहता है कि उसको क्या देना है। ५० के बजाय ७५ वसूल कर लिये जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और विशेषकर डुमरियागंज तहसील की ओर। इसकी जांच वह इस तरह कर सकते हैं कि यह देखें कि जितनी रसीद बहियां जारी की गई हैं उनके काउन्टर फाईल्स तहसील कार्यालय में है या नहीं है? यदि हैं और जितने हैं उनमें से हर एक का स्याहा हो गया है, यदि वह इस तरह से जांच करायेंगे तो पायेंगे कि इसमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं और हो रही हैं।

अब मैं अदूरदर्शिता की ओर आता हूं, और इस संबंध में जमीन का बंटवारा, जोत की हदबन्दी इत्यादि को रखता हूं। यद्यपि प्रारम्भ में ही मैं कह चुका हुं, पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्पत्तियों की सीमा बांधना, आमदनियों की सीमा बांधना, यदि ऐसा करने से राष्ट्रीय उपज में कोई कमी नहीं आती है तो मैं उसके पक्ष में हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि समाज में अधिक आर्थिक वैषम्यता होने से देश और प्रदेश का विकास होना, कृषि की प्रगति होना संभव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक तरफा ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाया गया, उसका मैं विरोध करता हूं और जो आगे कानून बनाने की घोषणा की है, उसका भी विरोध करता हूं। उसके मैं कारण रखूंगा। यह प्रश्न थोड़े से लोगों का नहीं है।

मैंने सचिव, राजस्व विभाग से पूछा था तो मालूम हुआ था कि उत्तर प्रदेश में केवल ८ हजार किसान ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़से ज्यादा जमीन है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा कानून बनाने से केवल ८ हजार व्यक्ति प्रभावित होंगे। मुख्य मंत्री जी का किसी चीज को देखने का एक निराला ढंग है। वह कहा करते हैं कि परिस्थितिवश यदि एक या आध प्रतिशत के साथ अन्याय हो जाये तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि उसको भी हम स्वीकार कर लें तो मेरे विरोध का मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा बांधी जाये और दूसरे क्षेत्रों में कोई सीमा न हो। तो उसका परिणाम निश्चित रूप से यह होगा कि गांवों से पढ़े-लिखे, होशियार लोग, जिनके पास पूंजी है और जमीन में पैसा लगा सकते हैं वहां से निकल आयेंगे और सब अच्छे किसान उस काम को छोड़ देंगे।

[श्री भानु प्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं चाहता हूं हिन्दुस्तान क्या, उत्तर प्रदेश क्या, अमेरिका जैसे देश में भी, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था—'द लोनली फरो', उसमें दिया था कि सिर्फ १४ प्रतिशत किसान अमेरिका के, जितना माल खेती का बिकता है उसका ६४ प्रतिशत वे पैदा करते हैं। अमेरिका वह देश है जहां हर एक किसान पढ़ा-लिखा और साधन सम्पन्न है, सीमा कोई नहीं है, यदि कोई कितना भी आगे बढ़ना चाहता है बढ़ सकता है। मगर उस देश में भी अच्छे किसान सिर्फ १४ प्रतिशत हैं, जो उस देश में कुल कृषि उपज का ६४ फीसदी पैदा करते हैं। अच्छा किसान राष्ट्र का एक ऐसेट है, वे अगर खेती से अलग कर दिये जायेंगे, तो चाहे जितनी योजनायें बनती रहें, खेती में प्रगति संभव नहीं है और यही कारण है कि मैं उस चीज का विरोध करता हूं।

बहुत से लोगों को भ्रम हो गया है कि भानुप्रताप जी तो बहुत बड़े जमींदार और काश्तकार हैं। इस भ्रम को मैं कई बार दूर कर चुका हूं और फिर कहे देता हूं कि यह जो सीलिंग कानून बनने वाला है, उससे भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं इसको सबसे बड़ा राष्ट्र के प्रति विश्वासघात मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाये कि अच्छे किसान खेती न कर सकें। यदि वास्तव में सामाजिक न्याय आप चाहते हैं तो शहरी क्षेत्रों में, दूसरे काम करने वालों की सम्पत्ति और आमदनियों को भी उसी स्तर पर और उसी ढंग से बांधें जैसे कि गांव की सम्पत्ति को बांधना चाहते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जमीन के बंटवारे का समर्थन करूंगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं करते तब तक उन की नीयत पर शुबहा है। नीयत पर शुबहा करना इस सदन में, आप कहेंगे ठीक नहीं है लेकिन मैं अपनी बात से हटना नहीं चाहता हूं। मुझे इनको नीयत पर शुबहा है।

इसी सदन में १९४६ में प्रस्ताव पास हुआ था जमींदारी उन्मूलन का। उसके तत्काल बाद प्रस्ताव पास हुआ था कि पूंजीवादी प्रथा को समाप्त किया जायगा। जमींदारी अबालिश हो गयी लेकिन उस दूसरे प्रस्ताव का क्या किया? आप सभी जानते हैं। श्रीमन्, मैं और बातें कह सकता हूं इस जमीन के बंटवारे के सिलसिले में और वह यह है कि इससे किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैंने इसी सदन में ज्यादा दिन नहीं हुए माननीय मुख्य मंत्री से प्रश्न किया था कि जो सीलिंग का कानून बनाने जा रहे हैं उससे कितनी जमीन मिलेगी और क्या इससे किसी समस्या का समाधान होगा? उन्होंने कहा कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर क्यों?

पहली सीलिंग का परिणाम रखना चाहता हूं। पहली सीलिंग के जो आंकड़े हम को दिये गये, बाद में राजस्व मंत्री ने दिये, उन आंकड़ों से भी यह सिद्ध होता है कि पहली सीलिंग जो लगी उससे केवल १ लाख ४ हजार एकड़ जमीन बांटी जा सकी। उस समय जब कि कोई सीलिंग नहीं थी हम जितनी जमीन चाहते थे रखते थे, उस वक्त आपने ४० एकड़ पर सीलिंग लगा दी तो आपको ढाई-तीन लाख एकड़ जमीन मिली होगी, उसमें एक लाख एकड़ बट पायी, जब कि ४० एकड़ पर पहले सीलिंग लगा चुके हैं। ३० एकड़ पर लगायेंगे तो आपको क्या उपलब्ध होने की आशा है? मैं इस बात को काफी अध्ययन के बाद कहता हूं कि सीलिंग कानून में ४० एकड़ के बजाय ३० एकड़ कर दिया जाय और बागात भी कटवा डालें तो एक लाख एकड़ से अधिक भूमि मिलने वाली नहीं है। इस एक लाख एकड़ से समस्या का कौन-सा समाधान होगी? ४० लाख लोग हैं भूमिहीन खेतिहर। श्रीमन्, इनको किस हिसाब से जमीन बांटी जायगी? आखिर कब तक लोगों को धोखे में रखे रहेंगे? कोई नतीजा हासिल होना नहीं है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिन को भ्रम है कि भूमिहीनों को जमीनें मिलेंगी, वह सुन लें । चीनी मिलों की भूमि को कृषक मजदूरों में बांटने के लिये जो कानून आता है उसमें कहा गया है कि यदि सहकारिता, कृषि, माल, उद्योग तथा कृषि विभाग को अपने किसी कार्य के लियें जमीन की आवश्यकता न हो, यानी छः दानवों के पेट भर लेने के बाद, तब जायगी भूमिहीन मजदूरों को । यह सामाजिक न्याय की बात है, या कुछ जमीनों को सरकार अपने हाथ में हथिया लेना चाहती है । मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी प्रथा के समय जो सब से ज्यादा नालायक किसान रहा होगा उसने अपनी जमीन की जैसी व्यवस्था की होगी, उससे अधिक नालायकी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी जमीनों की व्यवस्था की है । सीलिंग का कानून बने दस साल हो गये, जिसको जमीन मिलनी चाहिये थी नहीं मिली । अब बुद्धि आयी है, उन्होंने कुछ नये आदेश जारी किये हैं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी अक्ल को काम करते १० वर्ष हो चुके हैं । श्रीमन्, मैं सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं कि जो लोग जमीन के बटवारे की बात करते हैं वे कौन हैं । वे केंद्रीय सरकार के मंत्रि-गण, पार्लियामेंट के मेम्बर, उत्तर प्रदेश के मंत्रि-गण, असेम्बली के मेम्बर हैं । इनमें से किसी की आमदनी इससे कम है जो यह अधिकतम जोत वाले किसानों को देना चाहते हैं ? जैसा मैंने पहले बताया, जब उत्तर प्रदेश में जमीन से सीधा लाभ २०० रुपया प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकता और उनका प्रस्ताव ३० एकड़ का है यानी ६,००० रु०, यानी ५०० रुपया महीना । मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के हृदय से एक प्रश्न पूछना चारता हूं कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लड़के को इन परिस्थितियों में कहें कि खेती करे ? यदि कोई हो तो मुझे बता दें कि वे अपने लड़के को किस व्यवसाय में रखने को तैयार हैं, जिसकी आमदनी ५०० रु० महीने से ज्यादा नहीं है ? हम लोगों को यहां बैठकर ६०० या ७५० रुपये तथा जो मंत्री हैं उनकी २५ और ३० हजार रुपये आमदनी आंकी गई है । तो आपको सीमा निश्चित करने का क्या अधिकार है ? आप ईमानदारी से सीमा निर्धारित करते हैं तो आप अपनी नियत का सबूत दीजिये ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ५०० रुपये से नीचे की जो श्रेणी है उनके पास कितनी जमीन है ?

श्री भानुप्रताप सिंह---

यह आप अपने मंत्री से पूछिये जो कहते हैं कि ३ १/८ एकड़ लाभ प्रद जोत पर है । तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर आपको सचमुच करना है तो आइये और मैंने इसका प्रयास भी किया । इस सदन के सम्मानित सदस्यों को एक-एक करके एप्रोच किया और मैंने इस बात की कोशिश की कि वे एक प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करें जो मुख्य मंत्री जी को दिया जायेगा । वह प्रार्थना-पत्र में आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूं---"इस बात को देखते हुये कि नगरीय सम्पत्ति की सीमा निर्धारित की जाने वाली है तथा इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं सक्षम है, हम विधान सभा के सदस्यगण जिनके हस्ताक्षर नीचे किये हुये हैं, आपसे साग्रनुरोध करते हैं कि नगरीय तथा भूमि सम्पत्ति (जोत) सीमा आरोपण विधेयक विधान सभा में एक साथ प्रस्तुत किये जायं जिससे उन पर सम्यक् विचार किया जा सके ।

श्रीमन्, यह इतना ही है, ज्यादा नहीं है । मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रार्थना-पत्र पर इस विधान सभा के बहुमत के हस्ताक्षर हो चुक हैं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस विधान सभा का जो सब से बड़ा दल है जिसका कि माननीय कमलापति त्रिपाठी नेतृत्व करते हैं,

[श्री भानुप्रताप सिंह]

उसने भी अपना प्रतिनिधित्व करने में यह प्रस्ताव पास किया है । पहले शहरी आमदनी और सम्पत्तियों की सीमा लगाई जाय । श्रीमन्, मैंने कमला पति त्रिपाठी जी से इस प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी राय से सहमत हूं और इस कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा । श्रीमन्, मैं इसके लिये उन्हें बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं । जो इस विधान सभा का सबसे बड़ा दल है और उसके अलावा इस विधान सभा के बहुमत की जो राय है कि वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी और वर्तमान राजस्व मंत्री जी फिलहाल जमीन की सीमा बांधने की बात छोड़कर शहरी सम्पत्ति को बांधने की कोशिश करें ।

श्रीमन्, हमारे मित्र माननीय गंगा प्रसाद जी ने कहा कि गांवों में कितने लोगों की ५०० रुपया माहवार आमदनी है ? उनकी यह बात सही है कि गांवों में आर्थिक विषमता है लेकिन मैं माननीय गंगा प्रसाद जी की सूचना के लिये यह बता देना चाहता हूं कि शहरों में बजाय गांवों के आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है । यह बात सही है कि गांवों में ३३ फीसदी जमीन ५ फीसदी भूस्वामियों के पास है लेकिन दूसरी ओर मैं यह भी कह सकता हूं कि १ फीसदी शहरी धनिकों के पास ३३ फीसदी राष्ट्रीय आय का पहुंचता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आपको यह विषमता क्यों दिखायी नहीं देती ? यह जो ग्रामीण और शहरी जीवन के रहन-सहन में इतना बड़ा अन्तर है वह क्यों दिखायी नहीं पड़ता है ? जब कभी आप इस नेकनीयती का सबूत देंगे और उसके लिये जितनी जल्दी आप साहस एकत्र कर सकेंगे और जो लोग चुनाव जीतने में आपको मदद पहुंचाते हैं उनकी सहायता के लिये कदम उठायेंगे और यह तय कर देंगे कि शहरों में लोगों की अधिकतम संपत्ति वही होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो मैं आज ही इस बात को कहे देता हूं कि उसमें मैं आपको पूर्ण समर्थन दूंगा । उसका कारण यह है कि जब आप यह तय कर देंगे कि कोई भी आदमी ५०० रुपया से ज्यादा नहीं कमा सकता है तो फिर गांव का आदमी शहरों की ओर कमी न भागेगा और तब मुझे सीमारोपण में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

बहुत से किसान अकर्मण्य हैं उनकी जमीन अगर आप ले लेते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन जो किसान अच्छी खेती कर रहा है, जो आपकी पैदावार का राष्ट्रीय औसत है, ऐसे फार्मों का तोड़ा जाना राष्ट्रीय हित नहीं होगा । अब कहा जाता है कि किसानों की एफीशियेंसी को किस प्रकार से नापा जायगा ? केवल आठ हजार किसान ही ऐसे हैं उनकी एफीशियेंसी की जांच करने का कोई न कोई तरीका इस सरकार को निकाल लेना चाहिये ।

और भी बहुत से उपाय हैं जिनके द्वारा भूमिहीनों की समस्या को हल किया जा सकता है । मैं कहूंगा कि आप पंजाब की ओर आंख उठा कर देखें । पंजाब में आज व्यवहार में कोई सीलिंग नहीं है । वहां पर प्रतिबन्ध तो ३० एकड़ का है लेकिन यह व्यवस्था है कि यदि किसी का फार्म मिकेनाइज्ड है तो उससे एक्जेम्प्ट कर दिया जायगा । इसलिये व्यावहारिक रूप में वहां कोई सीलिंग नहीं है । फिर भी वहां खेतिहर मजदूर भारत में सब से अधिक सम्पन्न हैं । चाहे कोई श्रमिक ग्रामीण हो अथवा शहरी, उसको ५ रुपया प्रतिदिन से कम मजदूरी नहीं मिलती और इस दर पर भी मजदूर मिलता नहीं है । उत्तर प्रदेश में जहां उन लोगों को आप सामाजिक न्याय देना कहते हैं, मजदूरों के लिए क्रूकोडाइल टीयर्स बहाते हैं, यहां से और राजस्थान से बहुत से मजदूर वहां पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं । और यहां कोई सीलिंग नहीं है, जिस राज्य में मजदूरों को सबसे अधिक मजदूरी मिलती है और देश भर में उत्पादन में भी सबसे अधिक प्रगति की है, उस राज्य से आप कुछ क्यों नहीं सीखना चाहते ।

जमीन प्राप्त करने के कम से कम आधे दर्जन मैं तरीके आपको बता सकता हूं । एक तरीका तो यही बताया कि अकर्मण्य किसानों से जमीन निकालने का आप कानून बनायें । दूसरा तरीका यह है कि ७० लाख एकड़ जमीन जो खेती के योग्य है और बेकार पड़ी हुई है उसकी ओर ध्यान दीजिये । मैं यह नहीं मानता हूं कि २,४,१० लाख एकड़ जमीन खेती योग्य नहीं बनाई जा सकती है । पहले आपने कोई राय कायम कर ली कि जमीन बढ़ायी नहीं जा सकती और उसी पर आप कायम हैं । जब से टैक्नोलाजी में तरक्की हुई है, तब से

जमीन की कीमत बढ़ गयी है। आज अगर ५ हजार किसी जमीन की कीमत है तो ५ हजार में लीजिये। अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने १ मिलियन हैक्टर, यानी २५ लाख एकड़ जमीन रिक्लेम करने के लिये वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है।

हमारे यहां जमीन से अनाज पैदा करने की चिन्ता नहीं है, जमीन से वोट कैसे पैदा हो उसकी चिन्ता है। यदि आपको जमीन ही दिलानी है तो जितने बड़े बड़े कारखानेदार हैं उन्होंने बहुत जमीनें दबा कर छोड़ी हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर कोई जांच कराई जाय और जो जमीनें कारखानों के मालिकान कब्जे में रखे हैं और इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर उनको ही ले लें तो एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन मिल जायगी। सिर्फ बरेली में ही एक कारखाना है जिसके पास ५-६ लाख एकड़ जमीन है। लेकिन वह तो इनके मालिक ठहरे। एक लाख एकड़ जमीन तो बड़े-बड़े कारखानेदारों से ही मिल सकती है। क्या राजस्व मंत्री इस पर विचार करेंगे कि जो जमीनें कारखानेदारों ने अपने कब्जे में रखी हैं और ५ वर्ष बीत गये उनको जब्त किया जायगा ? यदि उनमें साहस है, यदि खेतिहर मजदूरों के लिये उनके दिल में कोई सहानुभूति है तो ऐसा करें, मैं उस मामले में उनका समर्थन करूंगा।

अन्त में मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं अगर जमीन ही प्राप्त करना उद्देश्य है। यू० ए०आर०, जिसको पहले मिश्र भी कहते थे, वहां नाइल में ही पूरी आबादी है क्योंकि सारा देश रेगिस्तान जैसा है। यह आंका गया है कि दुनियां में सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र अगर कोई है तो वह नाइल बैली का है। उस सरकार ने भी सीलिंग का कानून बनाया लेकिन साथ ही यह व्यवस्था कर दी कि यदि कोई किसान नयी जमीन तोड़ेगा और उस नयी जमीन का ५० परसेंट भूमिहीनों को बांटने के लिए गवर्नमेंट को दे देगा तो उस बाकी ५० प्रतिशत पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा। देखिये, सभी समस्यायें हल होती हैं। नयी जमीन टूटती है, भूमिहीनों को ज्यादा जमीन मिलती है, देश का उत्पादन बढ़ता है। क्या हमारी सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती केवल इसलिये कि कुछ लोग गांवों में अच्छी तरह से कैसे रहें, इस योग्य कैसे हो सकें कि इनके मुकाबले चुनाव में खड़े हो सकें और जिस तरह से जनता को भरमाया जा सके और उनसे वोट हासिल किया जा सके, ये हमेशा ऐसी तरीकों में लगे रहते हैं।

मुख्य मंत्री आज भी कहते हैं कि इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है सिवाय वोट प्राप्ति के। यह एक लाख एकड़ मिली है जो जमीन, एक लाख एकड़ शायद और मिल जाय और उसके लिये यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है कि आज ३० एकड़ से ही किसान नहीं घबराया हुआ है, सभी किसान सोचते हैं कि दस वर्ष तो ४० एकड़ रही, यह सरकार आयी इसको वोटों की जरूरत है इसने ३० एकड़ किया, अगली सरकार २० एकड़ करेगी, फिर १२ एकड़ करेगी, इसका कोई अन्त नहीं है। तो यह अनिश्चितता का जो वातावरण है वह केवल ८ हजार लोगों को ही नहीं परेशान किये हैं, इससे सभी किसानों को परेशानी है और अगर आज राजस्व मंत्री कोई आश्वासन दे भी दें तो इनके आश्वासन की कोई कीमत नहीं है क्योंकि अगली सरकार ने रास्ता दिखा दिया। मैं कहता हूं कि यह जो क्रम चला है, जिससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है कि भूमि सम्पत्ति एक खिलवाड़ हो गयी है इससे बेहतर होता कि आप शुरू में ही २०, २५ जो कुछ लगाना चाहते लगा देते ताकि लोग समझ जाते कि वह किस स्थिति में हैं।

श्री बसंतलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होना चाहिये जब कि भाषण हो रहा है। मेरी समझ में कोई है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

होना चाहिये यह सही है। एक और दो के बीच में तो मैं नहीं उस पर आग्रह करता कि हों, लेकिन उसके बाद रहना चाहिये। और यह मैं मंत्री जी के जरिये से मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि वह किसी न किसी को यहां रखें। एक-दो तो रहने चाहिये, क्योंकि बार बार माननीय

[श्री उपाध्यक्ष]

सदस्य प्रश्न उठाते हैं । तो मैंने जैसे पहली दफा कहा था, पिछला मंत्रिपरिषद् जितना था उससे यह मंत्रिपरिषद् विस्तार में आ गया है तो मै समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये,उनको रहना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

एक मिनिस्टर हाउस में बैठने के लिये बढ़वा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कह दिया और इसका कुछ मतलब होता है। मैंने माननीय मंत्री जी से कह दिया कि वह मुख्य मंत्री जी को बता दें कि बहु-संख्यक मंत्रि-परिषद् के लिये कोई औचित्य नहीं है कि उनका कोई मंत्री सदन में न रहे ।

श्री भानुप्रताप सिंह---

श्रीमन्, जिस समय उत्तर प्रदेश के ८७ फीसदी जनता के भविष्य के बारे में चर्चा हो रही है उस समय मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, यह क्या इस बात का काफी प्रमाण नहीं है कि इस सरकार को ग्रामीण क्षेत्र से कोई सहानुभूति, कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो उठकर चले गये । ऐसा मालूम होता है कि सत्य की बौछार वह बरदाश्त नहीं कर सके ।

श्रीमन्, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और सदस्य भी कुढ़ रहे होंगे कि मैंने एक घंटे से अधिक समय ले लिया । तो मैं बैठता हूं और बाद म जब टिप्पणी होंगी तो उनका जवाब दूंगा ।

श्री गंगा प्रसाद---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)---

मुझे बोलना था, मैं बोलूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष---

कैसे पता आपको कि आप बोलेंगे ? आप क्यों खड़े हैं जबकि एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं ? आप इस समय क्यों बोलेंगे ? आप स्थान ग्रहण करें । यों तो सभी को बोलना है।

श्री गंगा प्रसाद---

जो अनुदान माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस अनुदान से ज्यादातर गरीब किसान, खेतिहर मजदूर और साथ ही साथ राज कर्मचारियों का ज्यादा संबंध है। अभी-अभी हमारे माननीय भैया भानुप्रताप सिंह ने जो सदन के सामने चीज रखी उससे मुझे थोड़ा,बहुत दुख हुआ कि ८,००० व्यक्ति जो ३० एकड़ जोतबन्दी कानून से प्रभावित होंगे । लेकिन जो प्रभावित होंगे उनसे कितन एकड़ जमीन निकलगी इसका कोई दिग्दर्शन नहीं किया ।

एक सदस्य---

एक लाख एकड़ उन्होंने बताया, आपने सुना नहीं ।

श्री भानुप्रताप सिंह---

अनेक बार बताया कि १ लाख एकड़ से एक एकड़ भी ज्यादा मिलने की कोई संभावना नहीं है। स्वयं मुख्य मंत्री भी कह चुके हैं कि ज्यादा जमीन नहीं मिलेगी और आपको क्या कहूं ।

श्री गंगा प्रसाद---

जमीन तो मिलती, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश को जिस दिन लागू किया उसी दिन उन लोगों के सभी रिश्तेदार जितने थे उन्होंने उसी दिन जाकर रजिस्टर पर मुहर लगा दी जिसका नतीजा यह हुआ कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा है वह बच नहीं सकेंगी।

लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि चाहे इधर के लोग हों, चाहे उधर के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे जनसंघी हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे इन्डीकेटी हों और चाहे सिन्डीकेटी हों, जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि थी वे सब बड़े-बड़े लोग थे। उनमें राजा-महाराजा थे। जब उन्होंने शोर मचाया तो मुख्य मंत्री जी ने भी अपने वायदे से जो राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में कहा था, मुंह मोड़ लिया। इसी कारण से आज ढिलाई हो रही है और इसी कारण आज समाजवाद नहीं आ रहा है, जिसका नारा इन्दिरा गांधी ने दिया था वह नहीं हो रहा है। वह समाजवाद दूर हो गया। आप किसी भी जिले में जायें, आप देखेंगे कि जमीन की बिक्री बड़े जोरों से हो रही है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है और कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी हाउस में नहीं है। कृपया सदन को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

कोरम का प्रश्न उठाया गया है। (श्री गंगा प्रसाद की ओर इंगित कर के) आप थोड़ी देर बैठ जायें।

(घण्टी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गंगा प्रसाद---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो जमींदार और तालुकेदार थे उन्होंने शोर मचाया और जब माननीय चरण सिंह जी ने देखा कि हमारी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने कानून में ढिलाई डाल दी। वह वायदे के पक्के थे, लेकिन वह मजबूर थे। उन्होंने देखा कि लोग ३० एकड़ की हदबन्दी नहीं चाहते हैं तो वह भी खामोश हो गये। जमीन की बिक्री बड़े जोर से हो रही है, दूसरे जिले से लोगों को बुलाया जा रहा है। एक नारा था कि जो हदबन्दी से जमीन निकलेगी वह गरीबों, भूमिहीनों को दी जायेगी जिनके पास भूमि नहीं है, लेकिन जो जमीन पहले से मिली है उसका वितरण अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है।

भूमिहीनों को आज जमीन नहीं मिल रही है और क्यों नहीं मिली क्योंकि नियमों में जो प्रधान को अधिकार दिया गया है उसके कारण वह अपने भाई-भतीजों को जमीन दे रहे हैं और गरीब किसानों को नहीं देते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी स कहुंगा कि वह कानून में संशोधन करें ताकि यह पावर जिलाधीश को हो कि वह गांव समाज की जमीन सही आदमी को वितरित कर सके। आज जमीन की समस्या ही इस प्रदेश की भल समस्या है। अगर जमीन की समस्या हल हो जाय तो गरीबी दूर हो जाय और गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक जमीन की समस्या हल नहीं होगी। लोगों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन फार्मों के रूप में है। उनमें हल नहीं चल पाता लेकिन वह उसको घेरे हुये हैं। हमारे यहां राजा धानेपुर का फार्म है और दूसरे राजा साहब अयोध्या का है। वह हजारों एकड़ का फार्म है। वहां हल नहीं चलता। अगर वह जमीन गरीबों और भूमिहीनों को दे दें तो अनाज पैदा होने लगे और गरीब लोगों की हालत में भी सुधार हों।

[श्री गंगा प्रसाद]

मान्यवर, चाहे इस दल के हों या उस दल के हों सबके लिये समाजवाद का सहज नारा बन गया है लेकिन आज जब गांव समाज का प्रधान जमीन का बंटवारा करने बैठता है तो वह अपने बिरादरी और भाई-भतीजों को जमीन देता है। लेखपाल को बोलने का अधिकार नहीं है। भूमिहीनों को जमीन न देकर सवर्णों को भूमि दी जा रही है, जिनके पास जमीन पहले भी थी और आज भी है। इन जमीनों के संबंध में १५-बी और १५-सी की कार्यवाही न करके २२९ की कार्यवाही करते हैं। हमारे यहां वजीरगंज में एक जमीन ग्राम समाज की थी। पहले प्रधान ने कहा ब्लाक बनेगा, ब्लाक नहीं बना फिर प्रधान ने कहा अस्पताल बनेगा। उस पर अस्पताल भी नहीं बना और आज उस जमीन का मुकदमा दीवानी में चल रहा है क्योंकि प्रधान ने उसको उठा दिया है। उसके बारे में प्रधान १५-सी और १५-डी की कार्यवाही भी नहीं कर रहा है। यह हालत है। कैस गरीब आदमी भूमि पा सकेगा !

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में हमारा क्षत्र सरजू और घाघरा के बीच में है, वहां कर्नेलगंज में एक धरोरा तक बंधा बना है। उसके दक्षिण में छः महीने तक पानी भरा रहता है और छः महीने तक वहां के लोग बाढ़ पीड़ित रहते हैं। उनके खेतों में खरीफ में गल्ला नहीं होता है। सिर्फ गन्ना होता है। खरीफ का लगान करीब २५, ३० हजार होता होगा। कृपा कर उनका खरीफ का लगान माफ कर दें। गुप्ता जी की सरकार ने सवा छः एकड़ तक लगान की माफी की थी लेकिन यह सरकार सवा तीन एकड़ तक माफ करने के लिये कह रही है और वह भी कानून के रूप में अभी आया नहीं। पता नहीं आये या न आये। कम से कम बाढ़ के क्षेत्र में कर्नेलगंज से लेकर लोलपुर तक का जो एरिया है, जहां खरीफ की फसल नहीं होती कृपा कर खरीफ का लगान वहां का माफ कर दें। रबी का चाहे ले लें लेकिन खरीफ का लगान बिलकुल माफ कर दें। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं और वह यह है कि भाई भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ५०० रु० तक प्रति एकड़ किसान की आमदनी है।

खेतिहर मजदूरों को क्या मिलता है इसको भी आप देखें। उनको पेट भरने तक की मजदूरी नहीं मिलती है। ५ रु० भाई भानु प्रताप सिंह मजदूरी देते हैं पर घंटों में ही उनसे काम लिया जाता है और वह क्या पड़ती है ? आप एक कमेटी बना दें और वह जांच करे कि खेतिहर मजदूरों को क्या मजदूरी मिलती है और दो बीघा जमीन तथा माहवार वेतन उसको १५ से २० रु० मिलता है। क्या उसका इतने में गुजर हो सकता है ? इस पर विचार होना चाहिये। ५ रु० तो वहां पर वह मजदूर मजदूरी पाता है जो राज है, बढ़ई है या लोहार है परन्तु जो मजदूर खेती पर निर्भर करता है उसको तो २ या ढाई रु० ही प्रति दिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है। कम से कम गोंडे में तो इससे ज्यादा नहीं है। अगर वह वहां रह कर ४ रु० रोज भी पाता तो वहां पर जो रोजाना डकैती होती है, कत्ल होते हैं तो फिर यह नहीं होता। उसका गुजर-बसर होता नहीं है। हरिजनों की तो वहां पर दशा बड़ी ही दयनीय है।

एक बात है चकबन्दी के सम्बन्ध में। चकबन्दी के कारण काश्तकारों का सुधार हुआ है। किसान की जो खेती इधर-उधर बिखरी थी अब वह किसान के खेत इकट्ठे हो गये हैं। हम तो यह कह सकते हैं कि इसके कारण आज किसान अपने खेतों से दुगुना, तिगुना और चौगुना पैदा कर रहा है। कुछ स्थानों पर अब भी चकबन्दी हो रही है और इससे और भी सुधार होगा। साथ ही यह भी कहना है कि उसमें लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय है। वे लोग रात-दिन काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं परन्तु उस मेहनत का उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है।

हमारे यहां जमीन को लेकर दो भाइयों में मुकदमा चला। हाई कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट में गये, यहां तक कि लंदन तक उनको जाना पड़ा परन्तु उनका फैसला नहीं हुआ और कई लाख रुपया उनका व्यय हो गया, परन्तु चकबन्दी के कारण उन दोनों भाइयों का फैसला हो गया। चकबन्दी से ज्यादा लाभ हो इसके लिये जो चकबन्दी के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी जो

मांग है उसको आप अवश्य देखें और पूरी करें। लेखपाल जो पहले १३ रु० पाता था आज उसको १०० रु० मिल रहा है, परन्तु इतना पाने पर भी वह एक पैसा अपने घर में नहीं दे सकता है। कानूनगो, नायब तहसीलदार, इन लोगों से भी काफी काम लिया जाता है परन्तु इनके काम को देखते हुये इनको रुपया नहीं दिया जाता है। आज उससे आप परिवार नियोजन, अल्पबचत, लाटरी तथा तरह तरह का काम ले रहे हैं।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों से ज्यादा काम लिया जाता है उन लोगों को भत्ता या इसी प्रकार से जो भी उपयुक्त समझा जाय अवश्य दिया जाय तभी वे लोग मेहनत से काम करते रह सकेंगे। जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। साथ हीं यह भी अर्ज करना है कि भूमि का बटवारा भी ठीक ढंग से, सुन्दर ढंग से करना चाहिये तभी लोगों में सन्तोष की भावना रह सकती है अन्यथा यह प्रदेश जो ७०० मील लम्बा है और ९ करोड़ आबादी है का बंटवारा हो। अगर प्रान्त के बंटवारे के बाद धीरे-धीरे भूमि की समस्या भी सुलझ जायेगी और इससे किसानों तथा हरिजनों व कर्मचारियों का भी फायदा होगा। इस कारण अगर प्रदेश को यों ही बनाये रखना है तो भूमि के बंटवारे की तरफ आपका विशेष और सही नजरिया होना चाहिये।

श्री महरम सिह (जिला फर्रुखाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसमें मैं यह कटौती का प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य-- बाढ़ पीड़ित और अग्निकांड से पीड़ित तथा ओला आदि से पीड़ित क्षेत्रों में समुचित सहायता न देना तथा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्ज को हटाने के नाम पर कृषकों को बेदखल करना और उनसे ५० गुना लगान वसूल करन क विषय में चर्चा करना। इसके साथ ही जो कटौती का प्रस्ताव श्री भानु प्रताप सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, बजट भाषण के दौरान और भी जब जब भी सरकार की नीतियों की चर्चा होती है तो समाजवाद की चर्चा बड़े जोर से की जाती है। मैं तो उन लोगों में से हूं, जो, चाहे परिणाम, कुछ भी हो लेकिन ऐसी बात की घोषणा बार-बार करना जिससे लोगों का यकीन हटता जाय, मुनासिब नहीं मानता। समाजवाद की ओर किसानों के हित की चर्चा हमारे प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर कर दी गयी है कि जिसके कारण लोगों को अब वस्तुस्थिति पर भी यकीन नहीं होता। जो लोग समाजवाद के हामी हैं, जिनको उससे लाभ होने वाला है और जिस बात से किसान को लाभ होने वाला है, अगर आप ऐसी कोई घोषणा करते हैं तो वह यकीन नहीं करते। मैं इस तरह की घोषणा के बिलकुल विरुद्ध हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों के हित की और समाजवाद की जो घोषणाएं की जाती हैं वह ९९ प्रतिशत सही नहीं होतीं।

श्रीमन्, मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूंगा कि सन् १९६७ में वर्तमान मुख्य मंत्री ही मुख्य मंत्री थे। वह किसान के बेटे कहे जाते हैं और जन्मजात किसान के बेटे हैं। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता। इसलिये कहता हूं कि अगर कोई गलतफहमी है तो वह दूर की जानी चाहिये। तो श्रीमन्, उस समय एक आदेश जारी हुआ था। गर्मी के दिनों में शक्कर की बहुत कमी थी। आदेश इस सम्बन्ध में हुआ था कि किस को शक्कर दी जायगी। उस में कहा गया था कि म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर रहने वालों को लड़की की शादीमें ४० किलो और लड़के की शादी में ३० किलो मिलेगी और जो म्युनिसिपल लिमिट से बाहर रहते हैं, चाहे खेती करने वाले हों, चाहे व्यापारी या लेबर क्लास के हों, किसान के साथ जो भी रहने वाले हैं उनको लड़की-लड़के के शादी में शक्कर पाने का उस तरह का हक नहीं होगा जैसा म्युनिसिपल लिमिट के अन्दर रहने वालों का होगा। यह आदेश जारी हुआ था। बहुत कुछ कहा गया लेकिन यही उत्तर मिला कि यह जो तय हो गया है वही रहेगा। तो किसान के बेटे के राज्य में एक तो यह आदेश हुआ था।

[श्री महरम सिंह—]

दूसरा उदाहरण इस समय का प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस समय ग्राम समाज के नाम पर, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी माननीय सदस्य ने अभी तक उसका जिक्र नही किया। अगर किसानों के लिये और गरीबों के लिये सबसे काला आदेश है तो वह आदेश और कानून कानून है जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों के लिये एक बात को लागू किया गया है कि जिसने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किया है उसको हटाने के नाम पर उनको बेदखल करने के साथ-साथ ५० गुना उनसे वसूल करने की बात है।

मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को किसी तरीके से किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने का हक नहीं है और इसको कड़ाई के साथ रोकना चाहिये, आज तक इस तरह का आदेश कोई जारी नहीं हुआ है जिसमें बिना छानबीन किये या किसी स्पेशल अफसर के द्वारा वस्तुस्थिति को बिना देखे या किसानों को किसी तरह से मौका न दिय हुय ही जारी किया गया हो। उनका नाम गलत दर्ज हुआ या नहीं हुआ इस बात को बिना देखे कि तहसीलदार के सुपुर्द कर देना या कानूनगो या लेखपाल के सिपुर्द करना कोई इन्साफ की बात नहीं है। वहां पर हजारों रुपया रिश्वत लेकर गलत सही फैसले कर दिये जाते हैं। हजारों किसान एक एक जिले में इस कानून से प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह की योजना अब इस समय इस प्रदेश में चलाई जा रही है।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं कहता लेकिन फर्रुखाबाद जिले के सम्बन्ध में ईमानदारी से कह सकता हूं कि वहां पर किसानों के ऊपर सबसे बड़ा संकट आया हुआ है। ५० गुना लगान ग्राम समाज की भूमि पर जिसने अवैध कब्जा कर लिया है उनसे जुर्माना के तौर पर वसूल किया जा रहा है। इस योजना से सैकड़ों किसानों के ऊपर जुरमाने हो रहे हैं और एक एक किसान से ३, ३ और ४, ४ हजार रुपया वसूल हो रहा है। उसमें उदाहरण के तौर पर गलतियां इस तरह से हुई है कि जिस समय बन्दोबस्त हुआ तो कहीं यदि उसका खेत है तो सदैव उस खेत पर वह कब्जेदार रहा और कागज में भी वह काबिज रहा और आज भी काबिज है लेकिन बन्दोबस्त के समय उसका नाम कागज में बदल कर दूसरी जगह हो गया। मौके पर वह आज भी काबिज है। कागज के बदलने की वजह से वह जहां पर काबिज है वह खेत उसका अपना है। जब वह खेत ग्राम समाज के नाम दर्ज हो गया। उसका कब्जा इस तरह से उस पर रह गया और इस तरह से खेत ग्राम समाज के नाम दर्ज होकर २, ४ हजार रुपया आ गये। जिसमें उसका नाम था उसमें दूसरे व्यक्तियों के नाम आ गये। इस तरह का कानून बनाया जा सकता है कि जिसका खेत दूसरे ने ले लिया है और उसका कब्जा ग्राम समाज में है तो उससे आप ५० गुना वसूल करे। परन्तु हमारे यहां यह राजस्व विभाग ने इस तरह का कानून बनाया है कि उनसे ५० गुना वसूल किया जाय।

जहां तक मेरी जानकारी है हजारों वर्ष के भूमि कर वसूल करने के इतिहास में ३ वर्ष से अधिक का लगान वसूल करने का किसी को कानून के अन्तर्गत हक नहीं था। आज यह पहला मौका है कि जब किसानों से ५० गुना लगान वसूल करने के आदेश जारी किये गये हैं। हजारों वर्ष के इतिहास में जो छोटे-छोटे किसान हैं और जिनका नाम फर्जी दर्ज हो गया है उनसे २, २, और ३, ३ हजार रुपया जुर्माना किया जा रहा है। अगर किसी अधिकारी को उन्होंने २०० , ४०० रुपया दे दिया तो उसको छोड़ देते हैं। आज यह दशा है कि गांवों में जाकर लेखपाल धमकी देता है कि अगर तुमने हमको रुपया नहीं दिया तो तुम्हारा नाम दर्ज कर देंगे ताकि अगले साल तुमसे २, ४ हजार रुपया वसूल किया जायगा। जो चीज हजारों वर्ष स नहीं देखी सुनी थी वह आज हो रही है। जो नक्शा वह बना कर देता है वही मान लिया जाता है।

आज किसानों को लेखपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है। आज यह सरकार किसानों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देती है और यहां तक सरकार के दिमाग पर कोई असर नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाय कि मुख्य मंत्री जन्मजात किसान के बेटे है लेकिन ६७ के

आर्डर को सामने रखते हुये यह कहना होगा कि वस्तुस्थिति पर किसानों तथा गरीब के हित की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसानों का आज भी सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व यहां पर कतई नहीं हो रहा है।

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

यदि धृष्टता मेरी न मानी जाय तो मैं कहूंगा कि इस संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है और उसकी जानकारी के न होते हुये वह श्रेय उनको इसलिये प्राप्त हो सकता है कि पटवारी का लड़का पटवारी हो, किसान का लड़का किसान हो और इसी पद्धति को यदि वह चलाना चाहते हैं और जन्मजात पेशे को ही मान लिया जाय तब तो मुझे कोई शिकायत नहीं है लेकिन यदि आप को प्रजातांत्रिक या समाज वादी व्यवस्था को रखना है और आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में न्याय और समानता की बात करनी है तो यह उनके लिये बहुत अधिक शर्मनाक बात है और उन को किसान का हितैषी कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है अगर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है।

वैसे तो मैं श्री भानु प्रताप सिंह जी की बात सुन रहा था और मैं भी सीलिंग के पक्ष में हूं और मेरा दल भी उसके पक्ष में है कि जमीन बांटी जाय और जमीन ही नहीं बल्कि हर चीज बांटी जाय, मुझ इसमें कोई एतराज नहीं है कि हर चीज समान हो, वह बहुत अच्छी है लेकिन एक आपत्ति मुझ है और वह यह है कि यह तो देखना चाहिय कि कोई चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, आप इस में जाते ही क्यों है, आप परिभाषा किसी की क्यों खोलत हैं। यू० पी० का हर आदमी जो यहां रहता है, चाहे किसान हो या व्यापारी हो, यहां के रहने हर आदमी को हर चीज पर समान अधिकार प्राप्त होना चाहिये। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कोई किसान ऐसा है कि जिस की १ हजार रुपया स ज्यादा की आय प्रति दिन है और क्या अन्य व्यवसाय करने वाले ५०,००० से अधिक लोग यू० पी० में ऐसे नहीं हैं जिनकी आय १ हजार से अधिक है। जब यह स्थिति है तो आप को क्या हक है कि गरीब किसान को प्रभावित करने के लिये उसके वोट के लिये आप कहें कि हम भूमि का बटवारा कर रहे हैं, भूमि हीनों को भूमि दे रहे हैं। यह कोरी बातें हैं, जैसा कि बाजपेयीजी ने कहा था कि यह सब फजूल की बात है और इस सब में वोट के अलावा कोइ सच्चाई नहीं है।

आप व्यापारियों पर या अन्य पेशे करने वालों पर सीलिंग नहीं करते, जो दस दस बसें चला रहे हैं और दो दो हजार रुपया प्रति दिन कमा रहे हैं उनको तो आप पूंजी पति बनाने के लिय लाइसेन्स दिये जा रहे हैं लेकिन गांव के रहने वालों की भूमि का आप बंटवारा करन की बात करत हैं। उस क्षत्र की जनता में गरीबी और अशिक्षा बहुत है और अब अराजकता की ओर बढ़ाने की भी वहां की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गांव क क्षेत्र के लिये सरकार भूमि के बटवारे के लिये प्रयत्न कर रही है लेकिन उसका जोर केवल भूमि पर ही। यदि सरकार न केवल भूमि के क्षत्र में वरन हर क्षत्र में एक नक्शा बना कर समानता और समाजवाद लान में अग्रसर हो तो ऐसे विधेयक को यह प्रदेश की विधान सभा सर्वसम्मत से पास करेगी। वह ऐसा कोई फार्मूला पेश करे जो किसी वर्ग विशेष के लिये ही न हो या ऊंच-नीच का सवाल उस में न हो बल्कि सभी समाज के वर्गों में समानता लाने की बात उसमें हो। ऐसे विधेयक का मेरा विश्वास है कि यहां के कम से कम ९८ प्रतिशत माननीय सदस्य समर्थन करेंगे और प्रदेश की जनता भी ऐसे कानून की सराहना करेगी।

ज्यादा न कह कर केवल एक ओर मैं सरकार का ध्यान और आकृष्ट करूंगा। आपने सीलिंग के लिये ४० एकड़ की सीमा रखी है, इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं है लेकिन आप देखें कि उस ४० एकड़ की कीमत क्या है। हमारे यहां औसत कीमत ढाई हजार एकड़ की आती है और इस हिसाब से ४० एकड़ भूमि १ लाख रुपये की हुई। किसी तरह से छलकपट की बात भी लोग करते हैं उनकी बात जाने दीजिये, हमारा किसान अधिक सीधा सादा है लेकिन आज ईमानदारी से कोई भी किसान एक लाख से ज्यादा हैसियत की मिल्कियत नहीं रखता।

[श्री महरम सिंह—]

उसकी मिल्कियत एक लाख, डेढ़ लाख या ७५ हजार से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दूसरे कई अन्य पेशे वाले उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनकी आमदनी कहीं इससे भी अधिक है। तो मैं समझता हूं कि उनकी आमदनी को सीलिंग करने के लिए तुरन्त अगर एक बिल लाया जायगा तो बहुमत की राय है कि उसे पास हो जाना चाहिए। संकोच की बात में नहीं करता हूं मैं उसका अवश्य ही समर्थन करूंगा। आज प्रदेश में करोड़पति, २ करोड़ वाले हैं और ५ करोड़ वाले मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सीमा भी उसी तरह से मुकर्रर करनी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, आज इस सरकार में किसानों के काम चलाने की ओर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआपरटिव को जीप दे रखी है, एग्रीकल्चर आफिसर को जीप दे रखी है और थानेदारों को भी जीप देने जा रहे हैं लेकिन तहसील के जो अधिकारी हैं, जो इतना बड़ा काम करते हैं, मिनिस्टर साहबान को रिसीव करते हैं, कलेक्टर व कमिश्नर को रिसीव करत हैं, तहसील भर का काम करते हैं अगर आप देखें तो उस विभाग में फर्जी इन्दराज बहुत करत हैं। आप क्यों नहीं उनको साधन देते हैं? जो पूरे सर्किल का चक्कर लगाते रहें, उनको आप जीप क्यों नहीं देते हैं ताकि व मौके पर जांच करके जनता के साथ न्याय कर सकें। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इन सब चीजों की जांच करेगी और जो भी कार्य किसानों के हित में हो उसे करने की कृपा करेगी और खासकर फर्रुखाबाद जिले में ग्राम समाज की भूमि की बेदखली करन तथा ५० गुना वसूल करने को तुरन्त रोकने के बाद न्याय करने की कृपा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री उमाकान्त बाजपेयी (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भानुप्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ा दुःख होता है जब यह जानकारी होती है कि आप एक वर्ग विशेष की जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हैं, उसकी गर्दन नापने वाले हैं। आज जो शहरों में बड़े-बड़े मिल मालिक और पूंजीपति हैं उनकी सम्पत्ति और उनकी आय पर आप सीलिंग करने से क्यों हिचकते हैं? क्या आज आप एक विशेष वर्ग, जो कि काश्तकार है, उसकी जायदाद पर, उसकी आमदनी की सीमा निर्धारण करने पर उतारू हुए हैं। मैं यह भी नहीं समझ पाता हूं कि आखिर उस विशेष वर्ग ने कौन सा कसूर किया है। आप हमेशा केंचुली बदल कर उस एक विशेष दल पर क्यों तलवार चलाना चाहते हैं?

दूसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, जिसके बारे में बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि चकबंदी से भूमि का बड़ा सुधार हुआ है और इससे किसानों का बड़ा लाभ हुआ है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं जाकर देखें कि किस प्रकार से चकबन्दी की गयी है। अधिकांश में जो गरीब काश्तकार सी० ओ० या ए० सी० ओ० को पैसा न दे पाये या उनकी जेबों को गर्म नहीं कर पाये, उनके सब चक खराब जगह पर लगा दिये गये लेकिन जो पैसा देकर मिल लिए, उनके चकों को बढ़िया कर दिया गया। मैं चैलेंज के साथ इस बात को कह सकता हूं कि चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हुआ है। आप देखें कि एक-एक चक में १०० कोने मिल जायेंगे। राजस्व मंत्री जी यदि चाहें तो मैं एक नहीं अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कि जो चक कटे हैं, वे गलत बने हुए हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप कहते हैं कि हमने चकबन्दी कर दी है लेकिन ऐसी चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हो सकता जिस चक के सौ-सौ कोने बने हुए हों। चकबन्दी के बाद जो जमीन स्कूल के लिये, रास्ते के लिये या और किसी काम के लिये छोड़ी गयी है उनमें से अधिकांश गांव के जोरदार आदमियों के कब्जे में हैं। इस तरह की चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हो रहा है। चकबन्दी का लाभ तब होता जब वास्तव में उनके चक चौकोर या तिकोने होते लेकिन जिस चक के सौ-सौ कोने बने हुए हों उस चकबन्दी से कोई लाभ नहीं हो सकता। सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति जिनके ऊपर लाखों-करोड़ों रुपये टैक्स के बकाया हैं उनके साथ आप रियायत करते हैं, जिन पैसों को वसूल कर लिया जाय जो उससे हमारी योजनायें चल सकती हैं जो कि रुकी हुई हैं। अगर छोटे काश्तकार के ऊपर ३–४ रुपये लगान का बाकी हो तो माननीय राजस्व मंत्री जी तुरन्त हवालात में बन्द करवा देंगे। यह कहां का न्याय है कि एक गरीब अपनी एक फसल या दो फसल का लगान न अदा कर सके तो उसे आप जेल में बन्द कर दें और जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जो आपके सबसे बड़े समर्थक हैं और जिनके ऊपर लाखों रुपये सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के बकाया पड़े हैं उनके ऊपर आप कोई कार्यवाही नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने बकाया रुपये हैं अगर उनको आप वसूल कर लें तो आपका काम अच्छी तरह से चल सकता है लेकिन उनके साथ आपका कोई विशेष सम्बन्ध है जिसकी वजह से आप उनसे वसूल नहीं करना चाहते हैं।

दूसरी बात जो विचार करने की है और जिस पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है,आज हमारे राजस्व मंत्री जी ने बड़े जोर से अपने भाषण में कहा कि सवा ३ एकड़ या उससे ऊपर की जमीन लाभकारी हो गयी है। क्या राजस्व मंत्री जी यह बतालावेंगे कि आज इस प्रदेश में कितने प्रतिशत जमीन सिंचाई में है? जहां तक मुझे जानकारी है, आपके ही आंकड़े से मैं बतला सकता हूं कि २६–२७ प्रतिशत जमीन तक ही सिंचाई पहुंच पाती है और बाकी ७३–७४ प्रतिशत जमीन सूखी पड़ी हुई है। सूखी जमीन से क्या आप आशा कर सकते हैं कि २००–३०० रुपये एकड़ की आमदनी हो जायेगी और जहां एक फसल के सिवा दूसरी फसल पैदा करने की नौबत ही नहीं आती? होना यह चाहिये था कि आप पहले काश्तकारों के लिये सब प्रकार की सुविधायें देते, आप उनके खेतों के लिये पानी देते, प्रत्येक खेत में पानी पहुंचा देते, प्रत्येक काश्तकार को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद देते या जो कृषि यंत्र होते वह देते। तकाबी की यह हालत है कि उसको दौड़ते-दौड़ते ६ महीने लग जाते हैं और १०–१२ प्रतिशत उसका घूस देने में ही निकल जाता है तब जाकर कहीं तकाबी मिल पाती है नहीं तो तकाबी मिलती ही नहीं।

इस तरह से यह कहना कि सवा तीन एकड़ या तीन सही एक बटा आठ एकड़ जमीन लाभकारी है, मैं समझता हूं कि वह लाभकारी नहीं है। वास्तव में सही बात यह है कि सवा ६ एकड़ तक के जो काश्तकार हैं वे लाभकारी जोत वालों में शामिल नहीं हैं। उनकी जोत में ऐसा लाभ नहीं होता है। एक आदमी काश्त करता है, एक आदमी खेतिहर मजदूर है या कहीं बाहर जाकर नौकरी करता है और तब जाकर उसके परिवार का भरण-पोषण हो पाता है। अच्छा यह होता कि जो लोग अपने को महात्मा गांधी का भक्त कहते हैं और जो शुरू से आखीर तक सरकार की कुर्सियों पर बैठे रहे हैं वे महात्मा जी द्वारा कही हुई बातों पर भी चलने की कोशिश करते। महात्मा जी ने सदैव यह कहा कि जमींदारी खत्म करने के बाद काश्तकारों का लगान आधा कर दिया जावे।

अच्छा तो यह होता कि आप प्रत्येक काश्तकार का चाहे वह भूमिधर होता, चाहे सीरदार होता, लगान आधा कर देते। लेकिन दुःख का विषय है कि लगान कम करने की बात तो दूर, सरकार लगान बढ़ाने के प्रयास में रहती है। आप तो यह कहते रहते हैं कि काश्तकार छप्परों में नोट खींसते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि काश्तकार आज भी भूखों मरता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, होना यह चाहिये था कि प्रत्येक काश्तकार को आप भूमिधर बनाते। क्योंकि हम यह मानते चले आ रहे हैं कि जमीन का अगर वास्तविक मालिक है तो वह काश्तकार है। आप

[श्री उमाकान्त बाजपेयी---]

उसे सीरदार बना कर बेदखली के लिये गुंजाइश रक्खे हुए हैं। असली मालिक तो भूमिधर है काश्तकार तो सीरदार रह गया। वह असली जमीन का मालिक नहीं है। सरकार जमीन की मालिक है। आप प्रत्येक काश्तकार को भूमिधर का अधिकार दें और लगान आधा कर दें। यह आज की मांग नहीं है पुरानी मांग है और यह पूज्य बापू की मांग है, हमारे राष्ट्रपिता की मांग है। फिर भी आप इस तरफ ध्यान नहीं देते और न ही सुनने के लिये तैयार हैं।

आज भी राजस्व विभाग के कर्मचारी उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार वे अंग्रेजी जमाने में किया करते थे। आज लेखपाल एक फसल में खरीफ लिखता है और दूसरी में रबी लिख देता है। वह देखना नहीं चाहता कि खेती में क्या है ? 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पातः' वाली बात है। होना यह चाहिये कि प्रत्येक फसल में लेखपाल मौके पर जाय और देखे कि क्या बोया हुआ है। वह तकलीफ नहीं करता और अगर जाता भी है तो किसी के दरवाजे पर बैठ जाता है। वहां खाने को मिलता है, नाश्ता मिलता है और फिर जैसी इच्छा होती है वैसे ही वह कब्जे और फसल को भी लिख देता है। इस तरह से कर के वह चला जाता है।

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि आज भी पैसा देकर लेखपाल और कानूनगो से कुछ जोरदार आदमी कमजोर आदमी की जमीन अपने कब्जे में लिखा लेते हैं और वह कमजोर आदमी बता नहीं सकता। आज जो विधवा स्त्रियां और अपंग पुरुष जो गांवों में पड़े हुए हैं वे बता नहीं सकते कि हमारी जमीन का क्या लेखा लिखा हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, यह कहा गया था कि बहियां दी जायेंगी। परन्तु मैं देखता हूं कि बहियों का वितरण नहीं हुआ। काश्तकार का यह अधिकार था कि आप उसे जोत बहियां देते। आपने पैसा तय किया लेकिन पैसा देने के बाद भी प्रत्येक काश्तकार के पास बहियां नहीं पहुंचा पाये। आप कुछ ऐसा प्रबन्ध करते कि इसमें जो एन्ट्रोज होती है उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं अपना भाषण समाप्त करके आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री छेदालाल चौधरी---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री द्वारा जो मांगें प्रस्तुत हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो माननीय राजा साहेब ने कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं राजा साहब की कुछ बातों से सहमत भी हूं और कुछ बातों का विरोध करता हूं।

श्री भानुप्रताप सिंह---

वह यह बता दें, अधिष्ठाता महोदय, कि हम कौन सी रियासत के राजा रहे हैं। वे बार-बार कह रहे हैं। वे मेरी रियासत का नाम बतायें या यह बता दें कि कितनी जमीन मेरे पास रही है। आप इस तरह की बात करके तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं . . .

श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के राजा रहे हैं और वही आपकी रियासत रही है।

श्री छेदालाल चौधरी---

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अगर माननीय भानुप्रताप सिंह जी को राजा नाम से कोई दुख हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। जो बातें उन्होंने कहीं हैं उनमें २-४ बातों से मैं समहत हूं। उन्होंने कहा कि आज गरीब और अमीर के बीच जो विषमता है वह दूर होना चाहिये, मैं इससे सहमत हूं। यह उचित नहीं है कि एक तो बहुत ज्यादा गरीब है और एक बहुत ज्यादा अमीर है। एक तरफ शहरों में लाखों की सम्पत्ति है, दूसरी तरफ गांव में किसान के पास झोपड़ी भी नहीं है। इसको दूर करने के लिये जिस तरह से गांवों में जोतों की सीमा बांधने की बात की जा रही है शहरों के लिये भी वह जरूरी है। दूसरी बात यह कि किसान की मालगुजारी पूरी माफ होना चाहिये, मैं इससे असहमत हूं। मालगुजारी

जब किसान देता है तो उसका उसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जो खेती करता है वह समझता है कि उस जमीन पर उसकी मिलकियत है और वह उस भावना से काम करता है। अगर किसी तरह से उसके दिमाग में यह आ जाये कि जमीन पर उसकी मिलकियत नहीं है तो वह रुचि के साथ कार्य नहीं करेगा और वह उस दिन से मेहनत करना छोड़ देगा। जमींदारी प्रथा के वक्त किसानों का शोषण होता था। उनके समय में एक वर्ग एसा होता था जैसे मोची, नाई, नट, धोबी आदि जो उनके यहां काम करते थे और उसके एवज में उनको पैसा नगद नहीं मिलता था, ४–६ बीघा जमीन मिल जाती थी या जिन्स के रूप में एवज दे दिया जाता था। जब भी कारिन्दा वगैरह नाराज हो जाते थे, वह जमीन आदि उनसे छीन ली जाती थी। आज अगर यही भावना जाग्रत कर दी गयी तो इससे देश और प्रदेश का अहित होगा।

एक सदस्य––

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला बलिया)––

कई बार आज कोरम की घंटी बजानी पड़ी है। आप सरकारी पक्ष को आदेश दें कि हाउस में कोरम बनाये रखें। यह तो उनकी जिम्मेदारी है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)––

सरकारी पक्ष वाले इस वक्त अल्पमत में हैं। अगर उनके साथी इनके कंट्रोल में नहीं हैं तो इनसे कहिये, कोरम की जिम्मेदारी इनकी है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य कृपया भाषण जारी रखें।

श्री छेदालाल चौधरी––

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, इसके बाद मैं माल विभाग की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जिला, खीरी जिला है और हमारे प्रदेश में वह नैपाल की सीमा के पास स्थित है और वहां से हमारा शत्रु देश चीन भी नजदीक पड़ता है। नैपाल का बहुत बड़ा महत्व है, किसी भी समय उसका असर पड़ सकता है, यदि वह अपना रुख बदलता है। इसके अलावा कई और जिले हैं जैसे पीलीभीत, बहराइच आदि, वहां पर एक बड़ी समस्या उग्रपंथियों और नक्सलपथियों की है जिनका ताल्लुक जमीन से है। शासन को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जिले में और तराई क्षेत्र में बड़े-बड़े फार्म्स हैं,जो कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों और मिल मालिकों के हैं। चीनी मिल मालिकों के हैं। उन पर जो सीलिंग का कानून लागू किया गया कि हम हदबंदी करेंगे, उसका लाभ बेरोजगारों को और भूमिहीनों को नहीं मिल पाया है। उस हदबन्दी से जो आराजी निकली वह भूमिहीनों को नहीं मिली, उस हदबन्दी का उद्देश्य इस तरह से बिलकुल फेल हो चुका है।

हिंदुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरननाथ का जमुना बाग फार्म है, महोली शुगर मिल वालों का खंजन नगर फार्म है और अवध शुगर मिल का हरगांव का पिपरा फार्म है। उन पर यह कानून लाग हुआ और इससे हजारों एकड़ जमीन निकली और सरकार ने बराबर कहा कि हम यह निकली हुई जमीन भूमिहीनों को देंगे, लेकिन वैसा आज तक नहीं हुआ। सन् ६७ का चुनाव हुआ, उस समय के जो मुख्य मंत्री थे वह इसे नहीं चाहते थे और उस समय के रेवेन्यू सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख कर दी कि यहां पर जमुनाबाग की मिली जमीन गोला मिल वालों को दे दी जाए और यही हाल पिपरा फार्म के संबंध में भी हुआ। यदि सरकार ईमानदारी से चाहती तो उद्योगपतियों से जमीन लेकर भूमिहीनों को दे सकती थीं, किन्तु सरकार वास्तव में गरीबों और भूमिहीनों का कोई भला करना नहीं चाहती है।

[श्री छेदालाल चौधरी---]

हमारे यहां एक निघासन तहसील है, जहां पर हजारों एकड़ जमीन गरीबों को दी जा सकती है, किन्तु उसकी अमलदरामद नहीं हो सकती, यह बात मेरे समझ में नहीं आती है। चकबन्दी से जो जमीन निकली है उस पर भी दूसरे लोगों का कब्जा है। गरीब किसानों की जमीन तो चकन्बदी में छिन गई, किन्तु उन्हें दूसरे चक मिले थे, उन पर उनको कब्जा नहीं मिल सका है। राजस्व मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें और तराई जिले में एक सर्वे कमीशन के जरिये सर्वे रिकार्ड करायें कि कितनी जमीन पर लोगों का नाजायज कब्जा है? और उसको लेकर फौरन उसका डिस्पोजल किया जाए। इस काम में देर लगाना मुनासिब नहीं है। यदि देर लगती है तो अव्यवस्था फैलेगी और शान्ति के लिए खतरा पैदा होगा। उसका असर केवल उस जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ सकता है और प्रदेश के नाते देश पर पड़ सकता है। यह एक प्रकार की छुआछूत की बीमारी है उग्रपंथियों और नक्सलपंथियों की ओर सरकार अविलम्ब ध्यान दें।

दूसरी तरफ मैं अब मंत्री जी का ध्यान विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। अनुभव की बात यह है कि तहसील में भूमिधरी जो फीस जमा होती है, तो उसे जो काश्तकार जमा करने जाता है, वह बिना रिश्वत दिये जमा नहीं होती है। जो किसान रिश्वत दे देता है तो उसका प्रार्थना-पत्र बिना तहसीलदार के पास पेश किये हुए उसकी फीस जमा करली जाती है, किन्तु जो रिश्वत नहीं देता है उसका भूमिधरी लगान नहीं जमा होता है, किसी भी हालत में नहीं जमा होता है। इसके लिए रजिस्ट्री के लिए जाता है रजिस्ट्रार आफिस में। वहां बगैर रुपये लिए काम नहीं होता है, यह खुली चीज है। एक जिले में नहीं प्रदेश के करीब करीब हर जिले में यह रजिस्ट्रार के आफिस में, तहसील दार के आफिस में है। दाखिल खारिज के मुकदमों के सम्बन्ध में जिनका निपटारा जल्दी हो जाना चाहिए वर्षों तक फाइलें दबी पड़ी रहती हैं, न इन्दराज है, न कोई हिसाब है। जब काश्तकार मजबूर हुआ, नाजायज पैसा देकर अपना काम बनवा लेता है। इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

दूसरे उगाही के सिलसिले में स्टाफ लगता है, चपरासी भरती किये जाते हैं, उनमें से अधिकांश लोग अपनी मरजी के खिलाफ कलेक्टर साहबान के यहां, परगनाधीश के यहां, कोई न कोई निजी काम करते रहते हैं। जैसे राज्यपाल महोदय के यहां कितने ही लोग उनकी आराम के लिए लगे हुए हैं, अगर वह बड़े लाट साहब हैं तो जिलाधीश छोटे लाट साहब हैं। दसियों, बीसियों कर्मचारी उनके यहां लगे हुए हैं। कोई बिजली का काम करता है, कोई खुरपी लिए खेती का काम करता है कोई फार्म पर लगा हुआ है, दवाई-मड़ाई कर रहा है। इस तरह से हर तहसील में है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं, जब हमारे जिले में उच्चाधिकारियों का दौरा होता है, चाहे मंत्रिगण हों, उनकी आवभगत होती है, और जो उसका भुगतान होता है वह तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी को करना पड़ता है। उसके बाद साल भर तक वह गरीबों को नोचते रहते हैं। अगर उनकी आवभगत की जाय तो सच्चाई के साथ अपने बजट में कोई प्राविजन कर दें कि इतना रुपया किसी की आवभगत में या आदर सत्कार के लिए होगा। लेकिन यह मुनासिब नहीं है कि जनतंत्र में इस तरह से किसानों से हजारों रुपया वसूल किया जाय उसकी कोई व्यवस्था न हो।

दूसरी बात यह है कि एक अदालत है हमारे यहां असिस्टेंट एस० डी० एम०, निघासन इब्राहीम खां की, वह बगैर लिए किसी पार्टी से, कोई फैसला नहीं करते हैं। सम्मानित आयुक्त लखनऊ मंडल और जिलाधीश, खीरी की अदालत में दस-बीस दरख्वास्तें ट्रांस्फर एप्लीकेशंस लग चुकी हैं, उनकी अदालत से मुकदमों को हटाने के लिए, उन पर लिखा गया है कि इनक्वायरी भी हो लेकिन आज तक उस अदालत के बारे में चूं नहीं किया गया है। इंसाफ कैसे मिले,

मेरिट पर इंसाफ होता नहीं। गरीब जाय तो कहाँ ? इसलिए अदब से माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मुझको आशा है कि इसको दूर कर के गरीब को इंसाफ मिलगा और माल विभाग का सुधार होगा। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के साथ सवा छः एकड़ तक अलाभकर जोतों से लगान माफी, परती बंजर और सीलिग से निकली जमीन को बटवाने के समर्थन में कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, परती बंजर और सीलिग की जमीन लगभग १२५ लाख एकड़ है जो बांटी जा सकती है। २० लाख एकड़ सीलिग से और १२ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर जंगल नहीं है, शेष परती बंजर है, जो गांव समाज की है, सब को बांट दिया जाय, तीन एकड़ के हिसाब से बांटा जाय तो लगभग ४० लाख परिवारों को जमीन मिल सकती है। अगर बंटवारा कर दिया जाय तो गरीबों की कुछ समस्या हल हो सकती है।

इसके साथ ही साथ बड़े काश्तकारों, भूमिहीनों और उद्योगपतियों की समस्या भी हल हो सकती है क्योंकि उन्हें जमीन मिलेगी किन्तु इससे गांवों में बड़े काश्तकारों के लिये या अन्य कामों के लिये मजदूरों की कमी पड़ जायेगी और इससे एक समस्या आ सकती है। लेकिन उनके घर के लड़के १०० रुपये की चाकरी करते हैं वे उस काम को छोड़ कर अपना काम करेंगे जिससे उनको काम में राहत मिलेगी, उनकी हैसियत बढ़ेगी और उन्हें फायदा भी होगा तथा भूमिहीनों को जमीन मिल जायेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ६ १/४ एकड़ लगान माफ कर दी जाय जो टेक्सेशन की नीति है वह यूनिफार्म होनी चाहिये । छोटे काश्तकारों की सवा ६ एकड़ अलाभकर जोत है उनकी उनमें कोई आमनी नहीं होती है। इससे कम से कम गरीबों के पास छोटे-छोटे कामों के लिए थोड़ा पैसा बच जायेगा । इससे वे अपनी पूर्ति कर लेंगे। इसके अतिरिक्त मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि जो पुराने जमाने से अंग्रेजों के समय से कैम्प चला आ रहा है। जिलाधीश कैम्प के लिये १०० रु० प्रति लेखपाल से लिया जाता है, एस०डी० एम० के लिये भी प्रति लेखपाल से १०० रुपये लिया जाता है, तहसीलदार कैम्प के लिए ५० रुपया लिया जाता है। यह सब क्या है । कैम्प में क्या होता है ? अधिकारियों की बीबी और बच्चे कैम्प में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं । फर्जी कागज पर बिना जांच-पड़ताल किये दस्तखत कर देते हैं यदि कैम्प की स्कीम रखी जाय तो इसको करागर बनाया जाय । पुराने जमाने की पिकनिक को अब बन्द होना चाहिये । अधिष्ठाता महोदय, मैं दाखिल। खारिज के मुकदमें के बारे में आपसे बताना चाहता हूं कि तहसील में ६-६ महीने लग जाते हैं । काश्तकार परेशान हो जाते हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में तहसील हाटा, पड़रौना देवरिया और सलीमपुर है । मैं आपको बताऊं कि हाटा में एक तहसीलदार स्वामी नाथ सिंह आये । ५०० रु० उनकी पास बुक में पैसा था और एक साल के बाद उनके पास ८९,००० रु० हो गया । अतः आप सोच सकते हैं कि वहां कितनी लूट-खसोट हो रही है। वहां के लोग कंगाल हैं । सरकार ने १० गुने से २० गुना कर दिया है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे पिछली सरकार में भी राजस्व मंत्री थे तो जब बाढ़पूरे प्रदेश में आई थी तो आपने एलान किया था कि १०० रुपया प्रत्येक घर गिरे परिवार को दिया जायेगा । किन्तु इसे कुछ ही लोगों में बांट करके यह काम बन्द कर दिया । फीस माफ करने के लिये आपने आदेश दिया था कि ७ महीने की फीस माफ की जायेगी किन्तु आपका यह स्टेटमेंट, आपकी वह आवाज बिलकुल थोथी रही । कोई फायदा इस प्रदेश को न हो सका ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि करमुआ में अग्निकांड हुआ। बैल मरे हैं और प्रश्नोत्तर में जब पूछा गया कि उनकी दवा-दारू के लिये डाक्टर नहीं आया तो मंत्री

[श्री हरिवंश सहाय---]

जी ने उत्तर दिया कि उसका संबंध मेरे विभाग से नहीं है। बैल मर जाय, पशु झुलस जाय और मंत्री जी कहें कि इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं है। यह गैर जिम्मेदारी का उत्तर है। यह आपके विभाग की जिम्मेदारी थी कि इसके संबंध में कार्यवाही करें ।

यह पता नहीं लगता है कि देवरिया जिलों में चकबन्दी कब समाप्त होगी । जो ३ एकड़ का काश्तकार है उसको भी ३ चक कर दिये गये हैं और जो ६ एकड़ के काश्तकार को २ चक ही बनाये गये हैं । मालूम पड़ता है कोई हिसाब ही नहीं है । मालियत में अन्तर कहीं पर २५ फीसदी का हिसाब लगाया गया है तो कहीं ५० फीसदी का और कहीं पर ६० फीसदी का हिसाब लगाया गया है। एक परिवार के पास १५ एकड़ जमीन थी उसका ६ आना लगा कर ६ एकड़ कर दिया गया । जो नियम विरुद्ध है वह परिवार सी० ओ० साहब के पास गया और कहा कि हमारे यहां आपकी दावत है। उनको घर बुला कर कहा कि आपको कोई मुर्गा खिलाता है और कोई रसगुल्ला खिलाता है लेकिन मैं आपको लाठी खिलाऊंगा । आपने मेरा १५ एकड़ के बजाय ६ एकड़ कर दिया । अब आप मेरा और क्या बिगाड़ेंगे । माननीय मंत्री जी को इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये कि मालियत में घटाव-बढ़ाव में २५ प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो। जो चक बनाये जा रहे हैं उन चकों तक पानी जाने के लिये नालियां नहीं बनायी जा रही हैं । एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए एप्रोच रोड्स नहीं बनायी जा रही हैं । नक्शों को देखकर नहीं बनाया जा रहा है।

हमारे जिले के तीन मंत्री हैं । एक चपरासी का स्थानान्तरण हुआ । एक ने उसका ट्रांसफर कराया और दूसरे ने उसको स्टे करा दिया। हमारे यहां के मंत्रियों का क्या यही काम रह गया है कि किसी का ट्रांसफर करायें और किसी का रुकवायें ।

पिछली सरकार में जब आप राजस्व मंत्री थे तो छोटी गंडक में संवरेजी के पास एक नाव के डूब जाने से १२ आदमी मरे थे लेकिन कहा गया कि ४ आदमी ही मरे । वहां से तीन मील दूर बैलों का मेला लगता था । सरकार को चाहिये था कि उस घाट पर पुलिस का इन्तजाम रखती जिससे ऐसी घटना न हो पाती । उनमें से सिर्फ ३ लाशें ही मिलीं । इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ।

अभी सरकार ने हमारे यहां से एक एस०ओ० सी० का ट्रांसफर किया है। एक खा साहब थे जो बहुत ईमानदार थे । उनके पास सब लोग पहुंचते थे लेकिन फैसला सदा अपने विवेक से देते थे । लेकिन उनका स्थानान्तरण कर दिया गया और ऐसे आदमी को वहां पोस्ट किया गया है जो हमारे ही जिले में एक एस०डी० एम० थे । उनके बारे में लोगों का ख्याल अच्छा नहीं है। जो पुराने उनके यहां आने जाने वाले लगे रहते थे ऐसा हो सकता है कि उन्हीं की अधिक चलेगी । तो आपको अगर चकबन्दी का कोई अफसर नियुक्त करना हो तो बाहर से भेजा करें ताकि पुराने गुर्गों से बचे रहें । अगर ऐसा करेंगे तो देवरिया जिले का भला हो सकता है।

दूसरे मैं एक दिन बारबंकी गया था । बाराबंकी बहराइच रोड को चौका घाट के पास ऊंचा किया जा रहा है। लाखों की फसल काट दी गयी है और हमारी पार्टी के नेता शिव-कलाश जी ने जब यहां प्रश्न किया तो जवाब मिला कि कोई नुक्सान नहीं हुआ । आपकी सरकार के मंत्री भगौती सिंह जी जाते हैं उनसे आप मालूम कर लीजिये । लाखों की सम्पत्ति का नुक्सान हुआ और आपकी तरफ से कहा जाता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ । इसकी जांच आप करा लें ।

बड़ी गंडक के पास एक गांव बुलहवां है। वह सम्पूर्ण गांव नदी की धारा में आ कर कट कर बह गया। मैंने विधान सभा में प्रश्न किया तो जवाब दिया गया कि इतनी तेज धारा थी. कि गांव को बचाना मुश्किल था । इस गांव का एक घर नहीं बचा है । वहां के लोग

देवरिया की सड़कों पर घूमते हैं और नदी के किनारे हजारों की संख्या में घूमते फिरते हैं इस गांव में के कट जाने से वे बेघरबार हो गये हैं । मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि सीलिंग से जो जमीन निकल रही है वह उन लोगों को देने का इन्तजाम करें ।

एक निवेदन और करना है। हमारे यहां एक चकिया फार्म है ४०० एकड़ का । सुनने में आया है कि आपकी तरफ से सर्वे हो रही है । मालूम हुआ कि वहां पर एक सेंट्रल जेल बनेगी । वह बिहार का किनारा है । उस जमीन को गरीबों म बांटने की व्यवस्था होनी चाहिये । सेंट्रल जेल अगर बननी ही है तो देवरिया के बीच में जहां बड़े बड़े फार्म हैं वहां बनाने की व्यवस्था करें ।

अन्त में मैं माननीय भानुप्रताप जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बैठता हूं ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है । यहां लोगों का जीवन खेती पर ही निर्भर है। अभी सीलिंग की जोरों से चर्चा हुई और यह चर्चा आज से नहीं हो रही है, जिस वक्त यह सरकार बनी और इस सदन को प्रथमवार माननीय राज्यपाल जी ने सम्बोधित किया तो उन्होंने अपने सम्बोधन में गवर्नमेंट की पालिसी को बताते हुए कहा था कि प्रदेश की भूमि की सीलिंग की जायगी और उसमें विवरण दिया था कि ३० एकड़ तक जमीन एक परिवार रख सकेगा । जिसमें उसकी बाग, बंजर, खेती, किसी भी प्रकार की जमीन होगी वह सम्मिलित होगी । यह बात राज्यपाल जी के अभिभाषण में थी । और उसके बाद माननीय हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी संभवत: कहीं पर की कि हम जल्दी से जल्दी सीलिंग का कानून बनावेंगे । गरीब लोगों में थोड़ी खुशी, उत्साह पैदा हुआ देहात में रहने वाले, दूसरे की जमीन पर बेगार करके, जोत कर गुजर करने वाले को कुछ जमीन मिलेगी चाहे १–२ एकड़ या १–२ बीघा ही सही, जो कि सीलिंग से निकलेगी ।

समाजवाद चाहे हमारे ग्रुप का हो या उधर सिंडीकेट कहे जाने वालों का हो या उनका हो जो बहुत समय से समाजवाद का राग अलाप रहे थे । हमारे सामने जनसंघी भाई और नेता जी स्वतंत्र पार्टी के हैं य भी कभी कभी समाजवाद का नाम लेने लगे थे । हो सकता है चौधरी साहब ये भी उसी रंग में बहकर कह दिया हो । जब इंदिरा जी ने घोषणा की समाजवाद लागू करने की और भाषण दिये तो लाखों, करोड़ों की तादाद में पब्लिक इकट्ठी होने लगी। तब विभिन्न पार्टी के लोगों ने सोचा कि इंदिरा जी की मीटिंग में इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो क्यों न हम भी वही राग अलापें, और उसी को अलापना शुरू कर दिया। चौधरी साहब ने भी घोषणा कर दी । लगता मुझे ऐसा है कि इस घोषणा के बाद कुछ ऐसा दबाव पड़ा चौधरी साहब पर कि उनकी सरकार डगमगाने लगी और ऐसा उनको मालूम पड़ा कि उनके पैर उखड़ने लगे, सरकार चल नहीं पावेगी । हो सकता है इस दबाव के पीछे ३०–४० एकड़ से ऊपर के काश्तकार हों। इस प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है ८० और ९० फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके पास १०-१५, २०–२५ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है और २–३ फीसदी ऐसे हैं, ज्यादा से ज्यादा ५ फीसदी होंगे जिनके पास २० या ४० एकड़ से ज्यादा होगी । तो जब उनका दबाव पड़ा तो इस कानून के बनाने में चौधरी साहब ने थोड़ी सी ढील-ढाल कर दी और उस गरीब मजदूर की परवाह न की जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, जो दूसरों की खेती पर काम करके रोजी कमाता है और १–२ रुपया रोज पाता है। उसके घर में ४ बच्चे भी मान लें तो चार बच्चे और एक बीबी। जब वह डेढ रुपया कमाकर लौटता है तो उसक बीबी-बच्चे उसकी राह देखते हैं और लौटकर कैसे वह डेढ रुपय में अपनी और अपन बीबी-बच्चों का पेट भर सकता है। लेकिन चौधरी साहब ने उसकी

[श्री रामलाल राही]

तरफ नहीं देखा, अपनी कुर्सी बचाने की तरफ और उस वर्ग की तरफ देखा जो समाज का शोषण करता है, जो अनधिकृत तौर से सैकड़ों बीघा जमीन रखे हुये है। जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तरीके से अन्याय कर रहा है उसको उन्होंने तरजीह दी उसकी बनिस्बत जिसको वास्तव में मिलना चाहिये। सरकार भले ही गिरे, लेकिन चौधरी साहब को इस देश के गरीब शोषित, पीड़ित लोगों की तरफ देखना चाहिये था। उन्हें आज सुनहरा मौका मिला था।

जितनी अधिक से अधिक लोगों को जमीन दिला सकते, जितनी अधिक से अधिक लोगों को रोटी दिला सकते, ऐसी व्यवस्था करते और कानून बनाते, लेकिन वह अपनी कुर्सी बचाने के लालच में चुप हैं और मुझे दुख है कि इस देश को और प्रदेश को जिस चीज की आवश्यकता थी उसकी उपेक्षा कर की गई।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी साहब इस कानून को नहीं बना पाये हो सकता है कि इसमें विरोधी पक्ष के भाइयों की ओर से बल मिल रहा हो। श्रीमन्, मुझे जब बोलन का मौका मिला था तो मैंने निवेदन किया था कि गरीब आदमी भूमि नहीं चाहता, कारखाना नहीं चाहता, कल नहीं चाहता, वह चाहता है अपने बच्चों के लिए रोटी। उसे रोजगार मिलना चाहिये, कैसा भी रोजगार मिले, चाहे खेती के जरिये से मिले और चाहे कल कारखाने के जरिये मिले और चाहे आप उसको कोई लाइसेंस दें या और कोई तरीका इस्तेमाल करे। आप कोई न कोई तरीका इन गरीबों के लिये अख्तियार करें और अगर श्रीमन् आप नहीं करेंगे तो जो बंगाल की हालत हुई है, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि वही हालत यहां भी होगी। श्रीमन्, भूमि की जो सीलिंग होने को है उसे आप दबा देना चाहते हैं। मैं तो श्रीमन् कहता हूं कि शहरी सम्पत्ति की सीमा का भी निर्धारण होना चाहिये।इस सदन क सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर देश और प्रदेश से गरीबी को मिटाना है तो सर्वप्रथम हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये कि भूमि की सीमा और शहरी सम्पत्ति की सीमा हम निर्धारित कर सकें। इसके लिए अगर श्रीमन् आपने एक हाथ उठाया तो रामलाल राही के दोनों हाथ इसके लिये उठेंगे। तो श्रीमन्, मेरा इतना ही निवेदन है कि जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, जो शोषित और पीड़ित समाज है उनके बच्चों को रोटी दें, उनके बच्चों के लिये दवा-दारू का प्रबन्ध करें, उनके पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध करें। उनके लिये कोई तो तरीका निकालें। अगर श्रीमन् कोई तरीका नहीं निकाल पायेंगे। हम नहीं कर पायेंगे, आप नहीं कर पायेंगे, यह सदन नहीं कर पायेगा तो

(इस समय ३ बजकर ४३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्रीमन्, जैसा मैंने उस दिन इशारा किया था, एक तत्व इस देश में पनप रहा है, वह अपने प्रदेश में भी पनप जायेगा और वह भूमि की ओर शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित कर देगा एक कहावत कही जाती है—

रहिमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न देय,
छेद में डंडा डारि के चाहे नांद लै लेय ॥

तो श्रीमन्, जो कहावत है उसको आप पूरा करने दें और उस वर्ग के सभी लोगों से जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि यह उनके हित में होगा कि वे वह स्थिति इस प्रदेश में न पैदा होने दें। अगर वह स्थिति पैदा हो जायगी तो श्रीमन् मेरा क्या जायेगा, मेरे पास टूटी पतीली और लोटा के सिवा और कुछ है नही, लेकिन आपकी सारी जमीन चली जायेगी और सरकार चली जायेगी और जनता का भी नुक्सान होगा। इसलिये आवश्यक है कि आप सीमा निर्धारित करें। अगर नहीं करते हैं तो उस वर्ग के साथ जो पीड़ित हैं के साथ अन्याय करते हैं और जिस तरह से हमेशा से करते चले आ रहे हैं, करना चाहते हैं।

श्रीमन्, मैं दो, तीन बातें आपके समक्ष जो इससे संबंधित हैं रखना चाहता हूं । १९ अगस्त, सन् ६९ को सामान्य प्रशासन पर मुझे बोलने का मौका मिला था । राजस्व मंत्री जी इस समय हैं संभवतः उस समय भी वही थे । हमारे यहां एक मंगू हरिजन था । उसको तहसील के अधिकारियों ने बन्द कर दिया ७-७-६९ को जेल में यह कहकर कि तकाबी का बकाया उसके ऊपर है। वह १४ दिन जेल में रहा । इसके पहले उसने जिलाधिकारियों को दरखवास्त दी कि मेरे ऊपर एक पैसा भी बकाया नहीं है । यह मैं राजस्व अधिकारियों की करतूत बता रहा हूं । उसके बाद मान्यवर, मैंने एक सवाल किया इस सदन में और वह इसी सत्र के तीसरे बुधवार को आया था प्रश्न संख्या ४ और ५ के अन्तर्गत । मैंने कहा फलां आदमी बन्द किया गया था तो मंत्री जी ने कहा जी हां और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रश्न नहीं उठता जवाब मेरे इस सवाल का दिया गया कि किस धारा में और क्यों बन्द किया गया मैं दुहरा देना चाहता हूं । श्रीमन्, यह बड़ी ज्यादती है उसके ऊपर इसलिये बयान करना चाहता हूं । उसने कभी एक पैसा कर्जा नहीं लिया । जवाब दिया गया कि नहर कर और चकबन्दी का बकाया था और तकाबी रूल्स के अन्दर उनके पिता ने ५०० रु० लिया था और ८ आदमी और थे । बकाया न देने के कारण बन्द किया गया । मान्यवर, जिस समय उसको बन्द किया गया उसके बाप को मरे २० साल हो चुके थे और इस २० साल में उससे कोई मांग नहीं की गई और उसके साथ ८ आदमी जो थे उनका नाम और पता नहीं मालूम । मंगू हरिजन अपने बाप का अकेला लड़का है।

दूसरा सवाल जो मैंने किया उसके उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि तारीखों का पता नहीं कि किस तारीख को कितना बकाया था । श्रीमन्, लेखपाल से लेकर परगनाधिकारी तक राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है उसमें सबसे बड़ा प्रोत्साहन जो मिलता है वह सरकार से मिलता है । अगर इस तरह के गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देंगे तो वह और भी गलत काम करेंगे और गरीब लोगों को सतायेंगे और परेशान करेंगे । श्रीमन्, आपने आश्वासन दिया था कि जांच करावेंगे लेकिन आज तक इस मामले में कोई जांच नहीं हुई । यही नहीं इनाम स्वरूप उस तहसीलदार को परगनाधिकारी बनाकर भेज दिया गया है । आज राजस्व विभाग से गरीब, सर्वहारा वर्ग पीड़ित है । दस-दस हजार और बीस-बीस हजार रुपये बड़े-बड़े आदमियों के ऊपर बकाया है और उनसे कोई मांगने वाला नहीं है और एक गरीब आदमी जो एक नया पैसा नहीं लेता है उसे आप जेल में भिजवा देते हैं । मान्यवर, पांच मिनट और दे दें ।

मान्यवर, तहसील मिश्रिख में दो गांव है सकरारा और भटपुरवा और २० या २५ एकड़ जमीन ग्राम समाज की होगी । वहां भूतपूर्व तहसीलदार और भूतपूर्व परगनाधिकारी गया प्रसाद श्रीवास्तव दोनों ने मिलकर पहले हरिजनों के नाम भूमि करवाया और उनसे दस गुना जमा करवाया और उसके बाद उस जमीन को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के नाम करवा दिया । श्रीमान् जी इसके संबंध में दरख्वास्तें दी गई लेकिन कोई पुरसाहाल नहीं । इससे प्रशासन कमजोर होता है और भ्रष्ट अधिकारियों को अत्याचार करने का और अन्याय करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है । अगर मान्यवर, अधिकारियों के ऊपर अंकुश नहीं लगावेंगे और ढील देंगे तो गरीब और सर्वहारा वर्ग परेशान होगा । अगर गरीब की रक्षा चाहते हैं और गरीबी मिटाना चाहते हैं तो कृपा करके उन गरीबों पर रहम करके वह जो प्रार्थना करें उनकी सुनवाई करें और अगर उनकी सुनवाई आप नहीं करेंगे तो गरीब आदमी कब तक इस बात को बरदाश्त कर पावेगा ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने का अवसर दिया । श्री शर्मा जी यहां बैठे हैं । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं परन्तु मुझको इस बात का दुख है कि शर्मा जी और मैं जब एक ही नेता के अन्तर्गत थे तब वे अपने उसी नेता के किस प्रकार से चरणों को चूमते थे और जो बातें वे उस समय कहा करते थे आज उन्हीं का वे विरोध कर रहे हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

शर्मा जी ने रफी साहब के अलावा और किसी को अपना नेता नहीं माना ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आप न बोलें, आप मंत्री होने वाले नहीं हैं । मैं तो आपको छोटी-छोटी बातें इसलिये बता रहा हूं कि मैं बता सकूं कि जब वे पहले किसी चीज को मानते थे और जो उन्हीं का अब विरोध कर रहे हैं । हमारे जिले में एक तहसीलदार थे । कमिश्नर बरेली ने बदायूं को तिलहर से उसका ट्रांसफर कर दिया । उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें थीं । सी० आई० डी० इन्क्वायरी भी हुई थी । शर्मा जी ने उसका ट्रांसफर फिर बदायूं से तिलहर के लिये किया था । उस समय इस बात को मुझे माननीय मुख्य मंत्री जब गुप्ता जी थे उनसे कहना पड़ा और उन्होंने उसको फिर वहां पर भेजा । यह एक भ्रष्टाचार का ज्वलन्त उदाहरण है । हमारे जिले में ओले पड़े । हमारे यहां तीन क्षेत्रों में ओले पड़े थे । एक क्षेत्र का मैं था और दो क्षेत्रों के श्री शिव कुमार तथा श्री रूप राम थे । उन दो क्षेत्रों में तो सस्ते गल्ले की दुकानें खुलवा दी गईं परन्तु मेरे क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खुलवाई गई ।

एक कानूनगो थे । श्री ब्रह्म स्वरूप कानूनगो खेड़ा बझेड़ा, उन्होंने बहुत ही असभ्य व्यवहार किया और वह बहुत ही झूठा, रिश्वतखोर था उसको भी इन्होंने मेरे ही हल्के में भेज दिया तथा हिन्दू पट्टी तिलहर जहां का वह रहने वाला है वहां भेज दिया । इस प्रकार से पक्षपात-पूर्ण बातें होती रही हैं । स्वच्छ प्रशासन जिसकी मैं बात माननीय शर्मा जी और चौधरी चरण सिंह कहते हैं इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देकर कहां से लाया जा सकता है । आज तो श्री चरण सिंह के चेयर सिंह आदि कई पर्यायवाची शब्द हो गये हैं जब वह संविद सरकार के मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने यह कहा था कि २३ हजार जो चकबन्दी अधिकारी हैं उनको तहसीलदार और नायब तहसीलदार कर दिया जायगा परन्तु हमारे माननीय शर्मा जी ने इस विषय में कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि यह काम जैसा कि चौधरी साहब ने संविद के समय कहा था उस पर कुछ किया जायगा ।

ग्राम समाज की जो जमीनें हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है । मैंने कई बार यहां प्रश्न किये, डी० एम० को भी लिखा । कई ग्राम सभाओं में ५०–५० और ६०–६० एकड़ जमीन ऐसी है । ग्राम सभा भरई, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में ५६ एकड़ उपजाऊ भूमि है लेकिन चार वर्ष से ग्राम सभा को या सरकार को कोई भी आय उससे नहीं हुई । यह मंत्री जी ने खुद एक उत्तर में कहा है । तो क्यों नहीं कोई आमदनी हुई और क्यों नहीं लेखपाल और प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? इसी तरह से तमाम सीलिंग की जमीन पड़ी हुई है और उसका कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है । मिसाल के लिये सिमरिया शिवराजपुर में २०० एकड़ सीलिंग की जमीन है । पिछले साल और न इस साल उसका कोई प्रबन्ध हुआ । जिसने चाहा जोत लिया । तो श्रीमन्, सब काम किसानों के विरुद्ध हो रहा है । तहसीलदार लेखपाल, कानूनगो, पेशकार, नायब तहसीलदार इनसे किसान को छुटकारा दिलवा दें तो बड़ा भला होगा ।

दाखिल-खारिज के मुकदमों को देखें तो डेढ़ साल और दो साल तक दस-दस, बारह-बारह तारीखें पड़ती हैं, एस० डी० एम० के यहां और तहसीलदार के यहां । साधारण से दाखिल-खारिज के मुकदमें में दस-दस , बारह-बारह तारीखें पड़ती हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार होता है । फी तारीख पर पेशकार भी लेता है और वकील भी लेता है । किसान अपना काम काज छोड़कर आता है । इसी प्रकार से श्रीमन्, शाहजहांपुर जिले में एक पुवायां तहसील है । पहले वहां जमींदाराना जंगल थे । आज भी वहां जंगलात और ग्राम समाज का झगड़ा चल रहा है । सन् ६७ के पहले छः डिप्टी कलेक्टरों के बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दिया था । छः डिप्टी कलेक्टरों ने नाजायज रुपया लेकर हजारों एकड़ जमीन के नाजायज पट्टे कर दिये । इंक्वायरी भी हुई लकिन पता नहीं क्या हुआ । आज तक किसी भ्रष्ट अधिकारी

के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। बोर्ड के सेक्रेटरी या कमिश्नर कोई वहां जाकर देखें और सन् ६७ के पहले के कागजात निकलवाएं तो ऐसा कोई भी डिप्टी कलेक्टर नहीं है जो एक लाख रुपये से कम पुवायां से ले गया हो। यह मेरा चार्ज है, यह मेरा चैलेंज है और मैं इसको साबित करने को तैयार हूं।

एक अग्रवाल साहब जुडीशल मैजिस्ट्रेट रेवेन्यू थे। १५० मामलों में उन्होंने सीरदारी राइट्स दे दिए। मैंने शिकायत की। इंक्वायरी हुई और उनका तबादला हुआ। लेकिन ससपेंड किये गये पेशकार और कानूनगो। जबकि ससपेंड उनको किया जाना चाहिये था। आपके पास तो सारी शक्ति और सारे साधन हैं, सी० आई० डी० है, विजीलेंस है। एक-एक लाख रुपया डिप्टी कलेक्टर ले जाएं, हम लोग चिल्लाते रहें और आप न सुनें, यह कैसा किसान राज्य है? इसी तरह से जहां-जहां आग लगी, वहां जितनी अहेतुक सहायता देनी चाहिये थी, वह नहीं दी गई। परगना खेड़ा बझेड़ा में १३६ गांवों में ओला पड़ा। १२७ गांव प्रभावित हुए यह मंत्री जी ने कहा। लेकिन तकावी कितनों को दी गई? कुल २७ गांवों को। कारण क्या है? कहीं लेखपाल नहीं चाहता, कहीं पार्टी बन्दी है। सरजूपुर नदी के किनारे है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहां के लेखपाल के खिलाफ शिकायतें की गयीं, प्रधान मगनपुर ने शिकायत की। लेकिन कुछ नहीं किया गया। कम से कम जांच तो करते। उससे यह खुशी हो जाती कि हम जो शिकायत करते हैं उस पर जांच हो जाती है।

हुआ क्या? जिन लोगों ने दरख्वास्त दी इन्द्रदिकपाल सिंह ने दरख्वास्त दी। उनके २०, २५ आदमियों को अभी तक तकावी नहीं दी है। उनसे कह दिया है कि अभी तकावी नहीं आयी है। इस तरह से यह शासन कैसे चलेगा। यह बात नाकाबिल बरदाश्त है। इस जनता ने तो उस साम्राज्यवादी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है। आपकी तो कहने की बात ही क्या है। कोई ठिकाना नहीं है कि कब यहां से हट जाय। आपकी तो वैसे ही जड़ हिल चुकी है। इसलिये पता नहीं आप कब तक रहेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि आप उन लोगों का खयाल कीजिए और उनकी तरफ ध्यान दीजिए।

सीलिंग के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि अगर सीलिंग के लिये सभी लोगों की यह राय है कि गांव में सीलिंग की जाय तो सीलिंग जरूर होनी चाहिये। लेकिन जब आप जमीन की सीलिंग करने के लिये चलें तो जो शहरों में करोड़पति और अरबपति बने बैठे हैं और जिनके पास ४, ४ और ५,५ मंजिल के मकान हैं, फियट पर बैठकर घूमते हैं उनके लिये भी तो सीलिंग होनी चाहिये। गांव की जमीन को आप सीलिंग करवा चाहते हैं। न उनके पास रहने के लिये मकान है, न वहां पर अच्छे स्कूल हैं और न उनके पास कोई मेडिकल सहायता ही प्राप्त है, न उनके पास अच्छे जानवर हैं। जाड़े के दिनों में वह आग के सामने अपने को तापकर किसी तरह से समय काटते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी यदि आप उनकी सीलिंग करना चाहते हैं तो सीलिंग भी कीजिए जो पूंजीपति हैं आप क्यों उनसे डरते हैं? हम नहीं करते थे क्योंकि हमतो सिंडीकेट कहे जाते हैं लेकिन क्यों उनसे घबराते हैं? आपतो गरीबों के हामी हैं, उनकी मदद करने के लिये बड़े अमीरों की सीलिंग जरूर कीजिये। मगर आप तो उनसे डरते हैं। जितने भी महाराजा हैं, जमींदार हैं, करणसिंह युवराज आपकी तरफ हैं, दिनेश सिंह आपकी तरफ हैं तो इस वजह से आप उनकी सीलिंग करते हुए डरते हैं।

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

आप यह बताएं कि आप सीलिंग के विरोधी हैं?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन जो करोड़पति हैं और अरबपति हैं उनकी भी तो सीलिंग कीजिये। यह प्रवेश तो सब का है। सबको बराबर कीजिये। समाजवाद का यह सिद्धान्त है कि सब

[श्री सुरेन्द्र विक्रम--]

बराबर हों। यह कहां का समाजवाद है कि एक तरफ तो आदमी मोटर में बैठा फिरे, फियट में घूमे, क्वालिटी रेस्टरां में बैठकर चाय पिये और दूसरी तरफ लोगों को बाजरा की रोटी भी न मिले एक वक्त ही खाकर रह जाएं? मुझे मालूम है कि करोड़पति का कुत्ता भी मोटर में चलता है और मक्खन खाता है। मगर यह कोई सिद्धान्त की बात नहीं है कि उनको वैसे ही छोड़ दिया जाय। उनके लिये भी सीलिंग का सिद्धान्त लागू होना चाहिये।

हमारे यहां ३७ हजार रुपया अहेतुक सहायता के रूप में दिया गया है जो १२७ गांव में बांटा गया है। यह कितनी थोड़ी रकम है। अभी तक ७३ हजार रुपया तकावी का बांटा गया है। वहां के गरीबों की तो यह हालत है लेकिन जो भलाई और मक्खन खाते हैं उनके लिये कोई कानून इस सरकार का नहीं है। उनके बारे में यह सरकार क्यों नहीं सोचती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि क्यों यह उनके लिये नहीं सोचती है? अगर बी० के० डी० के सदस्य को २ करोड़ रुपया चीनी मिल वालों ने दे दिया तो यह कहां का इंसाफ है कि उन चीनी मिलों का आप राष्ट्रीयकरण बन्द कर दें। उनकी भी सीलिंग होना चाहिये।

जो लोग ७३, ७४ फीसदी के लगभग खेती करते हैं उनके लिये यह सरकार सब बातें सोचती हैं लेकिन जो दौलत कमाते हैं उनके लिये कुछ नहीं सोचती है। उनकी सीलिंग करने से डरती है। गरीबों की सीलिंग करना चाहती है तो कर दीजिए। मगर इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह होल्डिंग और अनइकानामिक हो जायेंगी। वह जमीन सब बेकार हो जायेगी कोई आदमी मैकेनाइज्ड फार्म नहीं कर सकता है। जो कैपिटलिस्ट हैं उनको तो यह सरकार टच नहीं करना चाहती है लेकिन जो ८५ फीसदी किसान और गरीब हैं उनकी तरफ अपनी नजर दौड़ाती है कि उनकी सीलिंग कर दी जाय। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि करोड़पति और अरबपति के लिये सीलिंग नितान्त आवश्यक है। पर सरकार इनके विषय में न कोई घोषणा करती है, न स्टेटमेंट देती है, न यहां असेंबली में इनके बारे में कोई जिक्र करती है।

मैं शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह आज ही ऐलान कर दें कि इन बड़े बड़े लोगों पर सीलिंग करेंगे। मैं इसका स्वागत करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप भूमि की भी इसके साथ में सीलिंग करें। अन्त में म कहूंगा कि हमारे यहां जो परताल होती है उसमें लेखपाल पैसा लेकर न जाने किस किस का कब्जा रोज बदला करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, जो यह पैसा लेखपाल लेते हैं उसको दूर करने के लिये ऐसा कर दिया जाय कि जब कोई ट्रांसफर किसी डीड के जरिये से हो तो उसकी इत्तिला लेखपाल को मिले और तभी वह कब्जा बदल कर इन्द्राज कर सके।

इसी तरह से जो यह पासबुक दी गई है उनका भी लेकुना है और उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, साल व साल जब कोई जमीन चाहे ३० एकड़ चढ़ी है, वह लिख जाती है और खसरा व जिन्सवार में हमेशा लिखना चाहिये और जब तक वह जिन्सवार भी पासबुक में नहीं लिखा जाता तब तक कब्जा नहीं माना जाना चाहिये। जब कोई जमीन ट्रांसफर करे या बेचे तो साथ ही बयनामे के जो रजिस्ट्री का आफिसर हो वह पास बुक में भी उसका इन्द्राज कर दिया करे। अगर किसी के पास ३० एकड़ जमीन थी और उसने २८ एकड़ बेच दी तो उसमें उसकी एन्ट्री हो जाना चाहिये कि अब २ एकड़ रह गई ताकि लोन वगैरा लेनें में सही पोजीशन हर पासबुक में मौजूद रहे। इसके अलावा यह पासबुक बहुत ढीली रफ्तार से बट रही है और इस तरह से सारी चीज बेकार हो रही है।

इसी तरह से जो पटवारी हैं वह तो तहसीलदार साहब का मुर्गा और बोतल लाने में लगे रहते हैं। तिलहर तहसील की बात है परताल का समय आ गया और लेखपाल ने नक्शा फैलाया और चने, गेहूं और जौ ऊपर से गिरा दिये; जहां जौ गिरा उस खेत में जौ और जिसमें गेहूं गिरा वहां गेहूं और जहां चना गिरा वहां चना भर दिया। इस तरह का भ्रष्टाचार दूर

करने के लिये मैं चाहूंगा कि पटवारियों को जिन्सवार लिखने का अधिकार न रहे और सब किसानों से पूछकर उनके खेत का जिन्सवार लिख लिया जाय इसी से बहुत सा लिटिगेशन और भ्रष्टाचार दूर हो जायगा और लेखपाल की गड़बड़ी समाप्त हो जायगी । इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा बोझ और बरडेन तहसीलदारों पर डाल रखा है, जितने लाटरी के या वसूली के या और जितने काम हैं सब आपने उन्हीं पर डाल रखे हैं उनके बरडेन को किसी तरह से कम किया जाय।

हमारी प्रधान मंत्री के क्षेत्र रायबरेली म आप देखें कि वृहद् जोतकर का करीब ५ लाख रुपये की बकाया पड़ी हुई है और उसकी वसूली नहीं की जा रही है । उसको क्यों नहीं सरकार वसूल करती है ? गरीब किसानों से दो दो चार चार रुपये के लिये उसके बैल, बछड़े कुर्क करके वसूली की जाती है और उसको हवालात में बन्द किया जाता है । जिस पर ५ लाख बकाया है उनको क्यों नहीं बन्द किया जाता है । प्रधान मंत्री जी बड़ा समाजवाद का नारा लगाती हैं उनको तो अपने क्षेत्र में मिसाल कायम करना चाहिये । अगर उनके क्षेत्र में दूसरा व्यवहार किया जाता तो यह बहुत ही दुख की बात होगी, यह कौन सा समाजवाद और समानता की बात किस कानून कायदे से है कि वहां वसूलीं नहीं की जा रही है । मैं तो श्रीमन् आपकी आज्ञा मानता और अब बैठ जाता हूं ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे राजस्व के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो प्रदेश के करोड़ों किसानों से संबंध रखता है । लेकिन अगर यह कहा जाय कि यह विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जनता के साथ भेंड़ और भूखे भेड़िए का सा व्यवहार उसके कर्मचारी करते हैं तो यह अतिशयोक्ति न होगी । यह इतना महत्वपूर्ण विभाग एक ऐसे कमजोर हाथों में दिया गया है जिस को संभालना उनके द्वारा कठिन दिखाई पड़ता है । इस विभाग में इतना अधिक और व्यापक भ्रष्टाचार है कि एक पूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । आज वहां पटवारी से लेकर जितने भी कर्मचारी हैं वह प्रदेश के किसान के साथ बुरा व्यवहार ही नहीं करते बल्कि उनको हर तरह से परेशान करते हैं और लूटते हैं ।

इस विभाग में कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, जिनका निवारण करना बड़ा मुश्किल है । इस विभाग में सबसे बड़ा भ्रष्ट कर्मचारी पटवारी और कानूनगो होता है लेकिन कानूनगो को तरक्की देकर एस० डी० ओ० बना दिया जाता है । वह भ्रष्ट तरीके से रुपया वसूल करने की कोशिश में लगा रहता है । मैं इसका भुक्तभोगी हूं । हमारी तहसील में एक एस० डी० ओ० थे और एक मौजूद हैं । उनके बारे में सुना जाता है कि दाखिल खारिज में ५ प्रतिशत निश्चित रूप से देना पड़ता है और यह कई और तरीकों से भी नायब तहसीलदार के जरिये से एस० डी० ओ० के यहां पर जाता है । अगर कोई अपने उत्तराधिकारी के नाम से जमीन करवाना चाहता है तो उस जमीन को उसको न देकर कैंसिल कर दी जाती है और रुपया लेकर दूसरों के नाम में कर दी जाती है । हमारे यहां पर एक महन्त थे जिनके पास ४९-५० एकड़ जमीन रह गई थी । जब वे मरने वाले थे तो उन्होंने अपने एक चेले के नाम से वसीयत लिख दी थी कि उनके मरने के बाद ये जमीन के मालिक होंगे । वे उनकी सेवा सुश्रुषा भी करते थे लेकिन उनके स्थान पर एक साधू, जो न जाने कहां से आ गए, ५ हजार रुपया भूतपूर्व तहसीलदार को देने पर, उनके नाम दाखिल खारिज कर दिया गया और उन्होंने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया । वसीयत भी थी लेकिन कायदे कानून की परवाह न करके कब्जा दूसरों को दिला दिया गया । बस रुपया दीजिए और दाखिल खारिज करवा लीजिए । इसलिये मेरा कहना यह है कि जब तक इस सरकार द्वारा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया जायगा तब तक इस प्रदेश से अराजकता और अव्यवस्था इस सरकार द्वारा दूर नहीं हो सकती है ।

[श्री शीतला प्रसाद सिंह---]

आज यहां पर खेती को सीलिंग की बात कही जाती है। लेकिन यह इस सरकार के बूते के बाहर है। जमींदारी अबोलिशन हुए १८-२० साल हो गये हैं लेकिन बंजर भूमि जो ग्राम समाज को मिली अब तक उसका बटवारा सरकार नहीं कर सकी। जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था उनका कब्जा आज तक नहीं छुड़ा पाए, जिनके नाम उस वक्त वह जमीन थी उसे आज तक नहीं छुड़ा पाये तो कैसे इनसे आशा की जा सकती है कि ये भूमि की सीलिंग कर के निकली हुई भूमि का समुचित बटवारा कर सकेंगे। यह सरकार जब भूमिहीनों के लिये जमीन नहीं दिलवा सकी तो फिर कैसे यह सीलिंग की बात करती है। यह काम इस सरकार के बूते के बाहर है। यह सरकार समाजवाद की बार बार बात करती है लेकिन इस प्रदेश के किसान भूखों मर रहे हैं और जिनके पास बिलकुल भी जमीन नहीं है, उनको जमीन का ठीक से बटवारा करके, जमीन दी जाय। यह इस सरकार का क्या तरीका है।

आज हालत क्या है कि चकबन्दी में भी किसानों को तबाह कर दिया गया है। आबादी की जमीन को भी लोगों के खातों में शामिल कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप गरीब किसानों से बेगार लेते हैं बेगार न देने पर उनका घर गिरवा देते हैं। उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह समाजवाद का नमूना है। एक तरफ तो समाजवाद की बात कही जाती है और ऊंची ऊंची बातें कही जाती हैं लेकिन किसान की जिन्दगी आज कुत्ते के बराबर हो गई है। हम सरकार में एम० एल० ए० हैं, हम मिनिस्टर हैं, यह क्या तरीका है? इस सरकार को चाहिये कि प्रदेश में कोई क्रांतिकारी कदम उठाए और अगर ये न उठाए गये तो प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी और इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी।

अगर आप को सीलिंग से भूमि निकाल कर भूमि भूमिहीनों को देनी है तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया जाय और बड़े बड़े जमींदारों के कब्जे में जो जमीन है वह भूमिहीनों को दी जाय, नहीं तो इस देश और प्रदेश में खूनी क्रान्ति आयेगी और उसके लिये जिम्मेदारी सरकार की होगी।

(व्यवधान)

इतना कहने के बाद मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ठंडे दिल से विचार करने के बाद कोई कारगर कदम उठाये। अकबर के दरबार में एक मौराइन अपनी एक फरियाद ले कर गयी। उसने अपनी दरख्वास्त में लिखा---"मैं बन्दी मौराशन, बोई थी अजवाइन, सब लोग महाजन जानें, सो लूटी अजमल खां ने।" इस पर अकबर शाह ने एक फरमान लिख कर कासिद को दिया कि इसे ले जाकर अफजल खां को दो। उसमें लिखा था, "अफजल खां, आखिर को है मरना, तो मुंह काला क्यों करना।" आप को मौका मिला है, यश कमाइये, धर्म कमाइये, गरीबों की मदद करना मानवों का सब से पहला धर्म है।

रहीम ने कहा, "जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग।" सब को काल के गाल में जाना है, काम करने के लिये भगवान ने यह अवसर दिया है तो यश कमा लो वर्ना हमारी आने वाली सन्तानें कोसेंगी कि वे इतने निकम्मे थे, इतने नक्कारे थे कि इस देश व प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस पर आप को गम्भीरता से विचार करना है। बापू ने भी यही कहा था कि भगवान ने जब यश कमाने का अवसर दिया है तो ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिससे देश और प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। आज जनता के अन्दर डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा जनतंत्र है कि आज बीस वर्ष के बाद भी प्रदेश के किसानों के साथ यहां की नौकरशाही कुत्ते के समान व्यवहार करती है। कलेक्टर, कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी सब का यही हाल है।

आपको बतलाऊं कि एक आदमी की जमीन का झगड़ा हुआ, जो आदमी जबरदस्ती जमीन लेना चाहता था उसने कहा कि इसकी कीमत ले ली जाय और हमें जमीन दे दी जाय। उस आदमी ने जबरदस्ती खेत की मेड़ तोड़ कर उसे अपने खेत में मिला लिया। दूसरे ने जब

हदबन्दी के लिये दरख्वास्त दी तो बजाय इसके कि उसके पक्ष में फैसला होता कानूनगो ने उस पक्ष से ५०० रुपये ले कर एक बड़ा भारी जजमेंट लिखा दिया और उसी का समर्थन एस० डी० ओ० ने भी कर दिया। सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि हदबन्दी के बिना पर वह उसको कब्जा दिलावे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तहसीलदार को रुपया दीजिये, कानूनगो को रुपया दीजिये, पटवारी को रुपया दीजिये, आखिर कहां से किसान रुपया पावे। एक गरीब काश्तकार जिसका गेहूं अभी खलिहान में पड़ा हुआ था और वर्षा हो गयी, पता नहीं वह घर में जायगा भी या नहीं जायेगा, वह कहां से रुपया दे। वह अपने छोटे खेतों में अपने बच्चों के लिये ज़ीविकोपार्जन मुश्किल से कर पाता है, फिर वह तहसील व पटवारी को रुपये कहां से लाकर दे। इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिये आपको कोई न कोई कारगर कदम उठाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि हमारे यहां के एक गरीब किसान ने दरख्वास्त दी कि हमारी जमीन अमुक आदमी ने वर्ग ९ में लिखा लिया है। १५ बीघे जमीन थी, इसमें अच्छी खासी फसल लगी थी, पांच सौ, सात सौ रुपया देकर दो साल का कब्जा लिखा लिये। उसके बाद लाठी लेकर फसल काटने के लिये तैयार हो गये। एस० डी० एम० को दरख्वास्त दी, उन्होंने जाकर जांच की। सारे गांव के लोगों ने बताया कि इसकी जमीन है। लकिन एक भी ऐक्शन कानूनगो के लिये खिलाफ नहीं हुआ। तो यह क्या तमाशा है? सारे गांव के किसान परेशान हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। इसके लिये सरकार के क्रान्तिकारी कदम होने चाहिये। नहीं तो यह घुटन और परेशानी के दिन निभने वाले नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भानुप्रताप सिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि जब कोई भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है तो सम्बन्धित मंत्री के अतिरिक्त कोई न कोई अन्य मंत्री सरकारी पक्ष को रखते रहे हैं। इससे डिबेट में जान आ जाती है। इस वक्त पता नहीं क्या कारण है सिवाय संबंधित मंत्री के कोई और हिस्सा नहीं लेता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकारी पक्ष से इस की व्यवस्था के लिये कहें। क्योंकि वे बोल सकते हैं और हम भी उत्तर दे सकते हैं। माननीय सदस्य ने जितने भी कारण बताये हैं वे अनुदान के विरोध में बताये हैं और अन्त में उन्होंने कहा कि मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जो प्रश्न माननीय भानु प्रताप सिंह ने उठाया है वह अनिवार्य उपस्थिति और अनिवार्य भाषण से सम्बन्धित है, मैं अनिवार्यता के विरुद्ध हूं। अगर आप की बात में लोकशाही में दम है तो जहां उसका असर पड़ना चाहिए वह पड़ेगा ही।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपा करके ऐसी मांगों के बारे में जो इम्पार्टेन्ट मांगें हैं ध्यान रखिये कि हर-एक पक्ष को बोलने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था के नाम पर ध्यान आकर्षण करने की कोशिश ठीक नहीं है। माननीय सदस्य खड़े हों और मेरी नजर यदि उन पर पड़ जायेगी तो स्वाभाविक है कि मैं अवसर दूंगा। इसलिये मैं कहूंगा कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। यों तो राजस्व के सम्बन्ध में बहुत सी बात बताई गई हैं लेकिन जिस रूप में यह समस्या गम्भीर है उस रूप में हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं

[श्री सूबेदार प्रसाद---]

दे रही है। मैं आप के माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि मिर्जापुर एक पहाड़ी क्षेत्र है। मिर्जापुर की समस्या जो राजस्व की है, जहां ब्रिटिश काल से लेकर १९५२ तक जमींदारी विनाश लागू नहीं हुआ। जब लागू हुआ तो वहां के राजा श्री आनन्द ब्रह्म शाह जो इसी सदन के सदस्य हैं, उन्होंने जमींदारी विनाश लागू नहीं होने दिया। सन् १९६४-६५ में रिकार्ड आपरेशन लागू कर दिया गया। रिकार्ड आपरेशन के माध्यम से उनकी पुरानी जमीन जहां काश्तकारों के मकान बने हुए हैं वे वन विभाग को दे दिये गये और नोटिफिकेशन कर दिया गया।

मैं बताना चाहता हूं कि उनकी पुश्तैनी काश्त को वन विभाग को दे दिया जा रहा है तब कैसे कहते हैं कि भूमिहीनों की समस्या हल कर रहे हैं। तो आप जमीन देंगे कहां से जब ९० प्रतिशत भूमिहीन हो जायेंगे। जब प्रस्ताव नियम ५१ के अन्तर्गत रक्खा गया था तो आपने वक्तव्य दिया था कि वहां के लोगों को १५ बीघा जमीन दे सकेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिनकी १५ बीघा जमीन थी, जिन्होंने उस पर अपने मकान बना लिये थे, उन जमीनों तक को वन विभाग ने उनसे छीन लिया है। जब वहां पर अभी तक सर्वे हुआ ही नहीं है, सैटिलमेन्ट हुआ ही नहीं है तो किस प्रकार उनकी जमीनों को ले लिया गया? मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसको देखें कि इस प्रकार के कार्य कहां तक न्यायसंगत हैं। वहां पर पहले सेटिलमेन्ट होता, उसके बाद आप कोई अन्य कार्यवाही करते तो ठीक होता। मंत्री महोदय पिछले साल वहां गये थे, लोगों ने उनसे आग्रह भी किया था कि उनके यहां भूमि की समस्या बड़ी गम्भीर है, पहले आप वहां पर सैटिलमेन्ट करा दीजिए। यह जो चकबन्दी का कार्य हो रहा है इससे भी गरीबों को फायदा नहीं हुआ है। जो बड़े-बड़े लोग हैं उन्हीं को उससे लाभ हुआ है। अच्छी-अच्छी जमीनें जो गरीबों के पास थीं वे बड़े-बड़े लोगों के पास चली गयीं, वहां उनके चक बना दिये गये, खराब भूमि गरीबों के पल्ले पड़ गयी। चकबन्दी का जो खर्चा है वह भी जो उनसे वसूल नहीं होना चाहिये था, वसूल किया गया है। दूना वसूल किया जा रहा है।

दुर्भिक्ष के बारे में भी मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां का इलाका सन् १९६४ से बराबर दुर्भिक्षग्रस्त रहा है और हर साल ही सूखे आदि के प्रकोप से ग्रसित रहा है। केन्द्रीय सिंचाई मंत्री भी हमारे यहां आये थे। हमारे यहां पीने के पानी तक का भीषण अभाव है। राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में १६ हैंड पम्प्स लगाये गये, मगर एक भी काम नहीं कर रहा है। पिंडारी ग्राम में एक आदमी जगदेव प्यास से ही मर गया। वहां के लोग जंगल में जो गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिसमें कीड़े आदि पड़ जाते हैं उसको छान कर पी रहे हैं। सूखे के लिए सरकार की तरफ से जो तकाबी दी जाती है वह बहुत कम है। फिर अगर २५ रुपया दिये जाते हैं तो ५ रुपये वहां के अधिकारी कमीशन के काट लेते हैं। १० परसेन्ट कमीशन कम से कम उन लोगों का बंधा है। फिर उसकी वसूली में भी बड़ी ज्यादती की जा रही है। अभी रामपुर ग्राम में एक आदमी की ३०० रुपये की गाय ५० रुपये में ले आये और उसकी रसीद तक उसको नहीं दी।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे यहां की भूमि समस्या जो इतनी गम्भीर हो चुकी है, को हल करने के लिये कोई स्थायी हल निकालें। भू-राजस्व की समस्या का भी स्थायी हल निकाला जाना आवश्यक है।

एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से सीलिंग के बारे में करूंगा। जिस तरह से आपने शहरों में ५ लाख की सम्पत्ति की सीलिंग कर रखी है, उसी हिसाब से गांव में भी आप सीलिंग करें। उसी अनुपात में वहां भी सीलिंग हो। वरना जो सीलिंग का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं सख्त विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह हो लेकिन जहां की पैदावार अच्छी वहां पर मैदानी भागों के मुकाबले में, उनको जमीन दी जाए यानी पहाड़ वालों को मैदानी भागों के एक-दो की रेशियो से जमीन दी जाए।

श्रीमन्, भू-राजस्व की वसूली की समस्या इतनी गम्भीर है कि कुछ कहा नहीं जाता है। इस संबंध में हमारे यहां देवाटन ग्राम में एक पिछड़ी जाति क आदमी का पिछले जून मास में कत्ल हो चुका है और दूसरे की तैयारी है। इस मामले को देखने के लिए एक एस० डी० एम० महोदय वर्ग ४ भूमि की जांच करने गये हुए हैं लेकिन जो विधान सरकार ने बनाया है वह त्रुटिपूर्ण है, उससे वहां के लोग तनिक भी सन्तुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में एस० डी० एम० सफल नहीं हो सकते हैं। वहां की स्थिति उसी तरह नाजुक बनी रहेगी। इसी तरह से वहां पर बड़े आदमियों का बराबर अत्याचार जारी है। एक बुद्धू मियां की, जो देवनाटन के ही थे उसकी जमीन को दूसरे आदमी ने जुतवा दिया। एक बड़े आदमी ने उसकी जमीन पर वर्ग नौ में नाम दर्ज करा लिया और रबी की फसल भी कटवा ली।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने घोषणा तो कर दी है, नियम तो बना दिया हैकि किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को बिना क्लेक्टर की स्वीकृति के नहीं बेचा जा सकता है। किन्तु वास्तव में, व्यवहार में उसके उल्टे ही हो रहा है, उस पर कोई अमल नहीं होता है। उदाहरण के लिए मौजा कुड़वा की पनवसिया नामक विधवा के साथ यह अन्याय हुआ है, उसके चार छोटे बच्चे भी थे। वह मेरे पास आई थी अपनी बात कहने। उसकी जमीन को जबरदस्ती एक मास्टर ने हथिया लिया और जब फसल काटने का मौका आया तो पुलिस की मदद से उसने फसल भी कटवा ली। इस तरह से अनेक मामले हैं। गरीबों और हरिजनों आदि के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो इस तरह के कानूनों से राहत नहीं मिल रही है। मैं चाहूंगा कि जो नियम बनाए जाएं, इस तरह से बनाए जायं कि उसे कोई तोड़ न सके और उसको तोड़ने वाले को कठोर दण्ड देने की सरकार व्यवस्था करे। आप वहां चल कर देख लें कि वहां पर हरिजन और गरीब कितना ज्यादा परेशान हैं। बड़े-बड़े आदमी उनकी जमीनों को हड़प ले रहे हैं। मौजा करइल में वहां पर एक बहुत बड़े भूतपूर्व जमींदार हैं। उन्होंने अपने आस-पास की करीब ९९ परसेन्ट जमीन हथिया ली है। अमीनों द्वारा जमीन के फर्जी नक्शे वहां बनाए गये हैं, जोकि बिल्कुल गलत हैं। अमीनों ने बड़े-बड़े काश्तकारों से पैसा लेकर जमीन उनके नाम दर्ज कर दी है। जब उन्होंने मुकदमा किया तब भी उनके साथ न्याय नही हुआ। छोटे आदमी जमीन हीन हो गये। इस तरह की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो वहां [illegible] बहुत बड़ा विप्लव जनता करेगी।

दुर्भिक्ष काल में जो टेस्ट-वर्क चलाया जाता है, वह भी व्यर्थ का काम होता है। उससे गांव का कोई फायदा नहीं होता है। उसमें जितनी सड़कें बनाई गई हैं उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। लोग काट-काट कर उससे नालियां निकाल लेते हैं। जो बंधे बनाये गये हैं, उनकी देखभाल नहीं होती है, उनकी मरम्मत नहीं होती है।

यह जो सहायता दी जाती है, यदि दी जाती है तो फ्री दी जाए। इसमें भी बड़ी ज्यादती होती है, वारंट के साथ लोगों को गिरफ्तार करके वसूली की जाती है। उदाहरण के लिए कोन ग्राम में ननकू कुरमी को वहां के अमीनों ने जबरदस्ती पीटा और लाकर तहसील की हवालात में बंद कर दिया और फिर उसकी जायदाद से वसूली की गई। यदि सरकार चाहती है कि गरीबों को जमीन मिले तो मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज की जो जमीन है, जिसका कभी सर्वे नहीं किया गया है सबका बन्दोबस्त कर सीरदार घोषित कर दिया जाय।

वह लोग जो पुराने काश्तकार थे उनका नाम उस पर नहीं है, पटवारी ने घर बैठे पड़ताल कर दिया। जो जमीन उनके कब्जे में रही है वह वन विभाग को दे दी गयी और वन विभाग ने डिमार्केशन करके ले लिया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि जो यह जंगल की समस्या है इसके हल के लिए एक समिति का निर्माण कर दें वरना वहां के लोग घर विहीन हो जायेंगे। उस क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी धांधली की है, वहां के लोग तबाह हो गये हैं।

[श्री सूबेदार प्रसाद---]

जमींदारी विनाश कानून प्रदेश में लागू कर दिया है लेकिन राबर्ट्सगंज टाऊन एरिया में अब भी जमींदारी है। वहां के जमींदार ने सारी जमीन पर मुकदमें दाखिल कर दिये जिससे गरीब काश्तकार बेदखल हो गये। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया कि १ जुलाई, १९७० से वहां कानून लागू कर दिया जायगा, बीच में स्टे कर दिया जाय, कोई बेदखली न की जा सके। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। यह विभाग सबसे ज्यादा जनता के सम्पर्क का है। गांव के ९५ फीसदी और शहर के भी काफी लोग इससे संबंधित हैं। इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। यह बहुत पुराना विभाग है। इस विभाग का काम बहुत बड़ा है। उधर बैठने वाले लोग भी इस विभाग के दोष और गुण में लगे हुए थे इस लिए वह नहीं कह सकते कि हमारा इसमें दोष नहीं रहा। (व्यवधान) ज्यादा आप भी रहे। ठाकुर हुकुमसिंह जो आपके दल के हैं, सबसे ज्यादा वही रहे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

चरण सिंह जी हमेशा रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, पर्लियामेन्टरी सेक्रेटरी रहे और शर्मा जी हैं। लिहाजा दोष है तो सब इन्हीं पर है।

श्री रामबचन यादव---

६० से लेकर ६७ तक वह रेवेन्यु मिनिस्टर रहे। हिसाब जोड़ लीजिए। वह उससे बच नहीं सकते। अब आज कहने को कुछ कहें। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। गांव समाज की जो जमीन है वह सबसे ज्यादा उन लोगों के पास गयी है जो लोग खेती नहीं करते थे। या तो बड़े धनी आदमी थे लेकिन अपने को भूमि-हीन सिद्ध करते थे। बहुत से सरकारी मुलाजिम बड़े बड़े पदों पर थे। वह लोग भूमिहीन सिद्ध कर के गांव में जमीन ले लिये हैं। ऐसी जमीनों की जांच होनी चाहिये। गांव समाज की जमीन ऐसे कितने ही लोगों ने ली है। वह जमीन, उनके पट्टे करके, उनको बेदखल करके, गांव में रहने वाले भूमिहीनों को जानी चाहिये। बहुत से शहर के रहने वाले लोगों ने गांव के रहने वाले बन कर किसी तरह से जमीन ले ली है।

(इस समय ४ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और जब कि यह कानून है कि उसी गांव के रहने वाले को मिलनी चाहिए और गांवों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जोकि अपनी स्त्री के नाम पर लिखा कर उस जमीन पर कब्जा कर लिये हैं। तो इसकी जांच हो जाय और जो जमीन निकले उन लोगों को दी जाय जो उस जमीन पर मेहनत करके ज्यादा गल्ला उत्पादन कर सकें। यह बात राष्ट्रीय हित में है और ऐसे लोगों के पास जमीन है जो खेती नहीं करते, कोई पैदावार नहीं करते.....

एक सदस्य---

माननीय सदस्य उदाहरणार्थ कोई नाम बता दें।

श्री रामबचन यादव---

हमारे यहां एक आजमतगढ़ का इलाका है वहां एक इन्दुभूषण गुप्ता हैं। उनकी कोई पैदावार नहीं है किन्तु वे बहुत जमीन रोके हुये हैं। ऐसी मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूं। बहुत सी जगहों पर ऐसा है। अब रहा सीलिंग का सवाल। सीलिंग कौन नहीं चाहता ?

जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, वे भी सीलिंग चाहेंगे। मैं आपको इस सम्बन्ध में इतिहास बताता हूं कि सन् १९४७ और १९५० में जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई थी तो ७५ प्रतिशत लोग इसके पक्ष में थे। क्योंकि जनता का उन पर दबाव था। इसलिये वह खत्म की गई। इसी प्रकार सीलिंग के बारे में दबाव जनता की ओर से आ रहा है। ९५ प्रतिशत लोग बल्कि इससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो २० एकड़ से कम जमीन रखने वाले हैं, वे सब चाहेंगे कि सीलिंग हों। यदि सीलिंग नहीं होगी तो जनता द्वारा कल को इलेक्शन की मांग आयेगी और इलेक्शन होगा। इसलिये सीलिंग तो होना जरूरी है। जो जमीन इससे निकलेगी वह भी भूमिहीनों को मिलनी चाहिये।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। भ्रष्टाचार तो उसी प्रकार से खत्म करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिस तरीके से रेलवे विभाग में है कि बिना टिकट वालों की चेकिंग करने के लिये मजिस्ट्रेट कायम है और वह वहां पर पहुंच जाता है और बिना टिकट वालों को पकड़ लेता है। उसी तरह से कचहरियों में, तहसीलों में और अन्य जगहों में हमारी सरकार को ऐसी एक स्कीम सोचनी चाहिये जिससे कि वह भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़ने के लिये उस स्थान पर तुरन्त पहुंच सके।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि अभी भी प्रदेश में कहीं भ्रष्टाचार है? हमने सुना है कि जब से चौधरी साहब आये हैं तब से प्रदेश से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है।

श्री रामबचन यादव---

जरूर भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। किन्तु मैं अन्य जगहों के बारे में भी कहता हूं कि ऐसी स्कीम बनायी जानी चाहिए कि कचहरियों और अन्य जगहों पर छापा मारना पड़ेगा और तुरन्त ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

शहरी आय के सम्बन्ध में कहा गया। बी० के० डी० ने अपने प्रोग्राम में इस बारे में लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो वह खत्म होना चाहिए। इनकम के बारे में शायद केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, प्रदेशीय सरकार के हाथ में नहीं हैं। इसक समर्थन में सभी लोग हैं। समाजवादी समाज तो तभी आ सकता है जब लोगों को कर्ज मिले, उन्हें राहत मिले।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप मुख्य मंत्री जी से यह सिफारिश करेंगे कि इसे केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेज दें?

श्री रामबचन यादव---

इस २० साल में क्या हुआ है? एक लखपति ५ लाख का हो गया है और १ करोड़पति ५ करोड़पति हो गया है। यह इसलिए हुआ कि मिल-मालिकों से चन्दा लिया गया और उसको १ मिल की जगह दो मिल खोलने की सुविधायें दी गईं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन की सीलिंग करने की उनकी हिम्मत है ? जमींदारी अबालीशन से लेकर उसके लिये चार-चार कानून बन चुके हैं। लेकिन जो जमीन बची उसका आपने क्या किया ? सीलिंग जनता की मांग है, लेकिन आपने उसके बारे में क्या किया और किस तरह से आप करना चाहते हैं ?

श्री राम बचन यादव---

मेरा अपना खयाल है कि जिसके पास ५० बीघे तक जमीन है वह जमीन की अच्छी तरह से देख-भाल कर सकता है और अधिक पैदावार कर सकता है। लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन है वह कम पैदा करके नेशनल लास करते हैं।

श्री भानुप्रताप सिंह---

अगर आज किसी के पास ४० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वह इस सरकार के निकम्मेपन के कारण है। कानून में पहले जो व्यवस्था है पहले उसको तो इम्प्लीमेंट कराइये, उसके बाद दूसरा कानून बनाइये।

श्री रामबचन यादव---

तो मेरा अपना ख्याल है कि १००-२०० एकड़ जमीन रखने वाले ज्यादा पैदावार नहीं कर सकते। इससे राष्ट्र को नुकसान होता है। गल्ला कम होता है। इसलिये जिनके पास कम जमीन हो या जिनके पास न हो उनके पास इस जमीन को जाना चाहिये। उनके द्वारा जब खेती होगी तो ज्यादा गल्ला पैदा होगा। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य के पास ज्यादा जमीन है इसलिये स्पष्टीकरण मांगा। वे तो इसका विरोध करेंगे ही।

श्री जगदम्बा प्रसाद---

आपके पास कितनी जमीन है ?

श्री रामबचन यादव---

आज भ्रष्टाचार का कारण यह है कि एक वर्ग था जो शासक भी था और शोषक भी था।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

माननीय सदस्य को यह भ्रष्टाचार का सुझाव माननीय चरण सिंह को देना चाहिये जिन्होंने महा भ्रष्टाचारी को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है फिर भला भ्रष्टाचार किस प्रकार से खत्म होगा ?

श्री राम बचन यादव---

यह तो आपका खयाल है। जनता से इसका जवाब इलेक्शन में मिल जायगा और एक बार मिल भी चुका है। सरकारी कर्मचारियों का वर्ग शासक भी था और शोषक भी था। वह वर्ग आज किसानों, अनपढ़ और मेहनत करने वालों के साथ वैसा ही व्यवहार फिर कर रहा है। उन लोगों के बजाय जब तक गांव में रहने वाले लोगों के लड़कों को नौकरियों में नहीं लिया जायगा तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी। क्योंकि "जाके पैर न फटी बिवाई वो का जाने पीर पराई"। जब तक जगदम्बा प्रसाद जी जैसों के लड़के नौकरी में रखे जाते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इन बातों पर भी ध्यान दिया जाय।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और आपके सामने कुछ ऐसे नाम प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारे प्रदेश के भूमिहीनों को, गरीब जनता को राजस्व मंत्री जी के काले कानून के जरिये से घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है और

उसके मातहत आज प्रदेश के भूमिहीनों के ऊपर भयंकार जुरमाने हो रहे हैं। मैं कुछ नाम ऐसे बताना चाहता हूं जो बिलकुल भूमिहीन हैं और जिन्होंने थोड़ी बहुत ग्राम समाज की जमीन तोड़ कर कृषि योग्य बनाई है, उनको बेदखल करके हजारों रुपये जुरमाना किये गये हैं। जो नाम मैं बताने जा रहा हूं वह सब एक ही गांव के हैं। एक है लाल बहादुर। इसके ऊपर ११,४०० रुपये जुरमाना किया गया है। चन्द्रिका पुत्र बौड़े के ऊपर २,९१५ रुपये। जोधा, पुत्र देबी, इनके पास १५ बिस्वा जमीन तीन भाइयों में है और १,३०० रुपया जुरमाना किया गया है। बदलू, पुत्र खग्गा, तीन बीघा जमीन दो भाइयों में है, १,१८० रुपया इन पर जुरमाना किया गया है। रामधीन अंधा है। यह खेती क्या करेगा ? इसके ऊपर एक हजार रुपया जुरमाना किया गया है। इन्दल के ऊपर ६५० रुपये जुरमाना हुआ है जबकि जोते कोई और है। एक है गंगू पुत्र तुलई। ३० वर्ष से खेत जोते हैं और ११ बिस्वा जमीन है। १,३२० रुपये जुरमाना लिख कर आया है। एक है बुद्धी। इसके ऊपर १,८०० रुपये जुरमाना हुआ है। एक है नोखे लाल। इसने सब पर्चे वगैरह दाखिल किये तब भी मुकदमा चल रहा है। ४ हजार रुपये जुरमाना लिख कर आया है। ये सब चमार, पासी गरीब लोग हैं।

इस तरह से ११-११ हजार रुपये तक जुरमाना हुआ है ११५-डी के अन्तर्गत और यह कहा जाता है कि हम भूमिहीनों को ११५-डी के अन्तर्गत बेदखल कर के जमीन देंगे। आप पहले उनको चोर और डाकू बनायेंगे, वे बरबाद हो जायेंगे और फिर कहते हैं कि हम जमीन देंगे। यह कैसी व्यवस्था है। इसलिये उस काले कानून की तरफ आप अपनी निगाह डालिये। आज २२ साल से कांग्रेस का शासन कायम है लेकिन गरीबों और भूमिहीनों को जमीनें नहीं मिल पाई हैं। आपने भी अपने शासन काल में कुछ पट्टों की जांच करवाई थी और कहा था कि ३ लाख ८ हजार पट्टों की जांच हुई जिनमें से १ लाख ८४ हजार पट्टे गलत पाये गये। यह गल्तियां राजस्व मंत्री के शासनकाल में हुई और जहां जहां इनके चरण जायेंगे -बंटाधार। जिस जिले में देखिये, न गवाही सबूत लिया एकदम से जुरमाना कर दिया भूमिहीनों पर। वह कहां से देंगे ? ११-११ हजार रुपये जुरमाना हुआ। जिसकी उम्र ९० साल की है वह खेत जोत सकते है ? लेकिन यह भ्रष्टाचार इस शासन के कर्मचारियों द्वारा हुआ है। उन्होंने कितने ही फर्जी नाम लिख कर दिये। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इससे सामन्त-शाही और सरमायेदारी को बढ़ावा मिल रहा है और मालूम हो रहा है कि यह सरकार सामन्तशाही और सरमायेदारी के समर्थकों की बनी बैठी है। प्रदेश का सबसे बड़ा किसान बिड़ला है जिसके पास ४ हजार एकड़ जमीन लखीमपुर में, ४ हजार एकड़ बिजनौर में और १,८०० एकड़ पीलीभीत में है। इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों को आपके शासनकाल में बढ़ावा मिलेगा और गरीबों के ऊपर ११-११ हजार रुपया जुरमाना होगा तो इस सीलिंग ऐक्ट का प्रदेश में क्या प्रभाव होगा ? आज बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि हरी क्रांति होने जा रही है। हरी क्रांति की आड़ में किसको आपने फायदा पहुंचाया ? उन बड़े-बड़े फार्म वालों को जिनके पास ट्रैक्टर थे या ट्रैक्टर का रोजगार करते थे या खेती के औजार बनाते थे। गरीबों को नहीं पहुंचाया। आजादी के बाद इस तरह से झिझोड़ कर, पीट कर किसानों को रख दिया और आज वे तबाही और बरबादी के कगार पर खड़े हुये हैं। ऐसी प्रदेश की हालत है और उस तरफ आपकी निगाह नहीं है।

आपने जो कानून बनाये उनके मातहत बटवारे के संबंध में या हदबन्दी के संबंध में जितनी जमीनें मिली थीं वह कहां गयीं ? आपने जो नारा दिया है कि १० लाख एकड़ जमीन ३० जून तक बंट जायेगी यह कहां तक सही है यह नहीं बतलाया जा सकता। वह इसलिये कि आपके ऊपर प्रेशर है बड़े-बड़े लोगों का, उसके कारण आप इसकी तरफ निगाह उठा कर भी नहीं देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन बड़े-बड़े आदमियों ने जो गैर कानूनी ढंग से जमीनों पर कब्जा कर रखा है, आपके शासन काल में जो पेंशन पाये हुये लोग हैं चाहे वह इस्लाम अहमद हैदर हों या नौटियाल हों जिन्होंने गैरकानूनी ढंग से २-२ हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है आपने ११५ के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की जबकि आपको मौका मिला था ? गरीब किसानों और भूमिहीनों पर जिन्होंने अपने बच्चों को जिन्दा रखने के लिये बिसवा दो बिसवा जमीनें तोड़

[श्री सजीवन लाल---]

लीं उनको आपने बरबाद कर दिया। उनके पास मकान नहीं हैं। सड़कों के किनारे पड़े हुये हैं और उनके घरों पर आपके काले कानून की छाया छायी हुई है। इस समय उनका जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है।

इस तरह से सीलिंग का नारा दिया गया, ४० एकड़ से ३० एकड़ तक का एलान किया गया। जब ऊपर का जोर पड़ता है, कुछ सोच विचार होता है, इंदिरा जी का जोर पड़ा और जगजीवन राम ने कहा कि भूमिहीन जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे तब कुछ सोच-विचार किया जाता है। तो इसी तरह से सोचते-विचारते रहेंगे लेकिन उनके लिये कोई सुविधा या कोई सच्ची व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। इसलिये मेरा यह कहना है कि असन्तोष बढ़ता जा रहा है। चाहे आप इस असन्तोष को नक्सलपंथी कहें या अराजकता कहें, अगर इसे रोकना है तो आपको भूमि का बंटवारा करना होगा। अभी भूमिहीनों का एक जलसा लखीमपुर में हुआ। उसमें पी० ए० सी० भी लगी और हर तरह से उसको दबाने की कोशिश की लेकिन मेरा कहना है कि प्रदेश के अन्दर परती और बंजर भूमि के संबंध में आपको फौरन कदम उठाना चाहिये और शीघ्र से शीघ्र उसमें भूमिहीनों को बसाया जाय और हदबन्दी की सीमा साढ़े बारह एकड़ से २० एकड़ रखी जाय। इससे कुछ ज्यादा जमीनें निकल सकेंगी और बड़े-बड़े फार्म वालों से जमीन लेकर उसका राष्ट्रीयकरण करें उस पर या तो भूमिहीनों की सहकारी समितियों द्वारा खेती की जाय या उसे भूमिहीनों में बांट दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अब ५ बज गये। कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं आप ?

श्री सजीवन लाल---

जी हां।

श्री अध्यक्ष ---

ठीक है, तो ५ मिनट आप कल ले लेंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों में ओला वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

नियम ५१ क अन्तर्गत सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें से हमने श्री इन्द्रमणी बड़ौनी का प्रश्न जो २४ मई को पहाड़ी क्षेत्र में ओला वृष्टि के संबंध में है, वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। उसी के साथ नैनीताल और दूसरे पहाड़ी इलाकों में जो ओला वृष्टि हुई है उसको भी जोड़ दिया है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष जी, जो हमने लिख कर दिया है उसको भी इसमें जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह तो हमने जोड़ दिया है।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट---

अध्यक्ष महोदय, इन्द्रमणी जी ने आज लिख कर दिया और उसे आपने स्वीकार कर लिया और जो हमने लिख कर दिया उसको स्वीकार नहीं किया .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

पहाड़ी क्षेत्र में जहां ओले गिरे हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया है और उसमें आपका प्रश्न भी जोड़ दिया है। एक ही मंजूर कर सकते थे इसलिये उसमें सबको जोड़ दिया है और बाकी जो प्रश्न हैं उनको स्वीकार नहीं किया है। ये ६ हैं जिनको स्वीकार नहीं किया है।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

इनमें एक तो श्री राम करन सिंह और श्री राम सिंह का ग्राम घुसाह, जिला गोंडा में आई० टी० आई० खोलने की स्कीम समाप्ति पर किसानों की ली गई जमीन वापस न करने के बारे में है। इस पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लें और इसी तरह से और जो प्रश्न हैं उन पर भी माननीय सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

६१,००० रुपये का गबन है सहकारी सोसाइटी में । इसके वास्ते हड़ताल करने जा रहे हैं । हमने इसके बारे में लिख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

यह मामला पुराना है, इसलिये यह अविलम्बनीय नहीं मालूम पड़ता। इसके लिये आप प्रश्न कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

देहरादून जिले में जंगली हाथियों द्वारा उत्पात के कारण संकट पैदा हो गया है। पांच आदमियों को मार डाला है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह कल लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । हमने लगभग १०० हस्ताक्षर करा के आपको पत्र दिया है ।

श्री अध्यक्ष---

हम अभी उसको पढ़ नहीं पाये हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी---

अध्यक्ष महोदय, उसको आपको पढ़ना चाहिये, उस पर १०० दस्तखत करा के दिये हैं । दूसरी बात यह है कि आप बोलते हैं वह समझ में नहीं आता है कि आप क्या बोल देते हैं ।

एक सदस्य---

आपके माइक से कुछ सुनाई नहीं पड़ता । मैंने इधर बैठकर, उधर बैठकर और यहां बैठ कर देखा। जब कुछ सुनाई नहीं पड़ता तो हम यहां बैठ कर क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मने एक दफा ५१ में दिया था डिप्टी सुपरिंटेन्डेंट, पीलीभीत के खिलाफ। उनके परिवार ने सरकारी गाड़ी का उपयोग किया और लोगों नें वहां सत्याग्रह किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री बांके लाल —

आपने कहा था कि स्वीकार कर लेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें । (व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

आप बतावें भी नहीं · · · · (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं देख कर बतला दूंगा या आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

यह मुस्लिम साम्प्रदायिकता बढ़ रही है · · · (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

बड़ा इम्पार्टेन्ट विषय है । (व्यवधान) प्रदेश की शांति व्यवस्था का प्रश्न है । प्रदेश की व्यवस्था खराब है और देश भक्तों की पिक्चर जहां दिखाई जा रही थी उसको जला दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ लें । (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मुस्लिम कमेटी के द्वारा आक्रमण किया गया है · · · · (व्यवधान) आपने कौन सा माप-दंड रखा है अपने निर्णय का यह समझ में नहीं आ रहा है · · · · (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें । (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

मैं आगाह करना चाहता हूं · · · · · (व्यवधान)

(इस अवसर पर जनसंघ दल के दो सदस्य बराबर साथ-साथ खड़े थे)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर बैठें ।

१२ मई, १९७० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का शोधन

बिक्री-कर मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १२ मई, १९७० को श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ११ के सम्बन्ध में श्री जगन्नाथ खन्ना ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या प्रोफेशन टैक्स, डी० ए०, टी० ए० और हाउस रेंट वगैरह को छोड़ कर लिया जाता है ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जहां तक मेरा ख़याल है केवल तनख्वाह पर लगता है" ।

उक्त प्रश्न के सम्बन्ध में श्री मेहरबान सिंह ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन लोगों पर भी यह टैक्स लगेगा ?

उक्त प्रश्न के उत्तर में सदन में यह कहा गया था कि अगर वह एक्जम्पशन लिमिट में नहीं आते तो उन पर लगेगा। उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर निम्न प्रकार है :–

(१) वृत्ति–कर वार्षिक 'कुल सकल आय' पर लगाया जाता है। 'कुल सकल आय' के अन्तर्गत वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, चिल्ड्रेन एलाउंस, चिल्ड्रेन एजूकेशन एलाउन्स, मैरिज एलाउन्स, मकान किराया भत्ता और इसी प्रकार के अन्य भत्ते भी शामिल हैं। यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त आवास (सज्जा रहित अथवा सुसज्जित) प्रदान किया गया हो या सवारी प्रदान की गई हो या अन्य कोई सुविधायें प्रदान की गयी हों तो उनका मूल्य भी 'कुल सकल आय" में शामिल किया जाता है। किन्तु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता तथा चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में मिलने वाला धन इसमें शामिल नहीं किया जाता।

(२) जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा ३ के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो इस प्रदेश में कोई व्यापार करता हो या किसी वृत्ति या आजीविका में लगा हो या सेवायोजन में हो, कर का देनदार है। पेंशन पाने वाले लोग न तो कोई वृत्ति, व्यापार या आजीवका करते हैं और न किसी सेवायोजन में हैं, अतः इनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन द्वारा प्राप्त आय नहीं कही जा सकती है और उस पर वृत्ति-कर देय नहीं है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्नलिखित है :––

श्री नित्यानन्द स्वामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ११ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
११––क्या सरकार पेशाकर से निम्न आय पाने वाले व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय ७,५०० रु० तक है, मुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो कब तक यह निर्णय घोषित हो जायगा ?	जी नहीं।

फैजाबाद की मसोधा चीनी मिल बन्द होने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम राज्य मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)––

कमलापत मोतीलाल चीनी मिल मसोधा, जिला फैजाबाद ने सत्र १९६९–७० के लिए दिनांक १२ नवम्बर, १९६९ से पेराई आरंभ की और दिनांक १६ मई, १९७० को अंतिम रूप से बन्द हो गई। दिनांक ४ मार्च, १९७० से इस मिल के वास्ते रिसीवर की नियुक्ति की गई थी। पेराई काल के अंतिम चरण में इस चीनी मिल में बार-बार टूट फूट होने लगी और अन्त में एक रोलर टूट जाने के कारण इस मिल को दिनांक १६ मई, १९७० को बन्द होना पड़ा। १९६९–७० में दरियाबाद समिति ने ४.५० लाख क्वींटल गन्ने का आफर दिया था। बन्द होने तक इस मिल को दरियाबाद समिति क्षेत्र से ३.९८ लाख क्वींटल गन्ने की पूर्ति की जा चुकी थी। उक्त समिति क्षेत्र में किसानों का लगभग २०,००० क्वींटल गन्ना मिल बन्द हो जाने पर शेष रह गया बताया जाता है। उक्त गन्ने की पूर्ति अन्यत्र करने के लिये पूरा पूरा प्रयास किया गया। बाराबंकी मिल को २३ मई, १९७० से इस क्षेत्र का गन्ना पूर्ति होना शुरू हुआ और

[श्री राज मंगल पांडेय---]

दिनांक २९ मई, १९७० तक इस मिल ने दरियाबाद समिति क्षेत्र का १,१६४ क्वींटल गन्ना क्रय किया और यह क्रम अब भी चालू है। आगे भी समय-समय पर परिस्थिति अनुसार उक्त गन्ने की खपत के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाती रहेगी और जहां तक संभव होगा आस-पास की मिलों में जो अब भी चल रहीं हैं इस गन्ने को खपाया जायगा।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों में १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में क्रमशः दरियाबाद समिति में १.४६, ०.९० एवं १.९६ लाख क्वींटल गन्नापूर्ति किया गया था। जब कि इस वर्ष मसोधा चीनी मिल के बन्द होने तक ३.९८ लाख क्वींटल गन्नापूर्ति हो चुका था जो कि पिछले तीन वर्षों की औसत सप्लाई से लगभग ढाई गुना अधिक है।

श्री गिरजा शंकर (जिला बाराबंकी)---

पानी बरसने के कारण और गन्ने की व्यवस्था न होने के कारण कल दिनांक ३१ मई, १९७० को किसानों का एक प्रदर्शन चीनी मिल दरियाबाद के सामने हुआ, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

मुझे यह जानकारी नहीं है।

श्री गिरजा शंकर---

श्रीमन्, गन्ना जो काश्तकारों का है और ट्रक के जरिये से जो गन्ना भेजने की व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें ४५० रुपये के गन्ने में २०० रु० तो ट्रक के किराये में चले जाते हैं, तो दरियाबाद तथा सैयद थानपुर में जहां पहले कांटा था वहां कांटा लगवाने की क्या मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

ट्रक का क्या भाड़ा है इससे सरकार से तो कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार का काम तो केवल इतना ही है कि अगर मिल का रोलर टूट जाने से दिक्कत हो गई तो उस गन्ने को अगल-बगल की फैक्टरी में डाइवर्ट कर दे। जहां तक सम्भव है वह कर दिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह कहा कि ट्रक का जो किराया देना पड़ेगा उससे सरकार का ताल्लुक नहीं है। मैं जरा उनसे विचार करने को कहूंगा, यदि किसान को ४०० या ३०० रु० के गन्ने पर २०० रु० किराया देना पड़ेगा तो कौन किसान इधर से उधर ले जायगा, दूसरी बात, यह जो गन्ना पड़ा रह जायगा उसके संबंध में सरकार की कोई योजना बनी है या विचार किया जा रहा है ?

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरे कहने का कुछ भ्रमात्मक मतलब लग गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस फैक्टरी के जोन में कांटा लगता है उसमें तो यह होता है कि इतना कार्टेज लेना चाहिये, इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जब उस फैक्टरी का रौलर टूट गया तो हमारे लिये भी दिक्कत की बात है कि जो चीज कानून के बाहर है उसे हम कैसे कर दें। जब उस एरिया के अन्दर होगा तो उसका कार्टेज फिक्स्ड है लेकिन दूसरी जगह के लिये हम कैसे कर सकते हैं। यह तो नेचुरल कैलेमिटी हैं। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

कोई और तजवीज की गई हो तो वह बता दें।

श्री राज मंगल पांडेय—

जो गन्ना है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और १,१६४ क्विंटल गन्ना बाराबंकी को दिया गया है और यह क्रम चालू है, यह फैक्टरी अभी चल रही है।

श्री गिरजा शंकर—

जब वह फ्लड एरिया है और ट्रक नहीं जा सकती है, काश्तकारों को ट्रक अवेलेबिल नहीं है और दो तीन दिन से ट्रक की पर्चियां मिल रही हैं। छोटे काश्तकार ट्रक की व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जहां पहले कांटा था—सैयद थानपुर में वहीं पर बैलगाड़ियों से तुलवाया जाय और सरकार ट्रक से भेजे चाहे गन्ने के मूल्य में कुछ कर ले, और ट्रक की सुविधा उन्हें दे दे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

वह फैक्टरी बन्द हो गई तो उसके बन्द होने के साथ वह कांटा भी बन्द हो गया। दूसरी फैक्टरी अपना कांटा लगाये तो उसमें वक्त लगेगा, आठ-दस रोज लगेंगे। अगर माननीय सदस्य कहेंगे कि वह लगे तो हम उस फैक्टरी से कहेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश देंगे कि यह मिल तुरन्त अपना रोलर ठीक कर ले या लाकर लगा दे ताकि फैक्टरी तुरन्त चालू हो जाए ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह मेरे मित्र को स्वयं अनुभव होगा कि रोलर ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी चीज है। उसकी कीमत भी कम से कम १-२ लाख के लगभग है। वह यहां मिलता भी नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है। इसलिए ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

प्रदेश में जगह-जगह से यह शिकायत मिल रही है कि जिन मिलों ने अपना कोटा पूरा पेर लिया है वह बरसात आजाने के कारण जल्दी से बन्द हो रही हैं, तो यह जो रोलर की बात है यह मिल बहाना तो नहीं कर रहे हैं, कि इस टूटने का नाम लेकर मिल बन्द कर दी जाय?

श्री राज मंगल पांडेय—

वह रोलर टूट गया। यह इस बात से साफ मालूम होता है कि किसी किसान ने इसकी शिकायत नहीं की है कि वह झूठा बहाना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

सट्टे की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि अगर पूरा गन्ना किसान सप्लाई नहीं करता है तो उसको २ रुपया क्विन्टल जुरमाना देना पड़ता है, तो ठीक इसी तरह से मिल के ऊपर भी कोई शर्त है कि अगर वह गन्ना पूरा न ले तो किसान को जुरमाना देगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कोई भी यदि इस प्रकार का एग्रीमेन्ट होता है तो उसको नेचुरल केलेमिटी बाइन्ड नहीं करती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरा आशय केवल यह था कि क्या इस तरह की कोई शर्त मिल पर भी आयद होती है जैसी कि किसान पर गन्ने के लिए आयद होती है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने इसका उत्तर दे दिया कि कोई भी नेचुरल केलेमिटी इसको वाइन्ड नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष—

उनका सवाल इतना है कि अगर मिल गन्ना न ले तो क्या किसान को वह कोई जुरमाना अदा करेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

सरकार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । यह तो प्रत्येक फैक्ट्री और केन यूनियन के बीच की बात है कि क्या-क्या उनकी शर्तें हों । सरकार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि इन चीनी मिलों को सरकार अब टेक ओवर करने जा रही है, एक दो दिन में इसकी रिपोर्ट आजायगी, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि ऐसे मिल जो बहाना कर रहे हैं उनको तुरन्त टेक ओवर कर लिया जाय और उनको रुपया देकर जनता का लाभ किया जाय और जो रुपया दिया जाय उसको कम्पेन्सेशन से काट लिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

यह तो सुझाव है, कोई प्रश्न नहीं है । मैं इस का उत्तर देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह कौन-सी बात है कि उत्तर नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है इसका उनके पास उत्तर तैयार नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे मिल वालों को ५१ पैसा प्रति क्विन्टल मुआवजा दिया गया इसी तरह से क्या उस क्षेत्र के किसानों को भी, जिनका गन्ना नहीं लिया गया उनको भी मुआवजा देंगे ?

श्री चरणसिंह—

यह सवाल भी मसौधा मिल से ताल्लुक नहीं रखता, सारे केन डिपार्टमेन्ट की बहस इसमें कैसे हो सकती है ? इसका भी उत्तर देने के लिये मैं तैयार नहीं हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, फिर वही बहस शुरू हो गई कि वह उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो रेलेवेन्ट सवाल होंगें उन्हीं का उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस उत्तर के क्या माने हैं, छोटा सा सवाल चीनी मिल के बारे में है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह उसी से संबंधित बात है, यह बाराबंकी की मसौधा मिल भी जो ६०—७० मिल आप लेने वाले हैं जिनका आप टेक ओवर या राष्ट्रीयकरण करने वाले हैं उन्हीं में से है, अगर उन का उत्तर नहीं देंगे तो कहां का न्याय होगा, आपने अपनी नीति उनके राष्ट्रीयकरण की घोषित की है···

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं जानना चाहता हूं कि मसोधा, बाराबंकी की मिल से जो किसानों ने गन्ने का सट्टा किया है क्या उस में यह स्पष्ट शर्त नहीं है कि अगर गन्ना देने में वह असफल रहे तो उन को हर्जाना देना पड़ेग ? तो क्या ऐसी ही शर्त मसौधा मिल पर थी कि नहीं कि अगर मिल गन्ना लेने में विफल रही तो वह भी किसानों को हर्जाना देगी?

श्री राज मंगल पांडेय—

यह तो बतला दिया गया, इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह नहीं बताया कि मसोधा मिल में भी कोई ऐसी शर्त थी ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि इस का काश्तकारों और गन्ना यूनियन से सम्बन्ध है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इस उत्तर से तो मंत्री जी बच नहीं सकते, केन यूनियन भी अर्द्धसरकारी संस्था है और वहां पर डी० सी० ओ० और सेक्रटरी सरकारी होते हैं, तो मैं मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि किसानों के हित में भी कोई ऐसी शर्त मिल मालिकों पर भी आयद है या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा (सिंचाई मंत्री)—

यह केन सोसायटी और मिल मालिकान एक एग्रीमेन्ट से बंधे हैं, अगर किसान पूरे कोटे का १५ प्रतिशत कम सप्लाई करेगा तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, इसी तरह मिल मालिकान भी गन्ना १५ प्रतिशत तक कम लेते हैं तो उन्हें भी कोई पेनाल्टी नहीं देना पड़ती है। जहांतक मसौधा का प्रश्न है वहां अगर कम सप्लाई करें तो न किसान को पेनाल्टी देना पड़ेगी और न मिल मालिकों को ही देना होगी, अगर वह न लें। वह तो को-एगजिस्टेंस की बात है।

श्री गिरजा शंकर—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि पिछली बार वहां १३ बार बाढ़ आई है और अब भी बरसात शुरू हो गई है और आपने आश्वासन दिया है कि हम कांटे की वहाँ व्यवस्था करेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि कब तक सरकार कांटे की व्यवस्था वहां करेगी ताकि किसानों का गन्ना मिल तक पहुंच जाय ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मैंने तो कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। मैंने कहा कि चूंकि इस फैक्टरी के जोन्स का गन्ना लेने का सवाल है, उसके कांटे का प्रबन्ध बाराबंकी की फैक्टरी से ही करना पड़ेगा, उनके पास स्पेयर कांटा है या नहीं, वह देने को तैयार हैं या नहीं, यह तो एक लीगल बात है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, हमने सुना है कि विज्ञापन देने के लिये कोई आदेश चले गये हैं कि उनको नहीं दिया जायगा तो ऐसी परिस्थिति में इस गला घोटू सरकार से एक बयान ही दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप हमको लिख कर भेज दीजिए। मैं देख लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, मैं कल लिख कर दे दूं ?

श्री अध्यक्ष--

अब दूसरा प्रश्न सामने है। आप कृपया बैठें। आप कृपया मेरे कमरे में आ जाएं, वहां बात हो सकती है, यहां नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, आपने कहा था कि आप कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में नहीं ले रहे हैं .....

श्री अध्यक्ष--

उसका प्रस्ताव भेजिए। कामरोको प्रस्ताव के रूप नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, क्या मैं इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में भेज दूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इसे ध्यान आकर्षण के रूप में दे सकते हैं।

आगरे में क्रान्तिकारी हिन्दू युवक संगठन की गतिविधियों और इलाहाबाद में हिन्दू सभाई लीडरों की गतिविधियों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा में क्रान्तिकारी हिन्दू युवक संगठन की ओर से कोई पोस्टर चिपकाये हुये नहीं पाये गये। एक छपा हुआ हिन्दी का पर्चा जिसका शीर्षक "मुसलमानों हिन्दू बनो या भारत छोड़ो", ११-५-१९७० को ताजमहल की मुख्य इमारत में पाया गया। इसकी लगभग १०० प्रतियां पड़ी पायी गयीं जिनमें से अधिकांश ताजमहल के एक कर्मचारी ने आग जलाने में उपयोग की तथा कुछ पर्चे कुछ अन्य कर्मचारियों ने उठा लिये। पर्चे की भाषा उत्तेजनात्मक है तथा कुछ धमकी भरे शब्द भी हैं। पर्चे में न तो किसी व्यक्ति का अथवा छापने वाले का नाम है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। यह बताया गया है कि इस पर्चे के बारे में स्थानीय रूप से कुछ लोगों में चर्चा तो हुई है परन्तु शांति व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया।

जहां तक क्रान्तिकारी हिन्दू युवक संगठन की अन्य शाखा का पर्चे में उल्लेख है, इस संबंध में आगरा, वाराणसी अथवा प्रदेश के अन्य किसी स्थान पर उक्त संगठन की कोई कार्यवाही की सूचना अभी तक शासन को नहीं मिली है।

जांच के नतीजे के अनुसार इस मामले में यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक पिछले कुछ दिनों में इलाहाबाद में दिये गये आपत्तिजनक भाषणों का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थानीय हिन्दू महासभा के कार्यकर्त्ताओं ने २१-५-१९७० से २६-५-१९७० तक वीर सावरकर सप्ताह के उपलक्ष में नित्यप्रति सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया था जिसमें श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री रामचन्द्र जायसवाल तथा डा० रामयाद सिंह इत्यादि व्यक्तियों ने उत्तेजक भाषण दिये। यद्यपि कोई दंगा नहीं हुआ है, उक्त भाषणों के के कारण इलाहाबाद की साम्प्रदायिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने की सूचना है, नगर में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिलाधिकारी ने धारा १४४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत आदेश

जारी कर दिये और २६ मई, १९७० के बाद हिन्दू महासभा के प्रोग्राम में कोई सभा न की जा सकी और न जुलूस ही निकाले जा सके। संबंधित भाषणों का जिलाधिकारियों द्वारा कानूनी परीक्षण भी किया गया किन्तु यह भाषण धारा १५३–ए भा० दं० वि० के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य नहीं पाये गये। किन्तु स्थिति को देखते हुये पुलिस ने भारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, श्री रामचन्द्र जायसवाल, श्री छोटेलाल मिश्र तथा श्री राम निहोरे सिंह के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट की तथा २७ मई, १९७० को धारा ११४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत वारन्ट प्राप्त होने पर श्री महेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री राम चन्द्र जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष दो व्यक्ति नहीं पकड़े जा सके।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री ने जो पहले पैराग्राफ में ही यह बतलाया है कि पर्चे में हिन्दू युवक संगठन का जिक्र तो है लेकिन किसकी तरफ से छपा है यह नाम नहीं है। पर्चे की सुर्खी की तरह ही एक फोटोस्टेट मैंने आप की सेवा में प्रस्तुत किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ११ तारीख से लेकर आज तक २० दिन हो गये, इस बीच में सी० आई० डी० या ऐसी एजेन्सी द्वारा कुछ मालूमात हुई हैं कि यह सारा हिन्दू युवक संगठन पर्चे कहां छपे हैं और इस संगठन की शाखायें बनारस और आगरा में बतलायी गयी हैं उस सिलसिले में कुछ प्रगति हुई है या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया उसकी जांच हो रही है और उसमें कोई ढील नहीं दी गयी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

आज तक की जांच से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ है कि वाकई में हिन्दू युवक संगठन नाम की कोई संस्था भी है या नहीं है और ये पर्चे आमतौर पर फर्जी छपवाये जा रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

अभी तक की जांच के अनुसार हमें यह नहीं मालूम हुआ है कि इस प्रकार की कोई संस्था वाकई में है।

श्री रियासत हुसैन—

इस वक्त जो आर० एस० एस० की दिल्ली में व दूसरी जगहों पर जिनके नाम पर्चे के अन्दर हैं–उनकी शाखायें दिल्ली और अहमदाबाद के अन्दर भी लग रही हैं। तो पर्चे के आधार पर कहीं यह पूरा देशव्यापी कोई संगठन तो नहीं है जो इससे संबंध रखता हो ? क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश के सेंट्रल इंटेलिजेंस से मालूमात करने के लिये कोई वास्ता कायम की है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उस पर्चे में ५ स्थानों का जिक्र किया गया है—मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, आगरा और वाराणसी। आगरा और वाराणसी में जो शाखाओं का जिक्र किया गया है, तो हमारी तहकीकात के मुताबिक आगरा और वाराणसी में इस तरह की कोई शाखा नहीं है। इसलिये जरूरत नहीं है कि हम दूसरी जगहों की तहकीकात करें। हमारे यहां के जिन शहरों का जिक्र था उसमें जब है ही नहीं तो मैं उचित नहीं समझता कि दूसरी जगहों की तहकीकात करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री ने अपने बयान के दूसरे पैरा में कहा कि इलाहाबाद में महासभाई तकरीरें हुयीं और २१ तारीख से लगातार २६ तारीख तक होती रहीं। एक हफ्ते तक सिलसिला जारी रहा और हर तकरीर.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट न दीजिये।

श्री हबीब अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ऐक्शन लिया गया दफा १४४ के तहत और उनकी मीटिंग्स बन्द की गईं तो क्या वजह है कि यह ऐक्शन पहले नहीं लिया गया ? दूसरी बात यह ''

श्री अध्यक्ष—

एक एक प्रश्न पूछिये ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह पूछते हैं कि पहले ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया ? यों नहीं लिया गया कि जरूरी नहीं समझा ।

श्री हबीब अहमद—

इसमें लिखा हुआ है कि कानूनी जांच के लिये वे दिये गये। कानूनी जांच से यह पता चलता है कि १५३ नहीं बनता। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कौन से ऐसे अल्फाज थे जिनकी जांच अहकाम ने करवाई ?

श्री चरण सिंह—

कौन से ऐसे अल्फाज थे जिनकी जांच हुई, यह पूछा गया है । अगर आप इजाजत दें तो थोड़े से एक्स्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं उन की स्पीचेज के वे मैं सुना दूं । लेकिन वहां की लीगल ओपीनियन यह है कि १५३ में नहीं आता। ज्यादातर जिक्र किया है कि मुस्लिम जमात की कार्यवाही है उनकी क्रिटिसाईज करते हुए। बेशक ऐसा कहा गया जो उत्तेजनात्मक था लेकिन सब मिला कर जो लीगल ओपीनियन मिली वह यह कि १५३ में उसे ऐक्शनेबल नहीं बताया गया। इसलिये १४४ लगा दी जुलूस निकालने से पहले।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रश्नगत भाषणों की कापी सदन में रखने की कृपा करेंगे ? जो पर्चे आगरा वाले छापे गये वे पर्चे किस प्रेस में छापे गये और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

मुझे ताज्जुब है, जांच तो हो ही रही है। जहां तक इलाहाबाद के भाषणों की कापी रखने का सवाल है मैं नहीं समझता कि वह पब्लिक के इन्टेरेस्ट में होगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो पर्चा है यह पर्चा ११-५-१९७० ताजमहल की इमारत में पाया गया जिसमें यह लिखा हुआ है कि "मुसलमानो हिन्दू बनो".....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछिये।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मेरा प्रश्न यह है कि जो सामग्री ताजमहल में मिली, क्या मुख्य मंत्री जी जांच करायेंगे कि वहां पर कोई विदेशी तत्व तो सक्रिय नहीं है ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, जांच हो रही है। देशी तत्व हैं, विदेशी तत्व हैं, सभी जांच की परिधि में आ जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या यह सच है कि इस पर्चे पर किसी सुशीला देवी आमोर का नाम छपा है ? यदि हां, तो यह कौन हैं क्या इसका पता चला है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस पर्चे में यह छपा है नीचे की तरफ कि "क्रान्तकारी हिन्दू युवक संगठन, प्रधान कार्यालय, सुशीलादेवी आमोर" तो इससे यह मालूम हो रहा है कि यह कोई स्थान का नाम है।

श्री गोविन्दसिंह--

मैंने जो फोटो दिया है उसमें बाकायदा नाम सुशीलादेवी आमोर लिखा है, मंत्री जी कहते हैं कोई नाम नहीं है।

श्री चरणसिंह--

यह तो नहीं कहा गया कि नाम नहीं है, यह कहा गया कि इसमें जो आमोर शब्द है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी स्थान का नाम है। यह जयपुर के पास हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, हमारे यहां ऐसा स्थान नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

बयान में यह बताया गया कि जो वक्तव्य दिये गये वे धारा १५३ दंड विधान के अन्तर्गत नहीं पाये गये, तो फिर लोगों को जेल में बन्द क्यों कर दिया गया ?

श्री चरणसिंह--

यह जरूरी नहीं है कि जिन आदमियों पर धारा १५३ का मुकदमा नहीं चल सकता उनके ऊपर और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। उनसे शान्ति भंग होने का अंदेशा था, इसलिये १०७ और ११७, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। उसमें दफा १४ में मैजिस्ट्रेट चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकता है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या ११-५-१९७० के बाद प्रधान मंत्री या श्री बहुगुणा ने मुख्य मंत्री जी के पास इस ओर ध्यान दिलाते हुए कोई पत्र लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--

वे कहते हैं कि कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी भेंट में या पत्र द्वारा प्रधान मंत्री जी ने या माननीय बहुगुणा जी ने मुख्य मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है या नहीं ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, अगर किसी के पास से खत आया या नहीं इससे क्या मतलब हल होता है। फिर भी मैं बताये देता हूं कि माननीय बहुगुणा जी का एक खत मुझे मिला था। अब इससे क्या फर्क पड़ता है। जो हमारी ड्यूटी है जांच करने की वह हम करवा रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन---

नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल द्वारा जो इस प्रकार के कम्युनल मामलों को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके आधार पर क्या सरकार प्रदेश के जिम्मेदार लोगों की ऐसी मीटिंग वगैरह बुलाएगी, जिसमें इस मामले पर विचार किया जाए ?

श्री चरणसिंह---

मैं समझा हूं कि माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद और आगरा को देखते हुए किसी मीटिंग के आयोजन की बात सोचेंगे ? तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
१ जून, १९७०

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५८ पर)

क्रम सं०	परमिट नं०	गाड़ी नं०	मालिक का नाम व पता
१—इलाहाबाद–डेरवा–लालगोपालगंज होकर—			
१	७०८	यू० एस० एस० ३२२	श्री अब्दुल अहमद, खजनपुर, इलाहाबाद।
२	७१०	यू० पी० सी० ८२५४	श्री रामधनीलाल, १६, चारुमित्रा रोड, इलाहाबाद।
३	६७३	यू० पी० सी० ६०५५	श्री हरनारायण लाल, पुरुषोत्तमनगर, इलाहाबाद।
४	६५५	यू० पी० सी० ७०१५	श्री मानिक चन्द, ५० बी, जीरो रोड, इलाहाबाद।
५	६५६	यू० पी० सी० ८५७६	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, ५०–बी, जीरो रोड, इलाहाबाद।
६	६७६	यू० पी० जेड० ३१८०	श्री यमुना प्रसाद, १५, पुरुषोत्तमनगर, इलाहाबाद।
७	६७२	यू० एस० क्यू० ६७२४	श्री उसमान गनी, जैदपुर, लालगोपालगंज, इलाहाबाद।
८	६८०	यू० पी० सी० ६५४७	श्री भैरों प्रसाद, ३५ अहमदगंज, इलाहाबाद।
९	६८१	यू० पी० सी० ६६४३	श्री विश्वनाथ गुप्ता, २६ मुट्ठीगंज, इलाहाबाद।
१०	७६१	यू० एस० एस० ५७३	श्री शिव बहादुर सिंह, कचेहरी रोड, प्रतापगढ़।
२—इलाहाबाद से बाबागंज–लालगोपालगंज होकर—			
१	६७१	यू० पी० जेड० १६१६	श्री सुरेन्द्रकुमार, पुरुषोत्तमनगर, इलाहाबाद।
२	४७२	यू० पी० सी० ६४८६	श्रीमती विद्यावती देवी, ११०–बी, कीटगंज, इलाहाबाद।
३	३६४	यू० पी० सी० ७०४८८	श्रीमती खैरुनिसां, नूरुल्लारोड, इलाहाबाद।
४	३६३	यू० पी० सी० ८७२६	श्रीमती ए० पी० तिवारी, कोठापार्चा, इलाहाबाद।
५	६६२	यू० पी० डी० ३३६५	श्री नन्दलाल मुकर्जी, एस० सी० बासू रोड, इलाहाबाद।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७३ एल० ए०—१६७१—८४५ (मैग०)